

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*1  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पुणे में सीवेज शोधन संयंत्र

\*1. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पुणे में सीवेज शोधन संयंत्रों की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है, और क्या यह क्षमता शहर के सीवेज उत्पादन के अनुरूप है; और
- (ख) क्या सरकार नई सीवेज शोधन सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो नई सीवेज शोधन सुविधाओं संबंधी कार्य के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

'पुणे में सीवेज उपचार संयंत्र' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*1 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पुणे नगर निगम (पीएमसी) के अनुसार, पुणे शहर में सीवेज उत्पादन 980 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है, जिसके मुकाबले 477 एमएलडी की उपचार क्षमता मौजूद है।

(ख): राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, पुणे के मुला-मुथा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 396 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने के लिए 990.26 करोड़ रुपये की लागत पर एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यह परियोजना मार्च, 2026 में पूरी होना निर्धारित है।

इसके अलावा, पीएमसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएमसी के अपने संसाधनों के तहत स्वीकृत रामटेकडी में 10 एमएलडी और केशवनगर-मुंधवा में 12 एमएलडी के एसटीपी क्रमशः दिसंबर, 2024 और दिसंबर, 2025 तक पूरा होना निर्धारित है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*12  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल-विवाद

\*12. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार की महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे जल-बंटवारे संबंधी विवादों में हस्तक्षेप करने की योजना है ताकि जल का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके और संभावित मतभेदों को रोका जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ख) क्या महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) वर्तमान में बढ़ रहे विवादों के मद्देनजर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल-बंटवारे के मुद्दों को हल करने के लिए अपनी कार्यवाही में तेजी लाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल-विवाद” के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*12 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): अंतर्राज्यीय नदियों और उनकी घाटियों के जल संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसडब्ल्यूआरडी) अधिनियम, 1956 लागू किया है। जब अंतर्राज्यीय नदियों पर किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र सरकार की यह राय होती है कि जल विवाद का समाधान बातचीत के जरिए नहीं किया जा सकता है, तो केन्द्र सरकार उक्त जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए नदी जल विवाद अधिकरण का गठन करती है।

पक्षकार राज्यों अर्थात् गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र राज्य के अनुरोध पर आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम वर्ष 1956 की धारा 4 के अंतर्गत दिनांक 16.11.2010 को महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 14.08.2018 को केंद्र सरकार को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत सभी तीन-पक्षकार राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार ने एमडब्ल्यूडीटी को अधिक स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न संदर्भ (रेफरेंस) दायर किए हैं।

इस बीच, मुकदमा लड़ने वाले तीन राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा ने भी आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के अंतर्गत न्यायाधिकरण की दिनांक 14.08.2018 के रिपोर्ट-सह-अवार्ड के खिलाफ अलग से विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करके भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया है। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2020 के आदेशानुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 27.02.2020 को भारत के राजपत्र में दिनांक 14.08.2018 की एमडब्ल्यूडीटी रिपोर्ट-सह-अवार्ड प्रकाशित की है, जो कि आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार की गई एक कार्रवाई है।

एमडब्ल्यूडीटी के अवार्ड को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 6 (क) के अंतर्गत दिनांक 22.04.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक न्यायाधिकरण- “महादायी-प्रवाह (प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी फॉर वेलफेयर एंड हार्मोनी)” का गठन किया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन हैं, और पक्षकार राज्यों के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए संयुक्त अनुरोध और औचित्य की मांगों को भी ध्यान में रखते हुए, महादायी डब्ल्यूडीटी ने आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत लंबित संदर्भों (पेंडिंग रेफरेंस) के संबंध में कार्यवाही स्थगित कर दी है क्योंकि यह समानांतर कार्यवाही जारी रखने के समान हो सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*6  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत धनराशि का आवंटन और उपयोग

\*6. श्री आर. धरमार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल शक्ति अभियान (जेएसए) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) जल शक्ति अभियान के लिए केंद्रित हस्तक्षेप का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में इस अभियान के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) तमिलनाडु में इस अभियान के अंतर्गत पहचान किए गए जल-संकटग्रस्त जिलों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने देश भर में इस अभियान के माध्यम से भूजल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) तमिलनाडु सहित देश भर में अब तक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके प्रति क्या अनुक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“जल शक्ति अभियान के अंतर्गत धनराशि का आवंटन और उपयोग” के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*6 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" की टैगलाइन के साथ जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और पुनर्भरण पर केंद्रित एक वार्षिक अभियान है। इससे संमिलित वित्तपोषण (कन्वर्जेंट फाइनेंसिंग) का लाभ प्राप्त है और यह सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। इस पहल का कार्यान्वयन प्रत्येक वर्ष मार्च से नवंबर तक पूरे देश में किया जाता है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले केन्द्रित कार्यकलापों में (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची बनाना; जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार करना, (3) सभी जिलों में जल शक्ति केन्द्रों की स्थापना (4) गहन वन रोपण कार्य और (5) जागरूकता पैदा करना शामिल हैं।

(ग): जल शक्ति अभियान : कैच द रेन अभियान के अंतर्गत निधियों का व्यय केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटकों, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्प), वित्त आयोग अनुदान इत्यादि के जरिए संमिलित वित्तपोषण (कन्वर्जेंट फाइनेंसिंग) के माध्यम से किया जाता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (2022-2025) के दौरान, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत राज्य में 15792.24 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए 9331.49 करोड़ रुपये, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण के लिए 1461.51 करोड़ रुपये, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के लिए 85.88 करोड़ रुपये, वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए 4202.95 करोड़ रुपये और गहन वनरोपण के लिए 710.38 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत जल निकायों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग और जिला जल संरक्षण योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले को 2.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। तमिलनाडु राज्य को वर्ष 2021-22 में

34 लाख रुपये, 2022-23 में 31 लाख रुपये और 2023-24 में 1.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्तमान वर्ष में घटते जल स्तर, भौगोलिक संवितरण और आकांक्षी जिलों के आधार पर फोकस जिलों की पहचान की गई है। वर्तमान वर्ष के लिए जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत तमिलनाडु के फोकस जिलों का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ङ): भूजल स्तर में गिरावट कई कारकों जैसे अत्याधिक दोहन, वनों की कटाई, मिट्टी की स्थिति, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। केन्द्र, राज्य, स्थानीय निकायों इत्यादि की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से भूजल की गिरावट को रोकने के उपायों को कार्यान्वित किया जाता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान भी भूजल पुनर्भरण में सहायता प्रदान करने और भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देता है जिसमें वर्षा जल संचयन; पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण; पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं; वॉटरशेड का विकास इत्यादि शामिल हैं।

(च): इस अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार के परिभाषित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकारों को यथासंभव अधिक से अधिक कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेएसए: सीटीआर पोर्टल ([jsactr.mowr.gov.in](http://jsactr.mowr.gov.in)) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 19.11.2024 तक, जेएसए: सीटीआर अभियान के अंतर्गत देश भर में लगभग 1.56 करोड़ जल से संबंधित कार्य किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सूचना दी है कि पांच प्रमुख कार्यकलाप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले तीन वर्षों में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत राज्य में 18.80 लाख कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में 695 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) भी स्थापित किए गए हैं और तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जल शक्ति केन्द्र स्थापित हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के अंतर्गत, देश भर के 612 जिलों द्वारा जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं। तमिलनाडु के सभी 38 जिलों ने भी अपनी जल संरक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

"जल शक्ति अभियान के अंतर्गत धनराशि का आवंटन और उपयोग" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*6 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान : कैच द रेन - 2024 के अंतर्गत  
तमिलनाडु के फोकस जिलों का विवरण

| क्र. सं. | जेएसए: सीटीआर वर्ष | तमिलनाडु के फोकस जिलों के नाम |
|----------|--------------------|-------------------------------|
| 1        | 2024               | कोयम्बटूर                     |
| 2        | 2024               | वेल्लोर                       |
| 3        | 2024               | तिरुपथुर                      |
| 4        | 2024               | मयिलादुथुराई                  |
| 5        | 2024               | सेलम                          |
| 6        | 2024               | चेन्नई                        |
| 7        | 2024               | नमक्कल                        |
| 8        | 2024               | डिंडीगुल                      |
| 9        | 2024               | पेरम्बलुर                     |
| 10       | 2024               | तंजावुर                       |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2258  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

महानदी अंतर्राज्यीय नदी जल-विवाद की स्थिति

2258. डा. सस्मित पात्रा

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच महानदी नदी के संबंध में अंतर्राज्यीय जल विवाद की क्या स्थिति है;
- (ख) सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान खोजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए सरकार द्वारा स्वयं को महानदी अधिकरण के समक्ष अभियोजित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख) अंतर्राज्यीय नदियों और उनकी घाटियों के जल संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद ने अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 लागू किया है। जब अंतर्राज्यीय नदियों पर किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र सरकार की यह राय होती है कि जल विवाद का समाधान बातचीत के जरिए नहीं किया जा सकता है, तो केन्द्र सरकार उक्त जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए नदी जल विवाद अधिकरण का गठन करती है।

जहां तक महानदी नदी जल विवाद का संबंध है, ओडिशा सरकार द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत महानदी नदी जल विवाद पर केंद्र सरकार को दिनांक 19.11.2016 को एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। ओडिशा राज्य ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तटवर्ती राज्यों के बीच महानदी और इसके बेसिन से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत एक अधिकरण के गठन के लिए अनुरोध किया था।

केन्द्र सरकार द्वारा बातचीत के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया गया था। वार्ता समिति ने मई, 2017 में इस निष्कर्ष के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी कि विवाद को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता है। ओडिशा सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल वाद संख्या 1/2017 भी दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1114 (ई) दिनांक 12.03.2018 के अंतर्गत महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया और ओडिशा द्वारा उठाए गए जल विवाद के मामले को अप्रैल, 2018 में अधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए भेज दिया। इस समय यह मामला माननीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

(ग) आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद नियम, 1959 के नियम 3 के अनुसार अधिकरण के गठन के लिए केन्द्र सरकार को अपना अनुरोध संप्रेषित करते समय संबंधित राज्य सरकार को जल विवाद से संबंधित पक्षों को निर्दिष्ट करना होता है। राज्य द्वारा भेजी गई शिकायत में केन्द्र सरकार का महानदी जल विवादों में पक्षकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केन्द्र सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत कार्यवाहियों के लिए अधिकरण के समक्ष पक्षकार बनने में समर्थ बनाता हो, जबकि महानदी जल विवाद अधिकरण आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट और निर्णय के लिए न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का संचालन कर रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2325  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**प्रदूषित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण**

**2325. डा. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने संबंधी एनजीटी के आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है;
- (घ) यदि हाँ, तो तमिलनाडु के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और एनजीटी के आदेश को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समिति की सहायता से पूरे देश में एक जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। नवंबर, 2022 में प्रकाशित पिछली रिपोर्ट में, देश में 603 नदियों की निगरानी की गई थी। 279 नदियों में 311 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की गई है। तमिलनाडु में 10 नदियों में 10 पीआरएस की पहचान की गई है। देश में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 2018 में 351 से घटकर वर्ष 2022 में 311 हो गई है। इसका विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

<https://cpcb.nic.in/openpdf.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=>

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने समय-समय पर प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। मूल आवेदन संख्या 673/2018 में एनजीटी ने निर्देश दिया कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीपीसीबी द्वारा 2018 में पहचान किए गए देश के प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए एक कार्य योजना तैयार करें। निर्देश के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय स्तर पर उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी है।

इन आदेशों के अनुपालन में राज्यों ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है और सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित भी करा ली है। निगरानी के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) गठित की गयी है। अब तक, सीएमसी की 19 बैठकें हो चुकी हैं।

नदियों की सफाई/कायाकल्प एक सतत गतिविधि है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने से पहले उनका निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

नदियों के संरक्षण के लिए, मंत्रालय गंगा बेसिन की नदियों के लिए “नमामि गंगे” की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में नदियों के पहचान किए गए हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2324**  
**जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**नदियों को आपस में जोड़ना**

**2324. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) "वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना" के संभावित लाभ क्या-क्या हैं और क्या इससे बुलढाणा जिले में जल की उपलब्धता प्रभावित होगी;
- (ख) नदियों को आपस में जोड़ने तथा अन्य जल प्रबंधन कार्यनीतियों जैसे जल भंडारण, संरक्षण और कार्यकुशलता उपायों के बीच संभावित सहयोगों और समन्वयनों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या 426.52 किलोमीटर लिंक नहर के निर्माण से स्थानीय पारितंत्र और वन्यजीव आवास प्रभावित होंगे तथा स्थानीय समुदायों और उनकी जल सुलभता पर प्रभाव सहित परियोजना के संभावित सामाजिक निहितार्थ क्या होंगे?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा तापी) अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना गोसीखुर्द बांध के दायीं ओर से शुरू होती है और महाराष्ट्र के छह जिलों से होकर लगभग 427 किमी की लंबाई तक चलती है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, इस लिंक परियोजना में, तापी बेसिन में नलगंगा नदी के नलगंगा परियोजना में गिरने से पहले, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के छह जिलों अर्थात् नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा में सिंचाई, और घरेलू एवं औद्योगिक जल आपूर्ति लाभों के लिए गोदावरी बेसिन के प्राणहिता उप-बेसिन में वैनगंगा नदी पर गोसीखुर्द (इंदिरा सागर) परियोजना से 1772 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल का डायवर्जन करने की परिकल्पना की गई है।

लिंक नहर में, 1286 एमसीएम पानी का उपयोग करते हुए लगभग 371277 हेक्टेयर नए कमान क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करना परिकल्पित है। इसमें से 38214 हेक्टेयर क्षेत्र, बुलढाणा जिले की शेगांव और मोटाला तहसीलों में स्थित है जहां 140 एमसीएम जल का उपयोग होता है जो उपर्युक्त छह जिलों में कमान क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गवर्ती गांवों/कस्बों को

पेयजल आपूर्ति के लिए 32 एमसीएम और लिंक परियोजना के आस-पास के उद्योगों को 397 एमसीएम जल उपलब्ध कराता है, जबकि ऐसे जल अंतरण से 57 एमसीएम जल का नुकसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि जुलाई से सितम्बर के तीन मानसून महीनों, जो मुख्य रूप से बाढ़ का मौसम होता है, के दौरान प्रस्तावित लिंक नहर के माध्यम से 1772 एमसीएम जल के डायवर्जन की परिकल्पना की गई है, इसलिए इस परियोजना से अनुप्रवाह में बाढ़ की उग्रता को कम करने में भी सहायता होगी।

**(ख):** महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस योजना का अधिकांश कमान क्षेत्र सूखा प्रवण है। मौजूदा जल संरक्षण उपाय, घरेलू जल आपूर्ति, उद्योगों और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए इस योजना में कमान क्षेत्र में जल के पूरक के रूप में 31 नए बांधों का निर्माण करके और लगभग 427 किमी लंबी मुख्य नहर के साथ 6 मौजूदा बांधों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।

**(ग):** (वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णतापी) अंतराज्य लिंक परियोजना का डीपीआर चरण में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अतिरिक्त पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजना से जुड़े सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के सभी पैरामीटरों पर विधिवत विचार किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर परियोजना के निर्माण और संचालन चरणों के प्रभाव का आकलन किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2323  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
भूजल संसाधनों का आकलन

2323. श्रीमती सुलता देव:

श्री निरंजन बिशी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भूजल संसाधनों, उनके जल स्तर और गुणवत्ता के संबंध में हाल ही में किए गए आकलन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (भूजल प्रबंधन और विनियमन-2021) में उल्लिखित लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) जल शक्ति अभियान के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): वर्ष 2023 के लिए देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधन के आकलन का सार, नवंबर 2023 माह के लिए राज्यवार भूजल स्तर की गहराई और प्रमुख संदूषकों से राज्य-वार प्रभावित क्षेत्रों के साथ, भूजल गुणवत्ता का सारांश क्रमशः अनुलग्नक-I, II और III में दिया गया है।

(ख): भूजल प्रबंधन और विनियमन पर वर्ष 2021 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 9 में भूजल प्रबंधन और विनियमन से संबंधित अवलोकन और सिफारिशें हैं। यह रिपोर्ट मोटे तौर पर अनुशासनात्मक प्रकृति की है। सभी सिफारिशों पर तत्परता से कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट सीएजी को भी प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं :

- डॉयनेमिक भूमि जल संसाधन आकलन, स्तर और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग निर्धारित आवृत्ति के अनुसार की जा रही है। वर्ष 2022 से प्रति वर्ष आकलन किया जा रहा है; कुओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है; गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए नए एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें प्रत्येक वर्ष दो बार नमूना संग्रह और उनका विश्लेषण निर्धारित किया गया है।
- मॉनिटरिंग कूपों के नेटवर्क की संख्या वर्ष 2019 में लगभग 15,000 से बढ़कर अब 27,000 हो गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के अंतर्गत देश भर में टेलीमेट्री प्रणालियों के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर्स (डीडब्ल्यूएलआर)

की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) और अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं के तहत अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 22,000 डीडब्ल्यूएलआर संस्थापित किए गए हैं।

- आबंटित निधियों के उपयोग की कार्यनीति पर पुनःविचार किया गया है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें गतिविधियों की आउटसोर्सिंग, खरीद संबंधी गतिविधियों की हैंडलिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की सेवाएं लेना और सभी स्तरों पर कड़ी मॉनिटरिंग शामिल है। चहुंमुखी प्रयासों के परिणामस्वरूप, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत वर्ष 2012-17 के दौरान के औसत वार्षिक व्यय लगभग 116 करोड़ रुपये/प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2021-24 के दौरान 195 करोड़ रुपये/प्रतिवर्ष हो गया है।
- भूजल निकासी के लिए एनओसी आवेदनों पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई के लिए 'भू-नीर' नामक एक अत्याधुनिक और अत्यधिक उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- नैक्यूम अध्ययन के तहत शामिल किए जाने वाले जलभृत मैपिंग योग्य कुल 25.15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र के कार्य को दिनांक 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया है, इसमें भूजल प्रबंधन योजनाओं की तैयारी भी शामिल है, जिसे राज्य/जिला अधिकारियों के साथ साझा किया गया है।
- पदों को समय पर भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी की कैंडर समीक्षा शुरू की गई है।
- जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पीएमकेएसवाई के तहत आरआरआर घटक, अमृत सरोवर, मनरेगा के तहत जल संरक्षण आदि जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत प्रतिबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भूजल प्रबंधन हेतु कई कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

**(ग):** सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष रूप से केन्द्रित है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जेएसए की शुरुआत के बाद से, देश में लगभग 1.57 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है/प्रगति पर है और अकेले मनरेगा के साथ सम्मिलन से 1.15 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

“भूजल संसाधनों का आकलन” के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 2323 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2023 (बीसीएम में)

| क्र. सं. | राज्य              | कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण | वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल | मौजूदा कुल भूजल निष्कर्षण | भूजल निष्कर्षण का चरण (%) |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1        | आंध्र प्रदेश       | 27.83                     | 26.45                        | 7.48                      | 28.3                      |
| 2        | अरुणाचल प्रदेश     | 4.65                      | 4.16                         | 0.02                      | 0.42                      |
| 3        | असम                | 27.26                     | 20.93                        | 2.63                      | 12.54                     |
| 4        | बिहार              | 33.96                     | 30.72                        | 13.75                     | 44.76                     |
| 5        | छत्तीसगढ़          | 13.34                     | 12.18                        | 5.75                      | 47.17                     |
| 6        | दिल्ली             | 0.38                      | 0.34                         | 0.34                      | 99.13                     |
| 7        | गोवा               | 0.396                     | 0.317                        | 0.068                     | 21.37                     |
| 8        | गुजरात             | 27.35                     | 25.41                        | 13.13                     | 51.68                     |
| 9        | हरियाणा            | 9.55                      | 8.69                         | 11.8                      | 135.74                    |
| 10       | हिमाचल प्रदेश      | 1.11                      | 1.01                         | 0.35                      | 34.95                     |
| 11       | झारखंड             | 6.25                      | 5.73                         | 1.8                       | 31.38                     |
| 12       | कर्नाटक            | 18.93                     | 17.08                        | 11.32                     | 66.26                     |
| 13       | केरल               | 5.53                      | 5.01                         | 2.73                      | 54.55                     |
| 14       | मध्य प्रदेश        | 35.47                     | 32.85                        | 19.3                      | 58.75                     |
| 15       | महाराष्ट्र         | 32.76                     | 30.95                        | 16.66                     | 53.83                     |
| 16       | मणिपुर             | 0.52                      | 0.47                         | 0.04                      | 7.99                      |
| 17       | मेघालय             | 1.83                      | 1.51                         | 0.07                      | 4.58                      |
| 18       | मिजोरम             | 0.22                      | 0.2                          | 0.01                      | 3.70                      |
| 19       | नागालैंड           | 0.6                       | 0.54                         | 0.02                      | 3.76                      |
| 20       | ओडिशा              | 17.35                     | 15.94                        | 7.39                      | 46.33                     |
| 21       | पंजाब              | 18.84                     | 16.98                        | 27.8                      | 163.76                    |
| 22       | राजस्थान           | 12.45                     | 11.25                        | 16.74                     | 148.77                    |
| 23       | सिक्किम            | 0.243                     | 0.219                        | 0.012                     | 5.54                      |
| 24       | तमिलनाडु           | 21.59                     | 19.51                        | 14.42                     | 73.91                     |
| 25       | तेलंगाना           | 23.14                     | 20.92                        | 8.09                      | 38.65                     |
| 26       | त्रिपुरा           | 1.36                      | 1.09                         | 0.11                      | 9.92                      |
| 27       | उत्तर प्रदेश       | 71.83                     | 65.57                        | 46.4                      | 70.76                     |
| 28       | उत्तराखंड          | 2.02                      | 1.85                         | 0.95                      | 51.69                     |
| 29       | पश्चिम बंगाल       | 26.29                     | 23.9                         | 10.71                     | 44.81                     |
| 30       | अंडमान और निकोबार  | 0.618                     | 0.557                        | 0.008                     | 1.37                      |
| 31       | चंडीगढ़            | 0.054                     | 0.048                        | 0.037                     | 75.41                     |
| 32       | दादरा और नगर हवेली | 0.09                      | 0.08                         | 0.11                      | 131.53                    |
|          | दमन और दीव         | 0.035                     | 0.033                        | 0.057                     | 170.70                    |
| 33       | जम्मू और कश्मीर    | 4.94                      | 4.46                         | 1.08                      | 24.20                     |
| 34       | लद्दाख             | 0.09                      | 0.08                         | 0.03                      | 37.05                     |
| 35       | लक्षद्वीप          | 0.014                     | 0.005                        | 0.003                     | 61.723                    |
| 36       | पुडुचेरी           | 0.20                      | 0.18                         | 0.13                      | 70.27                     |
|          | <b>कुल योग</b>     | <b>449.08</b>             | <b>407.21</b>                | <b>241.34</b>             | <b>59.26</b>              |

"भूजल संसाधनों का आकलन" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 2323

भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मानसून पश्चात 2023 के प्रेक्षण कूपों के प्रतिशत का जल स्तर की गहराई का वितरण

| क्रम संख्या | राज्य का नाम                      | विशेषण किए गए कूपों की संख्या | जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) प्रदर्शित करने वाले कूपों की संख्या/प्रतिशत |       |        |      |         |      |          |      |          |      |        |      |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|------|---------|------|----------|------|----------|------|--------|------|
|             |                                   |                               | 0 से 2  |       | 2 से 5 |      | 5 से 10 |      | 10 से 20 |      | 20 से 40 |      | > 40   |      |
|             |                                   |                               | संख्या  | %     | संख्या | %    | संख्या  | %    | संख्या   | %    | संख्या   | %    | संख्या | %    |
| 1           | आंध्र प्रदेश                      | 809                           | 109   | 13.5  | 382    | 47.2 | 241     | 29.8 | 54       | 6.7  | 16       | 2.0  | 7      | 0.9  |
| 2           | अरुणाचल प्रदेश                    | 28                            | 12  | 42.9  | 8      | 28.6 | 7       | 25.0 | 1        | 3.6  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 3           | असम                               | 318                           | 125   | 39.3  | 156    | 49.1 | 30      | 9.4  | 6        | 1.9  | 1        | 0.3  | 0      | 0.0  |
| 4           | बिहार                             | 784                           | 116   | 14.8  | 525    | 67.0 | 139     | 17.7 | 4        | 0.5  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 5           | छत्तीसगढ़                         | 1046                          | 172   | 16.4  | 628    | 60.0 | 228     | 21.8 | 16       | 1.5  | 2        | 0.2  | 0      | 0.0  |
| 6           | गोवा                              | 82                            | 17  | 20.7  | 38     | 46.3 | 21      | 25.6 | 6        | 7.3  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 7           | गुजरात                            | 753                           | 105   | 13.9  | 305    | 40.5 | 215     | 28.6 | 96       | 12.7 | 26       | 3.5  | 6      | 0.8  |
| 8           | हरियाणा                           | 985                           | 71  | 7.2   | 160    | 16.2 | 154     | 15.6 | 198      | 20.1 | 253      | 25.7 | 149    | 15.1 |
| 9           | हिमाचल प्रदेश                     | 171                           | 30  | 17.5  | 69     | 40.4 | 30      | 17.5 | 26       | 15.2 | 12       | 7.0  | 4      | 2.3  |
| 10          | झारखंड                            | 396                           | 51  | 12.9  | 216    | 54.5 | 114     | 28.8 | 8        | 2.0  | 7        | 1.8  | 0      | 0.0  |
| 11          | कर्नाटक                           | 1264                          | 228   | 18.0  | 504    | 39.9 | 454     | 35.9 | 75       | 5.9  | 3        | 0.2  | 0      | 0.0  |
| 12          | केरल                              | 1377                          | 323   | 23.5  | 477    | 34.6 | 485     | 35.2 | 85       | 6.2  | 5        | 0.4  | 2      | 0.1  |
| 13          | मध्य प्रदेश                       | 1470                          | 151   | 10.3  | 654    | 44.5 | 501     | 34.1 | 147      | 10.0 | 12       | 0.8  | 5      | 0.3  |
| 14          | महाराष्ट्र                        | 1658                          | 248   | 15.0  | 706    | 42.6 | 526     | 31.7 | 141      | 8.5  | 32       | 1.9  | 5      | 0.3  |
| 15          | मेघालय                            | 51                            | 23  | 45.1  | 27     | 52.9 | 1       | 2.0  | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 16          | मिजोरम                            | 2                             | 2   | 100.0 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0  | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 17          | नागालैंड                          | 10                            | 0   | 0.0   | 6      | 60.0 | 3       | 30.0 | 1        | 10.0 | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 18          | ओडिशा                             | 1370                          | 528   | 38.5  | 694    | 50.7 | 142     | 10.4 | 6        | 0.4  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 19          | पंजाब                             | 283                           | 29  | 10.2  | 55     | 19.4 | 34      | 12.0 | 65       | 23.0 | 81       | 28.6 | 19     | 6.7  |
| 20          | राजस्थान                          | 1061                          | 27  | 2.5   | 171    | 16.1 | 195     | 18.4 | 234      | 22.1 | 194      | 18.3 | 240    | 22.6 |
| 21          | तमिलनाडु                          | 857                           | 186   | 21.7  | 359    | 41.9 | 239     | 27.9 | 60       | 7.0  | 11       | 1.3  | 2      | 0.2  |
| 22          | तेलंगाना                          | 623                           | 58  | 9.3   | 278    | 44.6 | 204     | 32.7 | 72       | 11.6 | 9        | 1.4  | 2      | 0.3  |
| 23          | त्रिपुरा                          | 96                            | 26  | 27.1  | 57     | 59.4 | 13      | 13.5 | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 24          | उत्तर प्रदेश                      | 1092                          | 179   | 16.4  | 481    | 44.0 | 265     | 24.3 | 133      | 12.2 | 30       | 2.7  | 4      | 0.4  |
| 25          | उत्तराखंड                         | 171                           | 17  | 9.9   | 48     | 28.1 | 35      | 20.5 | 31       | 18.1 | 25       | 14.6 | 15     | 8.8  |
| 26          | पश्चिम बंगाल                      | 736                           | 224   | 30.4  | 413    | 56.1 | 85      | 11.5 | 14       | 1.9  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 27          | अंडमान और निकोबार                 | 111                           | 103   | 92.8  | 8      | 7.2  | 0       | 0.0  | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 28          | चंडीगढ़                           | 14                            | 0   | 0.0   | 5      | 35.7 | 2       | 14.3 | 2        | 14.3 | 4        | 28.6 | 1      | 7.1  |
| 29          | दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली | 30                            | 7   | 23.3  | 17     | 56.7 | 6       | 20.0 | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
| 30          | दिल्ली                            | 119                           | 9   | 7.6   | 30     | 25.2 | 39      | 32.8 | 26       | 21.8 | 11       | 9.2  | 4      | 3.4  |
| 31          | जम्मू और कश्मीर                   | 385                           | 96  | 24.9  | 173    | 44.9 | 59      | 15.3 | 27       | 7.0  | 21       | 5.5  | 9      | 2.3  |
| 32          | पुडुचेरी                          | 9                             | 2   | 22.2  | 5      | 55.6 | 2       | 22.2 | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0      | 0.0  |
|             | कुल                               | 18161                         | 3274  | 18.0  | 7655   | 42.2 | 4469    | 24.6 | 1534     | 8.4  | 755      | 4.2  | 474    | 2.6  |

"भूजल संसाधनों का आकलन" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 2323 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2022-23 में भारत के भूजल में प्रमुख संदूषकों के साथ आंशिक रूप से प्रभावित जिलों (संचयी) की राज्य-वार संख्या

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | लवणता (3000 माइक्रो एमएचओएस/ से.मी. से अधिक ईसी) (ईसी : विद्युतीय चालकता) | फ़्लोराइड (1.5 एमजी/ली से अधिक)                        | नाइट्रेट (45 एमजी/ली से अधिक)                          | आर्सेनिक (0.01 एमजी/ली से अधिक)                        | लौह (1 एमजी/ली से अधिक)                                |
|-------------|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 1           | आंध्र प्रदेश            | 23  | 19   | 26   | 7  | 12   |
| 2           | तेलंगाना                | 16  | 29   | 32   | 1  | 9  |
| 3           | असम                     | 1   | 17   |  | 21   | 29   |
| 4           | अरुणाचल प्रदेश          |   |  |  |  | 7  |
| 5           | बिहार                   | 7   | 19   | 32   | 27   | 35   |
| 6           | छत्तीसगढ़               | 1   | 23   | 24   | 4  | 23   |
| 7           | दिल्ली                  | 8   | 8  | 11   | 5  | 5  |
| 8           | गोवा                    |   |  |  |  | 2  |
| 9           | गुजरात                  | 28  | 30   | 32   | 12   | 14   |
| 10          | हरियाणा                 | 18  | 21   | 21   | 18   | 20   |
| 11          | हिमाचल प्रदेश           |   | 2  | 7  | 1  | 5  |
| 12          | जम्मू और कश्मीर         |   | 4  | 10   | 3  | 10   |
| 13          | झारखंड                  |   | 17   | 23   | 4  | 23   |
| 14          | कर्नाटक                 | 30  | 31   | 30   | 3  | 22   |
| 15          | केरल                    | 4   | 6  | 14   | 1  | 14   |
| 16          | मध्य प्रदेश             | 21  | 44   | 51   | 9  | 47   |
| 17          | महाराष्ट्र              | 29  | 22   | 31   |  | 24   |
| 18          | मणिपुर                  |   | 1  |  | 2  | 4  |
| 19          | मेघालय                  |   | 5  |  |  | 8  |
| 20          | नागालैंड                |   | 3  |  |  | 5  |
| 21          | ओडिशा                   | 18  | 26   | 32   | 5  | 31   |
| 22          | पंजाब                   | 12  | 19   | 23   | 17   | 19   |
| 23          | राजस्थान                | 32  | 33   | 33   | 10   | 33   |
| 24          | तमिलनाडु                | 29  | 30   | 33   | 14   | 16   |
| 25          | त्रिपुरा                |   | 3  |  | 3  | 8  |
| 26          | उत्तर प्रदेश            | 21  | 43   | 67   | 45   | 75   |
| 27          | उत्तराखंड               | 1   | 1  | 5  | 5  | 8  |
| 28          | पश्चिम बंगाल            | 9   | 12   | 18   | 11   | 22   |
| 29          | अंडमान और निकोबार       | 1   |  |  |  | 3  |
| 30          | दमन और दीव              | 1   | 1  | 2  | 1  |  |
| 31          | पुडुचेरी                |   |  | 2  | 1  |  |
|             | कुल                     | 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में 310 जिलों के भाग                      | 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 469 जिलों के भाग | 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 559 जिलों के भाग | 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 230 जिलों के भाग | 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 533 जिलों के भाग |

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2322  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

सल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम

2322. श्री नरहरी अमीन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि यह कार्यक्रम गुजरात राज्य से शुरू किया गया है;
- (ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करने तथा इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, सैचुरेशन मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक भागीदारी को तेज करने पर केंद्रित है। गुजरात में जल संचय कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि का भी लाभ उठाकर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बोरवेल, पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए की गई है, ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और पानी की समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर अनुकूलित समाधान प्रदान किया जा सके। इसे जल संचय जन भागीदारी पहल के रूप में अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए व्यापक बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण का पालन करते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद का संरक्षण किया जाए। इस पहल के तहत बोरवेल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम से कम दस लाख कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का लक्ष्य रखा गया है।

**(ग) और (घ):** सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों की साझेदारी में जेएसजेबी पहल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय लागू किए हैं ताकि इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, सिविल सोसायटियों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करना है जिससे व्यापक समुदाय को प्रभावी रूप से इसमें शामिल किया जा सके। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की राज्य सरकारों की अभियानों में सक्रिय भागीदारी रही है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मौजूदा योजनाओं का उपयोग करें और मुख्यालय तथा फील्ड स्तर पर कार्यालय परिसरों और आवासीय परिसरों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जागरूकता प्रयासों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस पहल में आम जनता में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए परोपकारी योगदान, औद्योगिक दान और क्राउड फंडिंग सहित विविध स्रोतों से संमिलित धनराशि जुटाने पर जोर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2320  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
जल बजट

2320. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल बजट प्रक्रिया के लिए कौन-से प्रभावि और वैज्ञानिक उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्षा जल संरक्षण के लिए किए गए व्यय के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्या है;
- (ग) बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों और उसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने भूजल स्तर और सतही जल निकायों सहित गांव की जल स्थिति का विश्लेषण करने के भाग के तौर पर गांव का जल स्वास्थ्य आकलन सुकर बनाने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना अटल भूजल योजना (अटल जल) का कार्यान्वयन, भागीदारी के माध्यम से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य स्थायी भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों को कवर करना है।

अटल जल के तहत प्रमुख गतिविधियों में से एक जल बजट तैयार करना है, जो सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर कुल जल उपलब्धता और कुल जल की मांग का लेखा-जोखा है। इस योजना के तहत जल बजटिंग का कार्य जल विज्ञान एवं भूजल विज्ञान के

मौलिक सिद्धांतों और कुल जल उपलब्धता (सतह और भूजल) के अनुमान; वाष्पन-उत्सर्जन से हुआ जल का नुकसान; विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं से भूजल का पुनर्भरण और साथ ही विभिन्न उपयोगों के लिए जल की मांग पर आधारित है।

अटल भूजल योजना के तहत वार्षिक आधार पर जिन ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट तैयार और अद्यतन किया गया है, उनकी संख्या क्रमशः गुजरात में 1873, हरियाणा में 1647, कर्नाटक में 1199, मध्य प्रदेश में 670, महाराष्ट्र में 1133, राजस्थान में 1132 और उत्तर प्रदेश में 549 है।

**(ख):** जल शक्ति अभियान:कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) के संबंध में राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा पिछले 04 जल शक्ति अभियानों की अवधियों के लिए साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों अर्थात् जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास और सघन वनीकरण में किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दर्शाया गया है।

**(ग):** जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में, सरकार ने अत्यधिक वर्षा और सूखे की स्थिति जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कई फ्रंटों पर कार्यनीतियां तैयार की हैं और उपलब्ध जल को संरक्षित करने और अतिरिक्त भंडारण हेतु कई उपाय किए गए हैं। इस दिशा में, भारत सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को कार्यान्वित कर रही है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुनः उपयोग संरचनाओं और जन-जागरूकता आदि के सृजन के माध्यम से मानसूनी वर्षा का प्रभावी ढंग से संचयन करना है। इस समय, देश में जल शक्ति अभियान 2024 कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन गतिविधियों में भूजल की कमी को दूर करने के लिए जल-भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तालाबों, टैंकों आदि जैसे मौजूदा जल निकायों का निर्माण और उनसे गाद निकालने का कार्य भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं:

- सीजीडब्ल्यूबी, द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जिसमें उन्हें परियोजना की व्यापक रूपरेखा और अपेक्षित निवेश के बारे में सूचित किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 142 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। उपयुक्त उपायों के लिए इस मास्टर प्लान को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों को विकसित करना और उनका कायाकल्प करना है। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

- “जल निकायों (डब्ल्यूबी) की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर)” की एक केंद्र प्रायोजित योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही जो कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का एक घटक है जिसके तहत पारंपरिक जल निकायों की सफाई जैसे कार्य किए जाते हैं।

- जलवायु परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत एक समर्पित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) की स्थापना की गई है।

- जल संतुलन स्थापित करने के लिए अधिशेष नदी बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में अतिरिक्त जल का अंतरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा गया है।

- उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और भूजल और सतही जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर रही है जिनमें जल शक्ति मंत्रालय के पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की अटल भूजल योजना के साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग की पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

**(घ):** जल राज्य का विषय है और ग्रामों में जल स्वास्थ्य आंकलन के लिए पहल करने सहित भूजल और सतही जल प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- राष्ट्र के जल स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए देश के भूजल संसाधनों की, नियमित स्तरता और गुणवत्ता निगरानी और संसाधन आंकलन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्थागत ढांचे पर आधारित है। सीजीडब्ल्यूबी, वार्षिक रूप से देश के गतिशील भूजल संसाधन का आंकलन करता है जिसमें ब्लॉक-स्तरीय आंकलन किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी अपने निगरानी कुओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से निर्धारित अंतरालों पर भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी भी करता है। इस प्रकार सृजित भूजल संबंधी आंकड़े विभिन्न स्टेकहोल्डरों के उपयोग हेतु रिपोर्टों और वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं।

• सीजीडब्ल्यूबी ने जिला-स्तर पर जलभृत क्षमताओं और विशेषताओं को चित्रित करते हुए, देश के 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मैप योग्य क्षेत्र के लिए, जलभृत मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया है। कार्यान्वयन के लिए इन मानचित्रण अध्ययनों के आधार पर संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आगे उपयुक्त भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं।

- इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) जैसे संगठन अपने संबंधित अधिदेशों के अनुसार, सतही जल पैरामीटरों की निगरानी में लगे हुए हैं।
- अटल भूजल योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में समग्र भूजल परिदृश्य की निगरानी के लिए, भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी नियमित आधार पर निर्दिष्ट कुओं के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों में फील्ड परीक्षण किटों के माध्यम से जल गुणवत्ता के लिए 1,40,000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण किया गया है।
- देश के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत जल गुणवत्ता पहलू पर विशेष जोर दिया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदण्डों के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस 10500 मानक अपनाए गए हैं, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों का नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, मोनिटरिंग और निगरानी में सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

\*\*\*\*\*

"जल बजट" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2320 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

| जल शक्ति अभियान: कैच द रेन<br>राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय |              |                              |      |      |      |                                 |      |      |      |                                 |      |      |      |               |      |      |      |            |      |      |      |         |  |
|--|--------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------|--|
| कार्यकलाप-वार व्यय : (डीओआरडी-मनरेगा)                              |              |                              |      |      |      |                                 |      |      |      |                                 |      |      |      |               |      |      |      |            |      |      |      |         |  |
| व्यय (रुपए लाख में)  |              |                              |      |      |      |                                 |      |      |      |                                 |      |      |      |               |      |      |      |            |      |      |      |         |  |
| क्र.सं.  | राज्य        | जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन |      |      |      | पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण |      |      |      | पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं |      |      |      | वाटरशेड विकास |      |      |      | सघन वनीकरण |      |      |      | कुल योग |  |
|  |              | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2021          | 2022 | 2023 | 2024 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |         |  |
| 1  | अंडमान और नि |                              | 61   | 53   | 27   |                                 | 18   | 39   | 14   |                                 | 1    | 0    | 0    |               | 44   | 51   | 19   |            | 2    | 0    | 5    | 334     |  |



|        |  |           |          |          |          |           |               |          |          |         |         |         |        |           |               |          |          |          |          |          |          |            |
|--------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|        | और<br>नगर<br>हवे<br>ली<br>और<br>दम<br>न<br>और<br>दीव |           |          |          |          |           |               |          |          |         |         |         |        |           |               |          |          |          |          |          |          |            |
| 8      | गोवा   | 8         | 20       | 2        | 16       | 14        | 64            | 12       | 28       | 18      | 7       | 0       | 5      | 42        | 40            | 1        | 19       | 6        | 7        | 1        | 1        | 311        |
| 9      | गुज<br>रात   | 299<br>89 | 71<br>12 | 37<br>01 | 22<br>89 | 318<br>43 | 13<br>56<br>7 | 76<br>07 | 31<br>86 | 70<br>2 | 34<br>4 | 14<br>6 | 9<br>4 | 238<br>30 | 15<br>26<br>8 | 72<br>79 | 40<br>03 | 97<br>60 | 48<br>10 | 26<br>33 | 17<br>56 | 169<br>919 |
| 1<br>0 | हरि<br>या<br>णा                                      | 816<br>0  | 14<br>67 | 71<br>3  | 54<br>9  | 941<br>9  | 20<br>58      | 14<br>28 | 92<br>9  | 20<br>5 | 2       | 0       | 0      | 155<br>55 | 20<br>75      | 14<br>65 | 13<br>14 | 14<br>79 | 21<br>2  | 28<br>1  | 24<br>1  | 475<br>52  |
| 1<br>1 | हिमा<br>चल<br>प्रदेश                                 | 103<br>99 | 35<br>43 | 27<br>72 | 11<br>63 | 206<br>2  | 89<br>9       | 62<br>3  | 26<br>8  | 44<br>5 | 15<br>6 | 10<br>8 | 7<br>3 | 306<br>53 | 11<br>52<br>8 | 74<br>89 | 28<br>35 | 32<br>71 | 17<br>44 | 15<br>61 | 62<br>0  | 822<br>12  |

|        |                 |            |               |               |               |           |               |               |          |               |          |          |                  |            |               |                |               |                |               |               |               |            |
|--------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1      | जम्भू और कश्मीर | 211<br>13  | 76<br>53      | 44<br>69      | 24<br>88      | 426<br>0  | 20<br>47      | 11<br>56      | 61<br>6  | 13<br>46      | 76<br>15 | 37<br>82 | 1<br>5<br>7<br>2 | 467<br>00  | 88<br>95      | 90<br>13       | 37<br>49      | 43<br>63       | 12<br>01      | 78<br>8       | 44<br>1       | 133<br>267 |
| 1<br>3 | झारखंड          | 653<br>89  | 63<br>35      | 0             | 73<br>63      | 180<br>5  | 21<br>7       | 0             | 12<br>3  | 89<br>3       | 14       | 0        | 1<br>1           | 654<br>22  | 17<br>03<br>3 | 0              | 12<br>89      | 15<br>52<br>6  | 90<br>22      | 0             | 22<br>17      | 192<br>659 |
| 1<br>4 | कर्नाटक         | 152<br>232 | 57<br>79<br>8 | 27<br>95<br>6 | 17<br>21<br>9 | 557<br>96 | 18<br>25<br>9 | 94<br>74      | 70<br>13 | 31<br>12<br>4 | 54<br>06 | 24<br>20 | 1<br>7<br>2<br>5 | 145<br>501 | 60<br>34<br>6 | 26<br>91<br>5  | 16<br>37<br>4 | 14<br>12<br>61 | 62<br>38<br>0 | 34<br>85<br>8 | 21<br>39<br>1 | 895<br>448 |
| 1<br>5 | केरल            | 665<br>94  | 16<br>83<br>9 | 30<br>69<br>8 | 29<br>64      | 203<br>78 | 86<br>91      | 10<br>61<br>7 | 16<br>82 | 17<br>56<br>0 | 53<br>40 | 68<br>01 | 4<br>7<br>3      | 227<br>170 | 68<br>42<br>1 | 11<br>91<br>30 | 90<br>70      | 28<br>73<br>1  | 87<br>78      | 15<br>58<br>2 | 21<br>12      | 667<br>631 |
| 1<br>6 | लद्दाख          | 181<br>1   | 32<br>8       | 53<br>4       | 26<br>7       | 44        | 22            | 36            | 28       | 10            | 43<br>3  | 52<br>8  | 5<br>7           | 137<br>7   | 55<br>8       | 85<br>1        | 16<br>2       | 91             | 14            | 33            | 14            | 719<br>8   |

|    |             |        |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |     |        |       |       |       |       |       |      |      |        |
|----|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 17 | लक्ष्मीप    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0    | 0    | 4      |
| 18 | मध्य प्रदेश | 289962 | 60101 | 46372 | 17849 | 18735 | 15387 | 12161 | 3306 | 13452 | 3352 | 2693 | 720 | 167205 | 40754 | 32360 | 10858 | 32674 | 10151 | 8097 | 5030 | 791219 |
| 19 | महाराष्ट्र  | 13842  | 8019  | 5325  | 1343  | 6592  | 7371  | 3014  | 564  | 1540  | 906  | 363  | 149 | 13884  | 6326  | 3310  | 650   | 40921 | 17965 | 6491 | 6146 | 144721 |
| 20 | मणिपुर      | 16988  | 363   | 7886  | 6460  | 2573  | 302   | 3912  | 4221 | 267   | 1    | 18   | 0   | 4616   | 104   | 2367  | 1681  | 10662 | 201   | 2033 | 1739 | 66394  |
| 21 | मेघालय      | 10993  | 3634  | 2263  | 4348  | 1210  | 412   | 275   | 572  | 251   | 137  | 58   | 161 | 12777  | 4004  | 2248  | 3708  | 8297  | 2562  | 1380 | 1706 | 60996  |
| 22 | मिजोरम      | 15690  | 13209 | 4032  | 36    | 976   | 684   | 147   | 8    | 613   | 452  | 97   | 7   | 7767   | 4993  | 1452  | 56    | 2437  | 1655  | 326  | 2    | 54639  |

|        |                  |            |               |                |                |            |               |               |               |          |          |          |                  |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |          |
|--------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 2<br>3 | नागा<br>लैंड     | 178<br>6   | 27<br>66      | 43<br>61       | 47<br>1        | 143        | 98<br>1       | 17<br>75      | 23<br>2       | 95       | 5        | 20<br>3  | 0                | 908        | 14<br>75      | 39<br>09      | 11<br>70      | 52<br>16      | 10<br>29<br>4 | 14<br>21<br>6 | 12<br>48      | 512<br>54       |          |
| 2<br>4 | ओडि<br>शा        | 981<br>19  | 48<br>79<br>1 | 30<br>29<br>1  | 25<br>14<br>6  | 527<br>61  | 27<br>36<br>3 | 18<br>59<br>3 | 15<br>25<br>3 | 30<br>64 | 28<br>09 | 19<br>21 | 1<br>6<br>3<br>9 | 112<br>456 | 56<br>30<br>0 | 35<br>88<br>1 | 26<br>01<br>0 | 87<br>27<br>5 | 32<br>10<br>9 | 10<br>04<br>0 | 15<br>87<br>0 | 701<br>691      |          |
| 2<br>5 | पुडुचे<br>री     | 2          | 63            | 16             | 25             | 119<br>1   | 13<br>82      | 30<br>9       | 16            | 0        | 0        | 0        | 0                | 2          | 0             | 13            | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 0               | 302<br>1 |
| 2<br>6 | पंजा<br>ब        | 458<br>4   | 20<br>85      | 13<br>79       | 34<br>7        | 213<br>52  | 94<br>56      | 73<br>62      | 25<br>49      | 53<br>9  | 99       | 66       | 1<br>0           | 172<br>69  | 84<br>56      | 58<br>03      | 17<br>15      | 13<br>55<br>2 | 97<br>52      | 62<br>94      | 30<br>48      | 115<br>717      |          |
| 2<br>7 | राज<br>स्था<br>न | 340<br>715 | 79<br>53<br>9 | 13<br>46<br>89 | 12<br>12<br>99 | 123<br>062 | 27<br>75<br>8 | 46<br>83<br>2 | 38<br>86<br>8 | 14<br>42 | 57<br>6  | 84<br>2  | 8<br>0<br>6      | 964<br>17  | 22<br>27<br>1 | 40<br>85<br>9 | 29<br>54<br>4 | 59<br>81<br>6 | 12<br>49<br>7 | 22<br>27<br>5 | 18<br>11<br>6 | 121<br>822<br>3 |          |
| 2<br>8 | सि<br>क्कि<br>म  | 121<br>1   | 67<br>2       | 37<br>3        | 20<br>3        | 7          | 44            | 26            | 11            | 11<br>1  | 59       | 13       | 9                | 308<br>0   | 17<br>77      | 11<br>58      | 59<br>7       | 20<br>67      | 13<br>87      | 37<br>0       | 15<br>4       | 133<br>29       |          |

|    |              |        |        |        |       |        |       |       |       |       |      |      |     |        |        |        |       |        |       |       |       |         |
|----|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 29 | तमिलनाडु     | 535753 | 234042 | 183325 | 2945  | 82412  | 41877 | 35262 | 1923  | 23400 | 3714 | 2585 | 193 | 221445 | 114273 | 68300  | 862   | 32314  | 15245 | 15410 | 1109  | 1616389 |
| 30 | तेलंगाना     | 4875   | 12061  | 10298  | 3026  | 20936  | 35471 | 22592 | 9500  | 94    | 67   | 53   | 23  | 14760  | 18670  | 12879  | 3810  | 7860   | 20173 | 14193 | 10025 | 221366  |
| 31 | त्रिपुरा     | 28565  | 7357   | 9056   | 1445  | 2214   | 658   | 1010  | 270   | 897   | 146  | 251  | 38  | 37901  | 6682   | 7532   | 1018  | 21139  | 4011  | 3933  | 948   | 135071  |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 82990  | 83180  | 35773  | 14328 | 52431  | 68636 | 25551 | 11299 | 3553  | 637  | 326  | 88  | 370516 | 248265 | 125993 | 40737 | 27749  | 18789 | 4184  | 1683  | 1216708 |
| 33 | उत्तराखण्ड   | 12825  | 4875   | 3390   | 1729  | 3824   | 1648  | 1075  | 718   | 1057  | 312  | 209  | 104 | 33222  | 10142  | 8823   | 4730  | 4918   | 1626  | 1107  | 695   | 97029   |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 200281 | 0      | 0      | 0     | 138107 | 0     | 0     | 0     | 11248 | 0    | 0    | 0   | 140881 | 0      | 0      | 0     | 234531 | 0     | 0     | 0     | 725048  |

|     |         |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |   |         |    |    |    |         |    |    |    |     |
|-----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|----|----|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|-----|
| कुल | 245     | 81 | 70 | 27 | 100     | 43 | 35 | 13 | 12     | 34 | 25 | 9 | 209     | 83 | 62 | 19 | 87      | 26 | 18 | 10 | 115 |
|     | 918     | 79 | 23 | 91 | 169     | 29 | 62 | 97 | 67     | 48 | 79 | 2 | 967     | 42 | 13 | 09 | 93      | 65 | 57 | 87 | 722 |
|     | 5       | 45 | 76 | 12 | 4       | 65 | 89 | 79 | 49     | 2  | 1  | 8 | 8       | 97 | 00 | 48 | 28      | 50 | 43 | 44 | 36  |
|     | 4258618 |    |    |    | 1930727 |    |    |    | 196303 |    |    |   | 3746223 |    |    |    | 1440365 |    |    |    | 115 |
|     |         |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |   |         |    |    |    |         |    |    |    | 722 |
|     |         |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |   |         |    |    |    |         |    |    |    | 36  |



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2319  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**जम्मू और श्रीनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट**

**2319. श्री गुलाम अली:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जम्मू और श्रीनगर शहरों में 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (एसटीपी) की वर्तमान क्षमता कितनी-कितनी है और क्या यह इन शहरों की सीवेज उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और
- (ख) क्या सरकार की इन शहरों में नई 'सीवेज ट्रीटमेंट' सुविधाएं स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो इन सुविधाओं के पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) और (ख): जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जम्मू और श्रीनगर शहरों में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापित शोधन क्षमता - कुल अनुमानित सीवेज उत्पादन क्रमशः 77.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) और 158.3 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की तुलना में 72.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) और 67 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। श्रीनगर में, 60 एमएलडी और 07 एमएलडी क्षमता के दो एसटीपी 2-3 वर्ष की अवधि पूरी होने के साथ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सिवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों को जल निकायों अथवा भूमि में प्रवाहित करने से पहले उसमें प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व होता है। देश में गैर-गंगा बेसिन में नदियों के संरक्षण के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, श्रीनगर में 8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता के सृजन सहित झेलम नदी के संरक्षण की परियोजना अनुमोदित की गई है।

इसके अतिरिक्त, आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत और अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत भी सीवेज अवसंरचनाएं सृजित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2318  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

फलड वॉच इंडिया ऐप 2.0 का शुभारंभ

2318. डा. पस्मार जशवंतसिंह सालमसिंह:

डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फलड वॉच इंडिया ऐप 2.0 के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;
- (ख) क्या इसके शुरूआती दौर में शामिल किए गए केन्द्रों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है;
- (ग) क्या इस ऐप में सटीक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए किसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): फलड वॉच इंडिया ऐप का उद्देश्य सीडब्ल्यूसी के निगरानी/बाढ़ पूर्वानुमान (एफएफ) केन्द्रों से लगभग न्यूनतम समय के भीतर बाढ़ की सूचना प्रदान करना और आपदा तैयारी के लिए समय पर निर्णय लेने के लिए आम जनता और अन्य सरकारी हितधारकों को सीडब्ल्यूसी के बाढ़ पूर्वानुमान (एफएफ) केन्द्रों पर तैयार किए गए नदी पूर्वानुमान का प्रसार करना है। जिसके निम्न उद्देश्य हैं:

- सीडब्ल्यूसी के निगरानी/ बाढ़ पूर्वानुमान (एफएफ) केन्द्रों पर वर्तमान बाढ़ की स्थिति की जानकारी प्रदान करना
- सीडब्ल्यूसी के एफएफ स्टेशनों के लिए तैयार की गई अल्प अवधि और 7-दिवसीय परामर्शी स्तर के पूर्वानुमान का प्रसार करना
- कई प्रारूपों (पठनीय और ऑडियो) और भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में जानकारी प्रदान करने के लिए
- अखिल भारतीय कवरेज के साथ 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति की जानकारी प्रदान करना।

(ख): इसके आरंभ से, अब तक के बाढ़ की स्थिति की सूचना दर्शाने वाले स्टेशनों की संख्या 200 से बढ़ाकर 592 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस वर्जन में देश में 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थितियों के संबंध में अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध कराई गई है जिससे उनके अनुप्रवाह क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ): फलड वॉच ऐप एक विजुअलाइज़ेशन/प्रसार उपकरण है जो मौजूदा के बाढ़ संबंधी जानकारी प्राप्त करता है और पूर्वानुमान तैयार करता है अर्थात् गेज-टू-गेज सहसंबंध (शॉर्ट रेंज) और गणितीय मॉडलिंग (7-दिवसीय बाढ़ सलाहकार) के माध्यम से अनुमानित जानकारी। यह एंड्रॉइड और आईओएस, दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2317**  
**जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**गोदावरी नदी का संरक्षण**

**2317. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विष्णुपुरी बांध का निरीक्षण करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई की अद्यतन जानकारी क्या है, क्या निरीक्षण हुआ है और महाराष्ट्र सरकार के साथ सहभागिता से बांध की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं;
- (ख) वर्तमान में गोदावरी नदी के संरक्षण हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ग) क्या सरकार गोदावरी नदी के संरक्षण के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की योजना बना रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** माननीय सांसद डॉ. अजीत गोपछड़े के दिनांक 25.07.2024 के पत्र द्वारा प्राप्त अनुरोध में विष्णुपुरी बैराज में गाद के जमाव की पहचान करने से जुड़ा सर्वेक्षण करने हेतु, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों की एक टीम ने गाद की समस्या का आंकलन करने और समाधान पद्धति का प्रस्ताव करने के लिए दिनांक 12.11.2024 को विष्णुपुरी बांध, महाराष्ट्र का दौरा किया गया था।

बांध के निरीक्षण और परियोजना से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह पाया गया कि वहां गाद संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं है और समिति ने उन्हें कुछ एहतियाती सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया।

**(ख) और (ग):** भारत सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश में चिन्हित किए गए प्रदूषित नदी खंडों में प्रदूषण के उपशमन और नदियों के संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रही है।

महाराष्ट्र में, नांदेड़, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के संरक्षण संबंधी परियोजनाओं को 87.13 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दी गई थी और इस प्रकार से 4 सीवेज उपचार संयंत्रों में प्रति दिन 127 मिलियन लीटर की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2314**  
**जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**बिहार में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति और उसकी बारम्बारता को कम करने के लिए कदम**  
**2314. श्री संजय यादव:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने यह जानकारी दी है कि बिहार देश में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, तथा उत्तरी बिहार की 76 प्रतिशत आबादी बार-बार आने वाले बाढ़ की तबाही के खतरे में जी रही है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण नेपाल से पानी छोड़ा जाना है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि पटना उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को कोसी विकास प्राधिकरण (केडीए) स्थापित करने का निदेश दिया है; और
- (घ) यदि हां, तो केडीए स्थापित करने तथा बिहार में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति और उसकी बारम्बारता को कम करने में मदद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** देश बिहार सहित विभिन्न भागों में अलग-अलग मात्राओं में बाढ़ और कटाव की समस्या का सामना करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार सरकार के सहयोग से नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा तैयार किए गए बिहार की बाढ़ जोखिम एटलस (2020) के अनुसार, उत्तरी बिहार में लगभग 76% आबादी, बारम्बार बाढ़ की तबाही के खतरे में रहती है।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2024 में प्रकाशित "भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1986 से वर्ष 2022 तक बिहार में के उपग्रह डेटा के आधार पर 29.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है।

**(ख):** उत्तरी बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण उत्तरी बिहार की नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा के ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों में, जो मुख्यतः नेपाल में स्थित हैं, भारी वर्षा होना है जिससे इन नदियों से अत्यधिक बहिस्साव आ जाता है।

**(ग) और (घ):** कोसी विकास प्राधिकरण की स्थापना का मामला सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4176/2022 के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2312  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों की गणना

2312. श्री संजय कुमार झा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में जल निकायों की गणना करायी है;
- (ख) यदि हां, तो विशेष रूप से बिहार में उक्त गणना की समयावधि और उद्देश्य सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) बिहार राज्य सहित प्रत्येक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान जल निकायों की राज्य-वार पृथक-पृथक संख्या कितनी है;
- (घ) क्या विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कई जल निकायों पर भू-माफियाओं और अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जी हां।

जल शक्ति मंत्रालय ने 100% केंद्रीय सहायता से संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" के तहत 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल निकायों की पहली गणना आयोजित की है। यह गणना जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचाने गए नोडल विभागों के माध्यम से आयोजित की गई थी।

जल निकायों की गणना का उद्देश्य विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण की स्थिति आदि पर सूचना एकत्र करके सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है। बिहार सहित राज्यवार आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद जल निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक I** में दी गई है।

(घ): जल निकायों की पहली गणना से प्राप्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल निकायों पर अतिक्रमण के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिपोर्ट की गई संख्या **अनुलग्नक II** में दी गई है।

(ङ): जल निकायों के कथित अतिक्रमण पर कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

हालांकि, केंद्र सरकार स्थानीय आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास और उन्हें सतत जल सुरक्षा प्रदान करने में जल निकायों के महत्व को लेकर राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाती आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए जल निकायों का भूमि अभिलेखों में शामिल किया जाना और उन्हें नगर नियोजन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आदि जैसे आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में भी समय-समय पर पत्राचार किया जाता है।

\*\*\*\*\*

“जल निकायों की गणना” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2312 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक I

| जल निकायों की पहली गणना में जल निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या |                              |                     |               |                  |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| क्र. सं.   | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र      | जल नियमों की संख्या |               |                  |
|  |                              | ग्रामीण             | शहरी          | कुल              |
| 1  | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3497                | 31            | 3528             |
| 2  | आंध्र प्रदेश                 | 190263              | 514           | 190777           |
| 3  | अरुणाचल प्रदेश               | 893                 | 100           | 993              |
| 4  | असम                          | 170112              | 2380          | 172492           |
| 5  | बिहार                        | 43831               | 1962          | 45793            |
| 6  | चंडीगढ़                      | 23                  | 165           | 188              |
| 7  | छत्तीसगढ़                    | 33519               | 481           | 34000            |
| 8  | दिल्ली                       | 849                 | 44            | 893              |
| 9  | गोवा                         | 1406                | 57            | 1463             |
| 10   | गुजरात                       | 53156               | 913           | 54069            |
| 11   | हरियाणा                      | 14898               | 0             | 14898            |
| 12   | हिमाचल प्रदेश                | 87364               | 653           | 88017            |
| 13   | जम्मू और कश्मीर              | 9687                | 78            | 9765             |
| 14   | झारखंड                       | 106176              | 1422          | 107598           |
| 15   | कर्नाटक                      | 26224               | 789           | 27013            |
| 16   | केरल                         | 49725               | 6009          | 55734            |
| 17   | मध्य प्रदेश                  | 81012               | 1631          | 82643            |
| 18   | महाराष्ट्र                   | 96343               | 719           | 97062            |
| 19   | मणिपुर                       | 1369                | 289           | 1658             |
| 20   | मेघालय                       | 12798               | 534           | 13332            |
| 21   | मिजोरम                       | 1436                | 749           | 2185             |
| 22   | नागालैंड                     | 1287                | 145           | 1432             |
| 23   | ओडिशा                        | 178054              | 3783          | 181837           |
| 24   | पुडुचेरी                     | 1050                | 121           | 1171             |
| 25   | पंजाब                        | 15831               | 181           | 16012            |
| 26   | राजस्थान                     | 16750               | 189           | 16939            |
| 27   | सिक्किम                      | 122                 | 12            | 134              |
| 28   | तमिलनाडु                     | 99414               | 7543          | 106957           |
| 29   | तेलंगाना                     | 63063               | 992           | 64055            |
| 30   | त्रिपुरा                     | 32140               | 4099          | 36239            |
| 31   | उत्तराखंड                    | 2970                | 126           | 3096             |
| 32   | उत्तर प्रदेश                 | 240139              | 4948          | 245087           |
| 33   | पश्चिम बंगाल                 | 719654              | 27826         | 747480           |
|  | <b>कुल</b>                   | <b>23,55,055</b>    | <b>69,485</b> | <b>24,24,540</b> |

**अनुलग्नक II**

“जल निकायों की गणना” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2312 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

| जल निकायों की पहली गणना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित अतिक्रमणों की संख्या |                              |               |              |               |
|--|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| क्र. सं.   | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र      | ग्रामीण       | शहरी         | कुल           |
| 1  | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 59            | 0            | 59            |
| 2  | आंध्र प्रदेश                 | 3871          | 49           | 3920          |
| 3  | अरुणाचल प्रदेश               | 0             | 0            | 0             |
| 4  | असम                          | 6             | 7            | 13            |
| 5  | बिहार                        | 779           | 92           | 871           |
| 6  | चंडीगढ़                      | 0             | 0            | 0             |
| 7  | छत्तीसगढ़                    | 111           | 0            | 111           |
| 8  | दिल्ली                       | 199           | 17           | 216           |
| 9  | गोवा                         | 8             | 0            | 8             |
| 10   | गुजरात                       | 3             | 19           | 22            |
| 11   | हरियाणा                      | 50            | 0            | 50            |
| 12   | हिमाचल प्रदेश                | 42            | 0            | 42            |
| 13   | जम्मू एवं कश्मीर             | 102           | 1            | 103           |
| 14   | झारखंड                       | 559           | 1            | 560           |
| 15   | कर्नाटक                      | 948           | 0            | 948           |
| 16   | केरल                         | 103           | 8            | 111           |
| 17   | मध्य प्रदेश                  | 1750          | 29           | 1779          |
| 18   | महाराष्ट्र                   | 251           | 0            | 251           |
| 19   | मणिपुर                       | 0             | 6            | 6             |
| 20   | मेघालय                       | 6             | 0            | 6             |
| 21   | मिजोरम                       | 4             | 3            | 7             |
| 22   | नागालैंड                     | 1             | 0            | 1             |
| 23   | ओडिशा                        | 1028          | 20           | 1048          |
| 24   | पुडुचेरी                     | 26            | 8            | 34            |
| 25   | पंजाब                        | 1577          | 1            | 1578          |
| 26   | राजस्थान                     | 45            | 2            | 47            |
| 27   | सिक्किम                      | 0             | 0            | 0             |
| 28   | तमिलनाडु                     | 7360          | 1006         | 8366          |
| 29   | तेलंगाना                     | 2920          | 112          | 3032          |
| 30   | त्रिपुरा                     | 1             | 0            | 1             |
| 31   | उत्तराखंड                    | 4             | 1            | 5             |
| 32   | उत्तर प्रदेश                 | 14923         | 378          | 15301         |
| 33   | पश्चिम बंगाल                 | 0             | 0            | 0             |
|  | <b>कुल</b>                   | <b>36,736</b> | <b>1,760</b> | <b>38,496</b> |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2311**  
**जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**कर्नाटक में भूजल पुनर्भरण संबंधी आंकड़े**

**2311. डा. सैयद नसीर हुसैन:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अटल भूजल योजना (एबीवाई) - राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
- (ख) कर्नाटक में इन गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई; और
- (ग) इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में कितनी वृद्धि हुई?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): भारत सरकार दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक खंडों/तालुकों की जल की कमी वाली 8,203 ग्राम पंचायतों में 6000 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ अटल भूजल योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, को लागू कर रही है। इस योजना को कर्नाटक में जल की कमी वाले 14 जिलों के 41 प्रशासनिक ब्लॉकों की 1199 ग्राम पंचायतों में शुरू किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अटल भूजल योजना के अंतर्गत किए गए कार्य निम्नलिखित हैं:

- सभी अटल जल ग्राम पंचायतों में विभिन्न तरीकों जैसे कि केंद्र/ राज्य वेब पोर्टल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिस्प्ले बोर्ड, सोशल मीडिया, वॉल-पेंटिंग, पैम्फलेट/ब्रोशर का वितरण, सार्वजनिक बैठकें और अटल जल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा का सार्वजनिक खुलासा।
- सभी 1199 ग्राम पंचायतों के लिए समुदाय आधारित जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गईं और उन्हें वार्षिक आधार पर अद्यतन किया गया।
- ग्राम पंचायत स्तर पर भूजल निगरानी प्रणाली को डिजिटल जल स्तर रिकार्डर, जल स्तर संकेतक, वर्षा मापक, जल गुणवत्ता परीक्षण किट, जल प्रवाह मीटर आदि जैसे उपकरण प्रदान करके सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों में जल स्तर की निगरानी के लिए पिजोमीटर यंत्र का निर्माण किया गया है।

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अंतर्गत, 07 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, 44 जिला स्तरीय प्रशिक्षण, 114 ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण और 18355 ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण; यानी कुल 18520 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- कन्नड़ में लोक नृत्यों/गीतों जैसी उन्नत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रथाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर जन-जागरूकता और संवेदीकरण का उपयोग स्थायी भूजल प्रबंधन का संदेश देने के लिए किया गया है।
- डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु 1018 करोड़ रुपये से अधिक का संमिलित व्यय किया गया है।
- लगभग 1.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप, स्प्रींकलर, मल्टिचिंग, फसल विविधीकरण आदि सहित कुशल जल उपयोग पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है।

(ख): कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अटल भूजल योजना के घटकों के अंतर्गत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है -

(राशि रु. करोड़ में)

| अटल भूजल योजना के अंतर्गत घटक                      | अनंतिम आवंटन   | जारी की गई निधि | व्यय          |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| संस्थागत सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण (आईएस व सीबी) | 194.51         | 62.30           | 64.82*        |
| प्रोत्साहन   | 1007.01        | 721.69          | 541.41        |
| <b>कुल</b>   | <b>1201.52</b> | <b>783.99</b>   | <b>609.23</b> |

\* वर्ष 2020-21 में 2.52 करोड़ रुपये जारी की गई निधि से खर्च किए गए।

(ग): कर्नाटक के 18 ब्लॉकों में 255 ग्राम पंचायतों द्वारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत किए गए कार्यकलापों सहित विभिन्न कारकों के कारण वर्ष 2023 में जल स्तर में वृद्धि देखी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2310  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाएं**

**2310. श्री राजीव शुक्ला:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली कितनी मध्यम, बहुउद्देशीय और बड़ी परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन हेतु लंबित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के पूरा हो जाने पर कुल कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा;
- (ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;
- (घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और
- (ङ) मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ङ): छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादित की जाने वाली मध्यम, बहुउद्देशीय अथवा वृहद परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन/अनुमोदन के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ की डीपीआर नियत नियमों और शर्तों के अधीन तैयार करने के लिए सीडब्ल्यूसी के दिनांक 22.05.2020 के पत्र के द्वारा "सैद्धांतिक" मंजूरी प्रदान कर दी गई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य शुरू कर दिया है। सिंचाई क्षमता और परियोजना की अनुमानित लागत को परियोजना का सर्वेक्षण और जांच पूरी होने के बाद निर्णायक रूप दिया जाएगा।

कोलबीरा मध्यम सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ की डीपीआर नियत नियमों और शर्तों के अधीन तैयार करने के लिए सीडब्ल्यूसी के दिनांक 31.03.2021 के पत्र द्वारा "सैद्धांतिक" मंजूरी भी प्रदान की गई है। परियोजना की डीपीआर राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2023 में सीडब्ल्यूसी, रायपुर को प्रस्तुत की गई थी। नवंबर, 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार से और जानकारी मांगी गई थी। जिसके उत्तर में छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि यह योजना अलाभकारी और अव्यवहार्य प्रतीत होती है। अतः इस स्कीम को केन्द्रीय जल आयोग में जांचाधीन परियोजनाओं की सूची से हटा दिया गया है।

इसके अलावा, ऊपरी सिकसर जलाशय परियोजना, खारंग-अहिरन लिंक परियोजना, दंडपानी टैंक परियोजना, शेखरपुर प्रमुख टैंक परियोजना और छत्तीसगढ़ की पैरी उच्च बांध परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए वर्ष 2019-2020 के दौरान सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत की गई थी। ये परियोजनाएं महानदी बेसिन में आती हैं और इनके अंतर्राज्यीय पहलू हैं। महानदी और इसके बेसिन के संबंध में जल विवादों के अधिनिर्णयन के लिए भारत सरकार द्वारा महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सह-बेसिन राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय करार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः केन्द्रीय जल आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए हैं।

चूंकि उपर्युक्त परियोजनाएं सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार किए जाने के चरण में हैं और इन्हें केन्द्रीय सहायता के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की किसी चालू स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इन परियोजनाओं के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2309  
जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों को प्रदूषण से बचाना

2309. श्री आदित्य प्रसाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में, विशेषकर झारखंड में, उद्योगों और होटलों से निकलने वाले अशोधित मलजल और अपशिष्ट जल को सीधे नदियों, छोटी नदियों और नालों में बहाए जाने के कारण नदियां बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो रांची जिले और अन्य जिलों में कुल कितनी नदियां, नालें और छोटी नदियां प्रदूषित हो गई हैं;
- (ग) इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं; और
- (घ) उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत प्रमुख नदियों के अलावा किन छोटी नदियों और नालों को शामिल किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): देश में नदियां मुख्यतः शहरों/कस्बों से अशोधित और आंशिक रूप से शोधित सीवेज तथा उनके कैचमेंट क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्रावों के डिस्चार्ज के कारण प्रदूषित और संदूषित होती हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कटाव, चट्टानों की आवा-जाही और अवसादन, मिट्टी, कृषि रनऑफ खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट डंपिंग साइटों से निकलने वाले रनऑफ आदि भी नदी के प्रदूषण में कारक बनते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों को मानीटर किया गया और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे, जिनमें रांची और झारखंड के अन्य जिलों के 9 प्रदूषित नदी खंड शामिल हैं। इनकी सूची अनुलग्नक में दी गई है।

**(ग) और (घ):** नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व होता है। नदियों की सफाई और पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश में नदियों/सहायक नदियों/छोटी नदियों (गंगा बेसिन को छोड़कर) के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों को संपूरित करता रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से छोटी नदियों सहित गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों का संरक्षण किया जाता है।

झारखंड राज्य में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के अंतर्गत, प्रतिदिन 261.5 मिलियन लीटर सीवेज शोधन क्षमता सृजित करने के लिए 1,310.30 करोड़ रुपये की लागत से कुल पांच सीवेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 15.5 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

इसके अलावा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवेज अवसंरचना सृजित की जाती है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत छोटी नदियों के प्रभावी संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

“नदियों को प्रदूषण से बचाना” विषय पर दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2022 में सीपीसीबी द्वारा झारखंड में चिन्हित किए गए 9 प्रदूषित नदी खंडों की सूची

| क्र. सं. | नदी का नाम | प्रदूषित नदी खण्ड/स्थान                        | पाया गया अधिकतम बीओडी स्तर | प्राथमिकता श्रेणी |
|----------|------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1        | हरमू       | रांची के साथ                                   | 10.1                       | III               |
| 2        | खरखई       | सोनारी के साथ                                  | 8.0                        | IV                |
| 3        | सुवर्णरेखा | रांची के साथ, मुरी के साथ, जमशेदपुर के साथ     | 10.0                       | IV                |
| 4        | बोकारो     | जारंगडीह के साथ                                | 3.9                        | V                 |
| 5        | दामोदर     | तेलमुचो के साथ, जारंगडीह के साथ, रामगढ़ के साथ | 3.5                        | V                 |
| 6        | गर्गा      | तेलमुचो के साथ,                                | 4.9                        | V                 |
| 7        | जुमर       | नगरी से भूति                                   | 5.3                        | V                 |
| 8        | कतरी       | मूनीडीह के साथ                                 | 3.6                        | V                 |
| 9        | कोड़ना     | मनोहरपुर के साथ                                | 3.1                        | V                 |

\*\*\*\*\*

| श्रेणी         | बीओडी मिलीग्राम प्रति लीटर (मिलीग्राम/लीटर) |
|----------------|---|
| प्राथमिकता I   | बीओडी 30 मिलीग्राम/लीटर से अधिक             |
| प्राथमिकता II  | बीओडी 20-30 मिलीग्राम/लीटर के बीच           |
| प्राथमिकता III | बीओडी 10-20 मिलीग्राम/लीटर के बीच           |
| प्राथमिकता IV  | बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर के बीच            |
| प्राथमिकता V   | बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर के बीच             |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2308**  
**जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**भूजल में आर्सेनिक, पारा और फ्लोराइड**

**2308. श्री आर. गिरिराजन:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भूजल में आर्सेनिक, पारा और फ्लोराइड संदूषण के उच्च स्तर के कारण मानव और पशुओं पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार के पास आर्सेनिक, पारा और फ्लोराइड के संदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव या परियोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी राशि संस्वीकृत की गई है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड अथवा पारा युक्त भूजल का पेय उद्देश्यों के लिए निरंतर अवधि तक उपयोग किए जाने से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। उपलब्ध अनुसंधान और शोध पत्रों के अनुसार, आर्सेनिक से संदूषित जल के लंबे समय तक सेवन से आर्सेनिक विषाक्तता या आर्सेनिकोसिस, त्वचा कैंसर, मूत्राशय, गुर्दे, फेफड़े या त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पेय जल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा लोगों को क्रीपलिंग स्केलटल और/या डेंटल फ्लोरोसिस का खतरा हो सकता है। इसी तरह, पेय जल में पारा आदि जैसी भारी धातुओं की उच्च सांद्रता से गुर्दे की बीमारियां, विषाक्तता और कैंसर हो सकता है।

**(ग):** जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों समर्थित किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- i. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूरे देश में नियमित आधार पर आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातुओं सहित कई संदूषकों के लिए भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग किया जाता है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आकड़ों का भी सृजन किया जाता है। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छिटपुट पाकेटों के भूजल में मानव उपभोग के लिए अनुमत्य सीमाओं (बीआईएस के अनुसार) से अधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातुओं की उपस्थिति है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सृजित भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न

हितधारकों के उपयोग हेतु रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को साझा भी किया जाता है।

ii. भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

- जल जीवन मिशन के तहत, नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को अपनाया गया है।
- जेजेएम दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाए।
- जेजेएम में यह निर्दिष्ट है कि नल जल कनेक्शन के माध्यम से घरों में पेय जल की आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम उपाय के रूप में प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावित रिहाइशों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूजल और पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड अथवा भारी धातुओं जैसे अलग-अलग संदूषकों के उन्मूलन के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की जाती हैं। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2024-25 (नवंबर के महीने तक) तक केंद्र सरकार द्वारा 4.3 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी और देश में 12.1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2306  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

देश के शहरों में जल संरक्षण

2306. सुश्री दोला सेन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश के शहरों में कुशल जल प्रबंधन, विशेष रूप से भूजल पुनर्भरण में विलवलीकरण के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई पहल शुरू करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भूजल संसाधनों की स्थिति पर अध्ययन कराया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा/विद्युत ऊर्जा के एक अंश द्वारा बहु प्रभाव डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग करते हुए विलवणीकरण द्वारा खारे समुद्री जल से पीने योग्य पानी और साथ ही खनिज रहित जल बनाने के लिए किया जाता है। इस समय मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन (एमएपीएस), कलपक्कम में ऐसा ही एक संयंत्र चालू है। हालाँकि, यह तकनीक उन स्थानों पर उपयुक्त है जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे स्रोतों से रिजेक्टेड हीट निकलती है। यह प्रमाणित हो चुका है कि भूजल के उपचार के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन तकनीक उपयुक्त होगी।

(ख) और (ग): देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का मूल्यांकन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और दिल्ली एवं बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों सहित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। आकलन वर्ष 2023 के लिए, दिल्ली और बेंगलुरु के शहरी क्षेत्रों के सक्रिय भूजल संसाधन क्रमशः अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-11 में प्रस्तुत किए गए हैं। हालाँकि, अपर्याप्त आंकड़ों के कारण वर्ष 2023 में मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भूजल पुनर्भरण तंत्र पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जांच की गई है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक शहरीकृत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल संसाधनों के स्थायित्व का मूल्यांकन करना है।

\*\*\*\*\*

“देश के शहरों में जल संरक्षण” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 2306 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

**दिल्ली शहरी क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधन (मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार)**

| क्र.सं.        | राज्य  | ज़िला         | मूल्यांकन इकाई का नाम | वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (हैम) | कुल निष्कर्षण (हैम) | भूजल निष्कर्षण का चरण (%) | वर्गीकरण (अति-दोहित/ गंभीर/अर्ध-गंभीर/सुरक्षित/ खारा) |
|----------------|--------|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|---|
| 1              | दिल्ली | मध्य          | सिविल लाइन्स          | 1420.91                                   | 970.53              | 68.3                      | सुरक्षित  |
| 2              | दिल्ली | मध्य          | करोल बाग              | 150.11                                    | 171.83              | 114.47                    | अति-दोहित   |
| 3              | दिल्ली | मध्य          | कोतवाली               | 635.33                                    | 598.6               | 94.22                     | गंभीर   |
| 4              | दिल्ली | पूर्व         | गांधीनगर              | 79.5                                      | 72.7                | 91.45                     | गंभीर   |
| 5              | दिल्ली | पूर्व         | मयूर विहार            | 719.03                                    | 711.15              | 98.9                      | गंभीर   |
| 6              | दिल्ली | पूर्व         | प्रीत विहार           | 673.88                                    | 609.06              | 90.38                     | गंभीर   |
| 7              | दिल्ली | नजूल भूमि     | नजूल भूमि             | 458.9                                     | 314.04              | 68.43                     | सुरक्षित  |
| 8              | दिल्ली | नई दिल्ली     | चाणक्यपुरी            | 535.32                                    | 703.67              | 131.45                    | अति-दोहित   |
| 9              | दिल्ली | नई दिल्ली     | दिल्ली छावनी          | 1023.75                                   | 1281.58             | 125.18                    | अति-दोहित   |
| 10             | दिल्ली | नई दिल्ली     | वसंत विहार            | 1062.67                                   | 1627.27             | 153.13                    | अति-दोहित   |
| 11             | दिल्ली | उत्तर         | अलीपुर                | 1806.39                                   | 1615.52             | 89.43                     | अर्ध-गंभीर  |
| 12             | दिल्ली | उत्तर         | मॉडल टाउन             | 535.83                                    | 518.62              | 96.79                     | गंभीर   |
| 13             | दिल्ली | उत्तर         | नरेला                 | 1865.92                                   | 2458.85             | 131.78                    | अति-दोहित   |
| 14             | दिल्ली | उत्तर पूर्व   | करावल नगर             | 610.64                                    | 694.88              | 113.8                     | अति-दोहित   |
| 15             | दिल्ली | उत्तर पूर्व   | सीलमपुर               | 724.34                                    | 616.84              | 85.16                     | अर्ध-गंभीर  |
| 16             | दिल्ली | उत्तर पूर्व   | यमुना विहार           | 262.73                                    | 378.66              | 144.13                    | अति-दोहित   |
| 17             | दिल्ली | उत्तर पश्चिम  | कंझावला               | 843.29                                    | 574.14              | 68.08                     | सुरक्षित  |
| 18             | दिल्ली | उत्तर पश्चिम  | रोहिणी                | 2126.74                                   | 1299.64             | 61.11                     | सुरक्षित  |
| 19             | दिल्ली | शाहदरा        | सरस्वती विहार         | 484.13                                    | 404.52              | 83.56                     | अर्ध-गंभीर  |
| 20             | दिल्ली | शाहदरा        | सीमापुरी              | 494.85                                    | 490.58              | 99.14                     | गंभीर   |
| 21             | दिल्ली | शाहदरा        | शाहदरा                | 375                                       | 448.78              | 119.67                    | अति-दोहित   |
| 22             | दिल्ली | दक्षिण        | विवेक विहार           | 577.45                                    | 729.74              | 126.37                    | अति-दोहित   |
| 23             | दिल्ली | दक्षिण        | हौज़ खास              | 972.53                                    | 970.78              | 99.82                     | गंभीर   |
| 24             | दिल्ली | दक्षिण        | महरौली                | 1103.45                                   | 1300.99             | 117.9                     | अति-दोहित   |
| 25             | दिल्ली | दक्षिण पूर्व  | साकेत                 | 1951.04                                   | 2269.33             | 116.31                    | गंभीर   |
| 26             | दिल्ली | दक्षिण पूर्व  | डिफेंस कॉलोनी         | 879.03                                    | 864.77              | 98.38                     | गंभीर   |
| 27             | दिल्ली | दक्षिण पश्चिम | कालकाजी               | 915.8                                     | 875.52              | 95.6                      | अति-दोहित   |
| 28             | दिल्ली | दक्षिण पश्चिम | सरिता विहार           | 568.55                                    | 567.97              | 99.9                      | सुरक्षित  |
| 29             | दिल्ली | दक्षिण पश्चिम | द्वारका               | 2279.6                                    | 2275.66             | 99.83                     | गंभीर   |
| 30             | दिल्ली | दक्षिण पश्चिम | कापसहेड़ा             | 2170.39                                   | 2488.16             | 114.64                    | अर्ध-गंभीर  |
| 31             | दिल्ली | पश्चिम        | नजफगढ़                | 2494.49                                   | 1735.59             | 69.58                     | अति-दोहित   |
| 32             | दिल्ली | पश्चिम        | पटेल नगर              | 1445.87                                   | 1395.77             | 96.53                     | गंभीर   |
| 33             | दिल्ली | पश्चिम        | पंजाबी बाग            | 1679.31                                   | 1484.3              | 88.39                     | सुरक्षित  |
| 34             | दिल्ली | मध्य          | राजौरी गार्डन         | 522.46                                    | 630.51              | 120.68                    | अति-दोहित   |
| <b>कुल योग</b> |        |               |                       | <b>34449.23</b>                           | <b>34150.55</b>     | <b>99.13</b>              | <b>गंभीर</b>  |

“देश के शहरों में जल संरक्षण” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

**बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधन (मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार)**

| क्र.सं.        | राज्य   | ज़िला           | मूल्यांकन इकाई का नाम | वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (हैम) | कुल निष्कर्षण (हैम) | भूजल निष्कर्षण का चरण (%) | वर्गीकरण (अति-दोहित/ गंभीर/अर्ध-गंभीर/सुरक्षित / खारा) |
|----------------|---------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
| 1              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | अनेकल                 | 8444.71                                   | 8637.31             | 102.28                    | अति-दोहित  |
| 2              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | बेंगलोर (उत्तर)       | 1600.8                                    | 3348.83             | 209.2                     | अति-दोहित  |
| 3              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | बेंगलोर शहर           | 2128.15                                   | 4626.69             | 217.4                     | अति-दोहित  |
| 4              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | बेंगलोर-पूर्व         | 2450.63                                   | 5007.84             | 204.35                    | अति-दोहित  |
| 5              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | बेंगलोर-दक्षिण        | 4311.46                                   | 5137.7              | 119.16                    | अति-दोहित  |
| 6              | कर्नाटक | बेंगलुरु (शहरी) | येलहंका               | 2410.32                                   | 5439.97             | 225.69                    | अति-दोहित  |
| <b>कुल योग</b> |         |                 |                       | <b>21346.07</b>                           | <b>32198.34</b>     | <b>150.84</b>             | <b>अति-दोहित</b>                                       |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2303  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल की कमी की समस्या

2303. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की निगरानी समिति द्वारा उजागर की गई जल की कमी की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2039 तक पंजाब का भूजल स्तर 300 मीटर से नीचे चला जाएगा;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा 2020 के ब्लॉक-वार भूजल संसाधन मूल्यांकन के अनुसरण में कोई कदम उठाए हैं, जिसमें पाया गया था कि पंजाब के अधिकांश जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा (सीजीडब्ल्यूबी) नियमित अंतरालों पर पंजाब राज्य सहित देश भर में भूजल स्तरों की मॉनिटरिंग की जाती है। पंजाब राज्य के लिए नवंबर 2023 माह के दौरान मैपिंग किए गए भूजल स्तर का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। पंजाब राज्य में मॉनीटर किए गए कुओं में से 64.60% कुओं में 0 से 20 मीटर भूतल से नीचे के मध्य जल स्तर पाया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान पंजाब में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मॉनिटरिंग किए गए लगभग 34.60% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

जल राज्य का विषय है। सुधारात्मक उपायों के साथ जल की कमी की समस्या का समाधान करना राज्य सरकारों के अधिदेश के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। पंजाब राज्य सहित देश में भूजल गिरावट को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं -

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों सहित पंजाब के 10 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। पंजाब के 50,369 वर्ग किमी सहित पूरे देश में लगभग 25 लाख वर्ग किमी के मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हुए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया है। पंजाब राज्य के मास्टर प्लान में लगभग 1200 एमसीएम वर्षा जल का संचयन करने के लिए लगभग 11 लाख संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 तक पंजाब में पीडीएमसी के तहत 15,173 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जा चुका है।
- v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य पंजाब सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 1,450 पंजाब में हैं।
- vi. देश में भूजल की स्थिति में संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की कई अन्य महत्वपूर्ण पहल का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

<https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/>

(ग), (घ) और (ङ) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से नियमित आधार देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है और वर्ष 2022 से इसे वार्षिक आधार पर किया गया है। वर्ष 2023 की पिछली उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य के लिये भूजल निष्कर्षण का चरण

(एसओई), जो क्षेत्र में कुल निष्कर्षण योग्य भूजल एवं सभी उपयोगों के लिये कुल भूजल निष्कर्षण का अनुपात है, का आकलन 163.76% किया गया है, जो वर्ष 2020 के एसओई 164.42% की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब में सुरक्षित आकलन इकाइयों का कुल प्रतिशत इस अवधि के दौरान 11.33% से बढ़कर 13.07% हो गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भूजल एक पुनर्भरणीय संसाधन होने के कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा और अन्य स्रोतों जैसे सिंचाई से वापसी प्रवाह, नहर रिसाव, सतही जल निकायों से पुनर्भरण आदि के माध्यम इसका पुनर्भरण होता है और सामूहिक और लगातार प्रयासों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

पंजाब में भूजल की स्थिति में संवर्धन और इसके सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय पहल की गई हैं:

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें एक कृषि प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जो जल के लागत प्रभावी उपयोग और जल से अधिकतम लाभ, और जल उपयोग दक्षता में वृद्धि तथा न्यूनतम अपव्यय पर आधारित है। इस नीति को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध कराया गया है।
- ii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी स्कीम के तहत देश में भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी परामर्श के आधार पर राज्यों को किसानों के लिए अपनी मुफ्त/रियायती विद्युत नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाने और भूजल पर अति-निर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्रण/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे कार्य करने के लिए कृषि विभाग, पंजाब द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देकर धान के कृषि क्षेत्र को जल की कम खपत वाली अन्य फसलों की ओर विविधीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
- iv. जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श के आधार पर पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्लूआरडीए) की स्थापना की गई है ताकि राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके।

\*\*\*\*\*

"जल की कमी की समस्या" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पंजाब राज्य के संबंध में मानसून पश्चात 2023 के लिए भूजल आंकड़ों का जिला-वार विवरण

| क्र. सं. | जिले का नाम   | विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या | जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) की संख्या/प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाले कूप |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |            |
|----------|---------------|---------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
|          |               |                                 | 0 से 2   |             | 2 से 5    |             | 5 से 10   |             | 10 से 20  |             | 20 से 40  |             | > 40      |            |
|          |               |                                 | संख्या   | %           | संख्या    | %           | संख्या    | %           | संख्या    | %           | संख्या    | %           | संख्या    | %          |
| 1        | अमृतसर        | 10                              | 0  | 0.0         | 1         | 10.0        | 2         | 20.0        | 3         | 30.0        | 4         | 40.0        | 0         | 0.0        |
| 2        | बरनाला        | 5                               | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 2         | 40.0        | 3         | 60.0       |
| 3        | बठिंडा        | 25                              | 0  | 0.0         | 1         | 4.0         | 4         | 16.0        | 10        | 40.0        | 10        | 40.0        | 0         | 0.0        |
| 4        | फरीदकोट       | 18                              | 1  | 5.6         | 7         | 38.9        | 1         | 5.6         | 7         | 38.9        | 2         | 11.1        | 0         | 0.0        |
| 5        | फतेहगढ़ साहिब | 12                              | 1  | 8.3         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 2         | 16.7        | 9         | 75.0        | 0         | 0.0        |
| 6        | फाजिल्का      | 17                              | 6  | 35.3        | 8         | 47.1        | 2         | 11.8        | 1         | 5.9         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0        |
| 7        | फिरोजपुर      | 12                              | 1  | 8.3         | 5         | 41.7        | 2         | 16.7        | 3         | 25.0        | 1         | 8.3         | 0         | 0.0        |
| 8        | गुरदासपुर     | 21                              | 1  | 4.8         | 8         | 38.1        | 4         | 19.0        | 7         | 33.3        | 1         | 4.8         | 0         | 0.0        |
| 9        | होशियारपुर    | 23                              | 2  | 8.7         | 4         | 17.4        | 6         | 26.1        | 4         | 17.4        | 6         | 26.1        | 1         | 4.3        |
| 10       | जालंधर        | 13                              | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 3         | 23.1        | 3         | 23.1        | 7         | 53.8        | 0         | 0.0        |
| 11       | कपूरथला       | 7                               | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 4         | 57.1        | 3         | 42.9        | 0         | 0.0        |
| 12       | लुधियाना      | 14                              | 3  | 21.4        | 1         | 7.1         | 1         | 7.1         | 6         | 42.9        | 3         | 21.4        | 0         | 0.0        |
| 13       | मानसा         | 6                               | 0  | 0.0         | 1         | 16.7        | 1         | 16.7        | 1         | 16.7        | 3         | 50.0        | 0         | 0.0        |
| 14       | मोगा          | 10                              | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 2         | 20.0        | 6         | 60.0        | 2         | 20.0       |
| 15       | मुक्तसर       | 11                              | 5  | 45.5        | 5         | 45.5        | 0         | 0.0         | 1         | 9.1         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0        |
| 16       | पठानकोट       | 12                              | 3  | 25.0        | 6         | 50.0        | 2         | 16.7        | 1         | 8.3         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0        |
| 17       | पटियाला       | 18                              | 4  | 22.2        | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 9         | 50.0        | 5         | 27.8       |
| 18       | रूपनगर        | 10                              | 1  | 10.0        | 3         | 30.0        | 2         | 20.0        | 1         | 10.0        | 3         | 30.0        | 0         | 0.0        |
| 19       | संगरूर        | 9                               | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 3         | 33.3        | 6         | 66.7       |
| 20       | एसएस नगर      | 13                              | 1  | 7.7         | 5         | 38.5        | 3         | 23.1        | 2         | 15.4        | 0         | 0.0         | 2         | 15.4       |
| 21       | एसबीएस नगर    | 5                               | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 1         | 20.0        | 1         | 20.0        | 3         | 60.0        | 0         | 0.0        |
| 22       | तरन तारन      | 12                              | 0  | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 6         | 50.0        | 6         | 50.0        | 0         | 0.0        |
|          | <b>कुल</b>    | <b>283</b>                      | <b>29</b>  | <b>10.2</b> | <b>55</b> | <b>19.4</b> | <b>34</b> | <b>12.0</b> | <b>65</b> | <b>23.0</b> | <b>81</b> | <b>28.6</b> | <b>19</b> | <b>6.7</b> |

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2302  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

देश में बाढ़

2302. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में आई बाढ़ का वर्ष-वार, क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान बांधों के कारण आई बाढ़ संबंधी ब्यौरा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि देश में 5745 बांध हैं, जिनमें से 293 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा 25 प्रतिशत बांध 50 से 100 वर्ष पुराने हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो बांधों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में अधिक सक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): बाढ़ मूल रूप से एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका सामना भारत को लगभग हर साल परिमाणों के अलग-अलग स्तर पर करना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ निगरानी के लिए एक नोडल संगठन है। सीडब्ल्यूसी के, देश भर में संचालित होने वाले दो प्रकार के पूर्वानुमान केन्द्रों अर्थात् स्तर पूर्वानुमान केन्द्र और प्रवाह पूर्वानुमान केन्द्र होते हैं। स्तर पूर्वानुमान केन्द्र स्थानीय प्रशासन एवं अन्य एजेंसियों को बाढ़ के प्रभावों को कम करने के उपायों पर निर्णय लेने में मदद करते हैं, जैसे कि लोगों और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।

बांधों का एक कार्य फलड के लिए एक कुशन प्रदान करना और प्रवाह पूर्वानुमान केन्द्रों की सहायता से बाढ़ की उग्रता को विनियमित करके बाढ़ को कम करना है। एक बार जब अंतर्वाह थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक हो जाता है, तो सीडब्ल्यूसी विभिन्न जलाशयों और बांधों के लिए प्रवाह पूर्वानुमान जारी करता है। इसका उपयोग परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जलाशयों के इष्टतम उपयोग के लिए किया जाता है, ताकि अनुप्रवाह में बाढ़ के पानी के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके और गैर-मानसून अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण भी सुनिश्चित किया जा सके।

सीडब्ल्यूसी नेटवर्क के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में अत्यधिक बाढ़ (जब पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर से अधिक जल स्तर हो जाता है) का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

**(घ) और (ङ):** राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और सीडब्ल्यूसी द्वारा संयुक्त रूप से संकलित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी-2023 संस्करण) के अनुसार, 6138 निर्मित और 143 निर्माणाधीन बांध हैं जिससे कुल मिलाकर 6281 बड़े बांध बनते हैं। इस संख्या में से केवल 224 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 1065 बड़े बांध ऐसे हैं जो कि 50 से 100 वर्ष पुराने हैं। इन बड़े बांधों का ब्यौरा <http://cwc.gov.in/publication/nrld> पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम बांधों के टूटने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उनका सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करने और उनके अनुषांगिक या आकस्मिक मामलों के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत, निर्दिष्ट बांधों की निगरानी और सुरक्षित रखरखाव के लिए प्रत्येक में एक केन्द्रीय (एनसीडीएस और एनडीएसए) और एक राज्य स्तर (एससीडीएस और एसडीएसओ) पर दो संस्थान स्थापित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित बांध सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहने के लिए, बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत निर्दिष्ट बांधों की बाढ़ डिजाइन समीक्षा (डीएफआर) से जुड़ा एक अनिवार्य प्रावधान है। डीएफआर के संशोधित मान के आधार पर, बांधों के सुरक्षित संचालन के लिए बांध मालिकों द्वारा संभावित संरचनात्मक या गैर-संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिसूचित नियमों के अनुसार: "अधिनियम की धारा 38 के खंड (ख) की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बाढ़ डिजाइन समीक्षा हर दस साल या उससे कम अवधि में किए जाने का प्रावधान है, जैसा कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, बांध के मालिक का यह अधिदेशात्मक दायित्व है कि वह रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल और मौसम वैज्ञानिक डेटा तथा जलाशयों के संचालन से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना और संचालन करे।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय सीडब्ल्यूसी के माध्यम से 19 राज्यों और 3 केंद्रीय एजेंसियों के 736 चयनित बांधों के पुनर्वास के लिए बाहरी वित्त पोषित योजना ट्रिप चरण-II और III को लागू कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निरीक्षण दौरों के आधार पर किसी पुनर्वास कार्य की तैयारी करने से पहले बांध के बाढ़ डिजाइन की समीक्षा करना अनिवार्य है।

\*\*\*\*\*

"देश में बाढ़" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2302 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2020-2024 की अवधि के दौरान बाढ़ की चरम स्थिति का सामना करने वाले बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र

| वर्ष | राज्य         | जिला                    | नदी       | बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र |
|------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 2020 | असम           | शिवसागर                 | दिखौ      | शिवसागर                  |
|      | बिहार         | गोपालगंज                | गंडक      | डुमरीघाट                 |
|      |               | मुजफ्फरपुर              | गंडक      | रेवाघाट                  |
|      |               | समस्तीपुर               | बूढ़ीगंडक | रोसेरा                   |
|      | ओडिशा         | बालासोर                 | जलका      | मथानी रोड ब्रिज          |
|      | आंध्र प्रदेश  | पूर्वी गोदावरी          | सबरी      | चिंटूरू                  |
|      | कर्नाटक       | गुलबर्गा                | भीमा      | देवगांव ब्रिज            |
| 2021 | बिहार         | पटना                    | गंगा      | हाथीदाह                  |
|      |               | भागलपुर                 | गंगा      | भागलपुर                  |
|      | उत्तर प्रदेश  | औरैया                   | यमुना     | औरैय्या                  |
|      |               | बुडुआन                  | गंगा      | कचलाब्रिज                |
|      |               | सिद्धार्थनगर            | राप्ती    | बंसी                     |
|      | ओडिशा         | बालासोर                 | जलका      | मथानी रोड ब्रिज          |
|      | पश्चिम बंगाल  | कूचबिहार                | तीस्ता    | मेखलीगंज(आर/बी)          |
|      | आंध्र प्रदेश  | नेल्लोर                 | पेन्नार   | नेल्लोर एनीकट            |
| 2022 | असम           | नागांव                  | कोपिली    | कामपुर                   |
|      | बिहार         | किशनगंज                 | महानंदा   | तैयबपुर                  |
|      |               | सुपौल                   | कोसी      | बसुआ                     |
|      |               | सिवान                   | घाघरा     | दरौली                    |
|      | तेलंगाना      | भूपालपल्ली              | गोदावरी   | कालेश्वरम                |
|      |               | कुमारम्भीम              | वर्धा     | सिरपुर(टी)               |
|      | आंध्र प्रदेश  | अल्लूरी<br>सीतारामाराजू | साबरी     | चिंटूरू                  |
|      | राजस्थान      | करौली                   | चंबल      | मंडल                     |
|      |               | धौलपुर                  | चंबल      | धौलपुर                   |
|      | उत्तर प्रदेश  | बलरामपुर                | राप्ती    | बलरामपुर                 |
|      |               | सिद्धार्थनगर            | राप्ती    | बंसी                     |
| 2023 | एनसीटी दिल्ली | उत्तरी दिल्ली           | यमुना     | दिल्ली रेलवे ब्रिज       |
|      | उत्तर प्रदेश  | बदायूं                  | गंगा      | कछलाब्रिज                |
|      | असम           | शिवसागर                 | दिखौ      | शिवसागर                  |
|      | तेलंगाना      | कुमुरामभीम              | वर्धा     | सिरपुर टाउन              |

|                         | सिक्किम             | दक्षिण सिक्किम | तीस्ता      | मेल्ली                          |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| (अक्टूबर<br>2024<br>तक) | असम<br>उत्तर प्रदेश | जोरहाट         | ब्रह्मपुत्र | नेमाटीघाट                       |
|                         |                     | सोनितपुर       | जियाभराली   | जिया-भराली एनटी<br>रोड क्रॉसिंग |
|                         |                     | शिवसागर        | दिखोउ       | शिवसागर                         |
|                         |                     | डिब्रूगढ़      | बरीदेहिंग   | खोवांग                          |
|                         | असम                 | सीतामढ़ी       | बागमती      | ढेंग ब्रिज                      |
|                         |                     | मुजफ्फरपुर     | बागमती      | रुन्नीसैदपुर                    |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा उत्सव 2024

2301. श्री लहर सिंह सिरिया:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री बाबू राम निषाद:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मां गंगा के संरक्षण और उसके प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देने में गंगा उत्सव की क्या भूमिका है;
- (ख) गंगा उत्सव 2024 में भाग लेने वाले गंगा बेसिन के जिलों की संख्या कितनी है; और
- (ग) जल संरक्षण में जन भागीदारी का क्या महत्व है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): गंगा उत्सव का उद्देश्य गंगा बेसिन के किनारे रहने वाले लोगों के बीच जन-जागरूकता सृजित करना, भागीदारी, जुड़ाव और व्यावहारिक जन-परिवर्तन लाना है। इस उत्सव में गंगा के पुनरुद्धार में जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प की दिशा में हितधारक जुड़ाव और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गंगा उत्सव 2024 नदी के कायाकल्प के उद्देश्य से तकनीकी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक गतिविधियों का मिश्रण था। पहली बार, भारत में नदियों के उत्सव के लिए एक मॉडल उत्सव के रूप में कार्य करने के लिए गंगा नदी के तट पर एक केंद्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, नदी पेशेवरों, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों, एनएमसीजी के भागीदारों, कंपनियों, आध्यात्मिक नेताओं, उत्तराखंड के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और एनएमसीजी अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी शामिल थी।

इस कार्यक्रम में "नागरिक नेतृत्व में शहरी नदी प्रबंधन", उपचारित जल का पुनःउपयोग: नीति से व्यवहार तक, तथा नदी पुनरुद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर तकनीकी सत्र शामिल थे। आध्यात्मिकता और नदी के संरक्षण के बीच गहरे संबंध पर चर्चा करने के लिए एक आध्यात्मिक सत्र आयोजित किया गया। युवाओं और बच्चों को नदियों से जोड़ने के लिए कहानी सुनाने के सत्रों के साथ-साथ गंगा से संबंधित फिल्में दिखाई गईं। विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रदर्शनियों में प्रौद्योगिकियों, जैव विविधता, पहलों और नमामि गंगे तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया। गंगा आरती से गंगा बेसिन में और उसके आसपास सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिकों के साथ नदी के जुड़ाव को मजबूत किया गया।

**(ख):** गंगा की मुख्य धारा वाले राज्यों में 139 जिले हैं जिन्हें जिला गंगा समिति के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2024 में 110 से अधिक जिलों में गंगा उत्सव मनाया गया।

**(ग):** जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न पहलों और गतिविधियों की स्थिरता के लिए आम जनता सहित समाज के सभी क्षेत्रों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है। घरेलू स्तर पर पानी के उपयोग को कम करने के लिए कटौती, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के सिद्धांत को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन द्वारा जल संरक्षण, सामुदायिक स्तर पर उपचारित जल का पुनःउपयोग आदि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें जल संरक्षण और टिकाऊ जल रीतियों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1508

जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा कटाव के कारण पश्चिमी बंगाल में नुकसान

1508. श्री समीरुल इस्लाम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में गंगा कटाव के कारण कितने मकान नष्ट हुए और जमीन को कितना नुकसान हुआ;
- (ख) जिन लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई है, क्या उन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है; और
- (ग) गंगा के और अधिक कटाव को रोकने के लिए विभाग की याचना क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ क्षति के बारे में राज्यवार आंकड़े संबंधित राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक पश्चिम बंगाल से संबंधित बाढ़ क्षति के आंकड़े **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है तथा अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आंकलन करती है और भारत सरकार के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके पास मौजूद राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

(ग): बाढ़ प्रबंधन और अपरदन-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराते

हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है और साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, अपरदन-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री अपरदन रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और आगे वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जारी रहा।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध के अनुसार, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के विभागों के सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिले में गंगा-पद्मा नदी द्वारा उत्पन्न अपरदन के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना हेतु एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करेगी।

\*\*\*\*\*

“गंगा कटाव के कारण पश्चिमी बंगाल में नुकसान” के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

| पश्चिम बंगाल  |            |                                     |                                |                              |                   |                |                   |                     |                  |  |  |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|--|
| वर्ष 2021 से 2023 के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण |            |                                     |                                |                              |                   |                |                   |                     |                  |  |  |
| क्र.सं.   | वर्ष       | प्रभावित क्षेत्र (मि. हेक्टेयर में) | प्रभावित जनसंख्या (मिलियन में) | फसलों का नुकसान              |                   | घरों का नुकसान |                   | मृत पशुओं की संख्या | जान-माल की क्षति | सार्वजनिक संपत्ति की क्षति (करोड़ रु. में) | फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति को हुआ कुल नुकसान (करोड़ रुपये में) |
|   |            |                                     |                                | कार्य-क्षेत्र (मि. हेक्टेयर) | मूल्य (करोड़ रु.) | सं.            | मूल्य (करोड़ रु.) |                     |                  |  |  |
| 1   | 2021       | 1.01                                | 4.00                           | 0.97                         | 6355.76           | 236201         | 3383.23           | 136                 | 163              | 6340.46                                    | 16079.45   |
| 2   | 2022       | 0.02                                | 0.06                           | 0.00                         | 0.26              | 3028           | 3.11              | 1                   | 25               | 0.32                                       | 3.69   |
| 3   | 2023       | शून्य                               | शून्य                          | शून्य                        | शून्य             | शून्य          | शून्य             | शून्य               | शून्य            | शून्य                                      | शून्य  |
|   | <b>कुल</b> | <b>1.03</b>                         | <b>4.06</b>                    | <b>0.97</b>                  | <b>6356.02</b>    | <b>239229</b>  | <b>3386.34</b>    | <b>137</b>          | <b>188</b>       | <b>6340.78</b>                             | <b>16083.14</b>  |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 1512

जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**बहुउद्देशीय उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना**

**1512. श्री आदित्य प्रसाद:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने झारखंड की बहुउद्देशीय उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी राशि जारी की जा चुकी है;
- (ग) उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है;
- (घ) क्या कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार किया जा रहा है;
- (ङ) यदि इसमें विलंब रो रहा है, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) सरकार उक्त परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से निगरानी कर रही है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2023 में 2430.76 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा:1,836.41 करोड़ रुपये) की संशोधित लागत से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक केंद्रीय हिस्से के रूप में 771.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

बांध और सहायक कार्यों पर 10%, बैराज पर 100%; बायीं मुख्य नहर पर 86%, दाहिनी मुख्य नहर (झारखंड भाग) पर 22% और दाहिनी मुख्य नहर (बिहार भाग) पर 15% प्रगति हुई है।

अक्टूबर, 2023 में परियोजना के अनुमोदन के दौरान निर्धारित समय-सीमा के अनुसार परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2026 है।

(च): सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति एवं सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, बिहार और झारखंड की दोनों राज्य सरकारों और वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड के सदस्य सहित, इस परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1511  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद

1511. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में कृषि और ग्रामीण जल आवश्यकताओं की तुलना में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देने के सामाजिक-विधिक निहितार्थ क्या हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सत्ता के बदलते समीकरण और आधिपत्य संबंधी हित, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों संबंधी बादचीत और समाधान को प्रभावित करते हैं तथा वंचित समुदायों के लिए इसके क्या परिणाम हैं; और
- (ग) प्रमुख जल प्रबंधन प्रतिमानों में अंतर्निहित ज्ञानमीमांसा और सत्तामूलक मान्यताएं क्या हैं और किस तरह से वे अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की उत्पत्ति और उनके समाधान को आकार देते हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम जो कि शहरी और ग्रामीण जल आवश्यकताओं की पूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। हालांकि, राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी के जल से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसडब्ल्यूआरडी) अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे विवादों पर निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल को गठित किया गया है; इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य/राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार से किए गए अनुरोध में उठाए गए मुद्दों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाता है, उन्हें सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1510  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

तेलंगाना में बाढ़ रोकथाम

1510. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार मानसून 2024 को दौरान तेलंगाना के विभिन्न जिलों में बाढ़ से होने वाली तबाही से अवगत है, यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी तबाही को रोकने और बाढ़ रोकथाम के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ख) क्या सरकार खम्मम जिले में मुन्नरु नदी के तट पर प्रतिधारक दीवार के निर्माण पर विचार कर रही है, यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार 2024 के मानसून के दौरान तेलंगाना के विभिन्न जिलों में आने वाली बाढ़ से अवगत है। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान और जरूरतों का आकलन करने के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) करना शुरू कर दिया है।

राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत, केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 के दौरान 31.11.2024 तक तेलंगाना सरकार को 416.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में जान-माल की हानि को कम करने और उचित जलाशय संचालन सुनिश्चित करने के लिए है, 24 घंटे तक के लीड टाइम के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है, साथ ही 7-दिवसीय बाढ़ परामर्शों पूर्वानुमान भी जारी करता है।

इस समय, सीडब्ल्यूसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 340 स्टेशनों (140 इनफ्लो पूर्वानुमान स्टेशन+200 लेवल पूर्वानुमान स्टेशन) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। यह नेटवर्क राज्य सरकार/परियोजना अधिकारियों के परामर्श से स्थापित किया गया है। तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रबंधित कुल 15 (10 इनफ्लो और 5 लेवल) बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन हैं।

मौजूदा मानसून ऋतु के दौरान 30 नवंबर 2024 तक तेलंगाना राज्य के लिए कुल 311 पूर्वानुमान (243 अंतर्वाह पूर्वानुमान और 68 लेवल पूर्वानुमान) जारी किए गए, जिनमें से 305 पूर्वानुमान 98.07% की सटीकता साथ सीमा के भीतर थे। सीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार किए गए बाढ़ पूर्वानुमानों को राज्य सरकार और जिला प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है।

**(ख):** बाढ़ प्रबंधन और अपरदन रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

इस समय, एफएमबीएपी के तहत "खम्मम जिले में मुन्नरु नदी के तट पर एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण" नामक परियोजना तेलंगाना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1509**  
**जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए योजनाएं**

**1509. डा. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए कोई योजनाएं क्रियान्वित की हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या तमिलनाडु के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कोई बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो इसके परिणाम एवं प्राप्त लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) तमिलनाडु में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) से (घ):** जल निकासी नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी नियंत्रण योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन उपायों को मोटे तौर पर संरचनात्मक उपायों और गैर-संरचनात्मक उपायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य किफायती लागत पर बाढ़ क्षति के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक आगे बढ़ाया गया। एफएमपी घटक के तहत तमिलनाडु सरकार को शुरुआत से ही 59.82 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिससे लगभग 3.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 20.17 लाख की आबादी को लाभ प्राप्त हुआ है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में बाढ़ पूर्वानुमान और आरंभिक बाढ़ चेतावनियों का कार्य करने के लिए एक नोडल संगठन है। यह नेटवर्क राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे के प्रतिक्रिया समय के साथ लघु-अवधि के पूर्वानुमानों के अलावा, सीडब्ल्यूसी ने अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों की अग्रिम एडवाइजरी सलाह के लिए वर्षा-बहाव गणितीय मॉडलिंग पर आधारित बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय मिल सके। इस समय, सीडब्ल्यूसी द्वारा 340 स्टेशनों (200 स्तरीय पूर्वानुमान और 140 अंतर्वाह पूर्वानुमान) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। तमिलनाडु में बाढ़ का पूर्वानुमान केंद्रीय जल आयोग द्वारा 15 स्टेशनों (4 स्तरीय पूर्वानुमान और 11 अंतर्वाह पूर्वानुमान) पर जारी किया जाता है।

**(ड):** तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उप-विंडो के अंतर्गत आवंटित धनराशि से ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, जल संसाधन विभाग, नगर प्रशासन और राजमार्ग विभाग के माध्यम से विभिन्न बाढ़ उपशमन कार्य किए गए।

गृह मंत्रालय के एनडीएमए ने चेन्नई नदी बेसिन के शहरीकृत क्षेत्रों के लिए 'व्यापक बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान' परियोजना विकसित करने और उसे लागू करने के लिए जेआईसीए (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) के साथ एक तकनीकी सहयोग परियोजना शुरू की है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत 3889.65 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के तहत 853.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1520  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

“जल संचय, जन भागीदारी” पहल

1520. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या “जल संचय, जन भागीदारी” पहल के तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और
- (घ) ऐसी संरचनाएं वर्षा जल संचयन को बढ़ाने तथा दीर्घकालिक जल संधारणीयता सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक होंगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (ऐएसए: सीटीआर) अभियान के तहत शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल: वर्षा जल संचयन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण/नवीकरण से संबंधित है, जिसमें बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं/निष्क्रिय बोरवेल, पुनर्भरण/रिचार्ज शाफ्ट और रिचार्ज पिट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिनांक 05.12.2024 तक लगभग 2.93 लाख वर्षा जल संचयन संरचनाएं निर्मित की गई हैं।

(ग): जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिनांक 07.10.2024 को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार किए गए सांकेतिक दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित पुनर्भरण संरचनाएं, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कम लागत, वाली संरचनाएं हैं जो, स्थानीय रूप से निर्मित संरचनाएं हैं, जिनकी लागत क्षेत्र की स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार, वर्षा पद्धति, कैचमेंट क्षेत्र, छत पर उपयोग की गई सामग्री, वर्षा जल भंडारण क्षमता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। कई प्रकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को परिभाषित किया गया है जिसमें सार्वजनिक और निजी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली, इंजेक्शन बोरवेल,

रिचार्ज पिट, खुले कुओं और पुनर्भरण कुओं, का पुनरुद्धार, पुनर्भरण शाफ्ट, तालाब स्थिरीकरण, बावड़ी का पुनरुद्धार आदि जैसे कार्य शामिल हैं।

**(घ):** ऐसी संरचनाओं के सृजन/नवीकरण का प्राथमिक लक्ष्य देश भर में, जल की कमी को दूर करने की दृष्टि से विशेषकर शुष्क मौसम के दौरान, कृषि एवं पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल को बढ़ावा देना और स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, वर्षा जल संचयन संरचनाएं अन्य बातों के साथ-साथ भूजल स्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देकर जलवायु अनुकूलता में वृद्धि, जल गुणवत्ता में सुधार आदि सुनिश्चित करती हैं, जिससे सूखे की स्थिति की संवेदनशीलता को कम किया जा सके और विभिन्न प्रयोक्ता समूहों की जल संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करके दीर्घकालिक जल स्थायित्व सुनिश्चित की जा सके।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1519

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना

1519. श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक:

श्री बाबू राम निषाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पोलावरम परियोजना से जुड़ी समय-सीमा और सुरक्षा संबंधी प्रमुख चिंताओं का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार से विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके इन मुद्दों का समाधान कर रही है; और
- (ख) सुरक्षा जोखिमों को न्यूनतम करने और परियोजना को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): पोलावरम सिंचाई परियोजना की सुरक्षा और परियोजना के पूरा होने से संबंधित प्राथमिक चिन्ताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- गैप-2 भाग में, अर्थ कोर रॉक फिल (ईसीआरएफ) बांध के गड्ढों में रिसाव।
- स्वास्थ्य मूल्यांकन और प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह कॉफ़रडैम का सुदृढ़ीकरण।
- गैप -1 और गैप -2 में ईसीआरएफ बांध की नींव में जमीन का सुधार कार्य।
- मानसून के मौसम के दौरान निर्बाध निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य बांध क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था।
- गैप-2 भाग में नई डायफ्राम दीवार और गैप -1 और गैप -2 भागों में ईसीआरएफ बांध का डिजाइन, योजना और निर्माण कार्य किया जाना।

सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना हेतु एक विशेषज्ञों के पैनल (पीओई) को तैनात किया है, जिसमें चार अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं जो पोलावरम सिंचाई परियोजना की सुरक्षा और पूर्णता से संबंधित तकनीकी और निर्माण प्रबंधन मुद्दों पर परामर्श प्रदान करेंगे। पीओई द्वारा पहले दौर में दिनांक 30 जून से 3 जुलाई, 2024 के दौरान और दूसरे दौर में दिनांक 6 नवंबर से 9 नवंबर, 2024 के दौरान परियोजना का निरीक्षण किया गया है। इन दौरों के दौरान पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ख): विशेषज्ञों के पैनल ने सुरक्षा जोखिमों को कम करने और पोलावरम सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदमों की सिफारिश की है।

- i. परीक्षण के परिणामों के आधार पर दोनों कॉफर बांधों से रिसाव के मुद्दे को हल करने के लिए उपचारात्मक उपाय।
- ii. सुरक्षा कारणों के लिए दोनों कॉफरडैम में बट्रेस बरम निर्माण।
- iii. सुरक्षा के साथ निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जल प्रबंधन योजना।
- iv. जमीनी सुधार कार्यों के मुद्दों को हल करने की पद्धति।
- v. नई डायफ्राम दीवार की योजना और निर्माण पर सुझाव।
- vi. गैप-1 और गैप-2 पर मुख्य बांध के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए परीक्षणों का सुझाव।
- vii. विशेषज्ञों के पैनल ने सुरक्षा जोखिमों को कम करने और समय पर परियोजना पूरा करने के लिए परियोजना नियोजन, निर्माण प्रबंधन और साइट संगठन संरचना पर अपनी टिप्पणियां दी हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1518  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**बाढ़ प्रबंधन योजनाएं**

**1518. श्री नरहरी अमीन:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रमुख योजनाएं कौन-कौन सी हैं;
- (ख) क्या सरकार को इन योजनाओं में देरी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ग) यदि हां, तो किन राज्यों से योजनाओं में देरी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
- (घ) क्या गुजरात राज्य में कोई बाढ़ प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को लागू किया था, जिसे बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और यह आगे वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जारी रहा। अक्टूबर 2024 तक विभिन्न राज्यों को एफएमपी घटक के तहत 7136.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

(ख) और (ग): किसी भी राज्य से बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में बिलम्ब से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): आज की तारीख में गुजरात में एफएमबीएपी स्कीम के अंतर्गत कोई बाढ़ प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1517  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**पोलावरम परियोजना के कारण विस्थापन**

**1517. श्री निरंजन बिशी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पोलावरम परियोजना के पूर्ण होने के बाद ओडिशा में कुल कितने गांवों के जलमग्न हो जाने की संभावना है और कुल कितने परिवार विस्थापित हो जाएंगे;
- (ख) मलकानगिरी जिले के प्रभावित गांवों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और
- (ग) इस परियोजना के नकारात्मक प्रभाव के संबंध में ओडिशा द्वारा जतायी गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार, यदि ओडिशा द्वारा ईएल+150 फीट से ऊपर की भूमि और परिसम्पत्तियों को जलमग्नता से बचाने के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था करते हुए सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प नहीं अपनाया जाता है तो ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 8 राजस्व ग्रामों, जिनमें परियोजना से प्रभावित 1,002 अनुमानित परिवार हैं, के पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के पूरा होने के कारण जलमग्नता से प्रभावित होने की संभावना है।

(ख): पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 02.04.1980 के अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार और साथ-साथ गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) अवार्ड 1980 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की जा रही है और इनके अनुसार, ओडिशा द्वारा अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से अधिक प्रभावित होने वाली संभावित भूमि और परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों के लिए या परियोजना लागत पर +150 फीट से नीचे के पैटर्न के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और परिसम्पत्तियों के लिए (प्रभावित ग्रामों से विस्थापित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन) के लिए विकल्प का चयन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 30.20 किमी (सिलेरु नदी के किनारे 12 किमी और सबरी नदी के किनारे

18.20 किमी) की कुल लंबाई के लिए उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था किए जाने सहित सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण के कार्य के प्रावधान को भी परियोजना में रखा गया है।

**(ग):** ओडिशा सरकार के दिनांक 10.07.2023 के पत्र द्वारा उठाई गई ओडिशा की चिन्ताओं के निपटारे के लिए, जिसमें मुख्य रूप से पीआईपी के बैकवाटर अध्ययन, परियोजना के कारण ओडिशा में जलमग्नता की सीमा और मूल सूट 04/2007 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2022 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर ओडिशा की आशंकाओं पर प्रकाश डाला गया था, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग में ओडिशा सहित हितधारक राज्यों के अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं और मुद्दों के समाधान पर एकमत होने की मांग के लिए कदम उठाए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1516  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा के एनसीआर में जलवाही स्तर का मानचित्रण

1516. श्रीमती किरण चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में हाई रिजोल्यूशन जलवाही स्तर के मानचित्रण का कार्य शुरू किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो मानचित्रण के लिए विशेष रूप से हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र अर्थात् फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी आदि में शामिल ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख) : हेलीबोर्न ट्रांसिएंट इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक (टीईएम) सर्वेक्षण का उपयोग करके उच्च-रिज़ॉल्यूशन जलभृत मानचित्रण को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों के कुछ हिस्सों में शुरू और पूरा किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में 9 ब्लाक शामिल किए गए हैं। हालांकि, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी जैसे जिलों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : हरियाणा में 2,644 वर्ग किलोमीटर सहित उत्तर-पश्चिम भारत के उपर्युक्त जल की कमी वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन जलभृत मानचित्रण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के अंतर्गत, उन्नत हेलीकॉप्टर-जनित टीईएम तकनीक को 3डी भूभौतिकीय मानचित्र प्राप्त करने के लिए लगभग निरंतर मोड में क्षेत्रीय पैमाने पर तेजी से कवरेज के लिए नियोजित किया गया था। इन परिणामों की आगे जमीन आधारित भूभौतिकीय विधियों, ड्रिलिंग, भूभौतिकीय लॉगिंग और पंपिंग परीक्षाओं द्वारा पुष्टि की गई थी। निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करने के लिए हेलीबोर्न डेटा को संसाधित और व्याख्यायित किया गया था:

- सामान्य जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों में 500 मीटर की गहराई तक विभिन्न लिथो-इकाइयों/फ्रेक्चर क्षेत्रों की उप-सतही स्थिति का पता लगाया गया है।

- अध्ययन क्षेत्र में सीमांकित लवणीय/मीठे पानी वाले क्षेत्र।
- अभिज्ञात जलभृतों के भीतर निरूपित संतृप्त/असंतृप्त क्षेत्र।
- क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैदानों पर 3डी भूभौतिकीय मॉडल, भूभौतिकीय विषयगत मानचित्र तैयार किए गए हैं।
- भूजल विकास के लिए 1296 संभावित स्थलों (हरियाणा में 158) और साथ ही प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण के लिए 1029 स्थलों (हरियाणा में 122) की पहचान की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1513  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

विभिन्न राज्यों में जल संकट

1513. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात के मद्देनजर कि जलाशयों का स्तर बहुत तेजी से घटकर क्षमता का 33 प्रतिशत मात्र रह गया है, विभिन्न राज्यों, विशेषकर नासिक, पुणे और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर जल संकट को दूर करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या महाराष्ट्र में जल रिसाव दर, जो वर्तमान में अनुमानतः 35 प्रतिशत है, को कम करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है ताकि निवासियों के बीच पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): क्योंकि जल राज्य का विषय है, अतः मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों की वृद्धि, संरक्षण और कुशल प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए कदम उठाए जाते हैं। केंद्रीय सरकार उनके प्रयासों को सहायता देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा "महाराष्ट्र जल संसाधन विनियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005" के प्रावधानों के अनुसार जल के समान रूप से वितरण को अपनाया गया है। मौजूदा वर्ष की दिनांक 15 अक्टूबर को बांधों में जल उपलब्धता के आधार पर जल की योजना अगले वर्ष की 15 जुलाई तक के लिए बनाई जाती है। राज्य जल नीति के अनुसार, पेयजल को उच्च प्राथमिकता दी गई है और उसके बाद इसका सिंचाई और औद्योगिक उपयोग किया जाता है।

जहां तक, महाराष्ट्र राज्य के नासिक और पुणे क्षेत्र का संबंध है, वहां जल निकायों और जलाशयों में जल भंडारण, उनकी पूर्ण क्षमता का क्रमशः 84.67 प्रतिशत और 88/17 प्रतिशत है। इसलिए, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, जैसा कि इस वर्ष के प्रश्न में उठाया गया है।

पानी की बर्बादी वितरण नेटवर्क से भूमि में रिसाव और अंतःस्त्रवण के कारण देखी गई है क्योंकि अधिकांश नहरें पंक्तिबद्ध नहीं हैं। रिसाव को न्यूनतम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा खुली नहर प्रणाली के स्थान पर पाइप वितरण नेटवर्क (जहां व्यवहार्य हो) के माध्यम से नई जल परियोजना के लिए जल वितरण करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं में न्यूनतम लीकेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शीर्षों और लेखाओं के अंतर्गत परियोजना घटकों की मरम्मत की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक जल लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन के लिए और वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण/जल उपयोग दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को इस यूआरएल पर देखा जा सकता है:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf>

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1526**  
**जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**देश के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना**

**1526. श्री जोस के. मणि:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) जल उपलब्धता पर वर्षा के बदलते पैटर्न के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कौन-से अध्ययन किए जा रहे हैं या कौन-से कार्यक्रम विद्यमान हैं; और
- (ग) अत्यधिक प्रतिकूल जलवायु दशाओं के प्रति जल अवसंरचना के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) से (ग):** भारत सरकार ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने संबंधी विभिन्न पहल की हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक पहल, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) की स्थापना है। इस मिशन के अंतर्गत पांच विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं: जिनमें (1) सार्वजनिक क्षेत्र में एक व्यापक जल डेटाबेस तैयार करना ; (2) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना; (3) अतिदोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और सरकारी कार्यों को बढ़ावा देना; (4) जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करना; और (5) बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के कार्य शामिल हैं। हालांकि, मिशन के इन सभी लक्ष्यों को, जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामूहिक रूप से समाधान करने और उसका प्रभाव कम करने हेतु तैयार किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जल मिशन लक्ष्य 2 विशेष रूप से, भारत के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के मूल्यांकन पर केन्द्रित है। इस संबंध में, 'जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय जल मिशन कार्यान्वयन स्कीम'

के अंतर्गत विभिन्न नदी बेसिनों के संबंध में सात जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों को पूरा कर लिया गया है जिनमें वर्षा के बदलते पैटर्न के प्रभाव का आकलन किए जाने का कार्य भी शामिल है। इन अध्ययनों की सूची **अनुलग्नक** पर दी गई है।

विषम जलवायु परिस्थिति के संबंध में जल अवसंरचना के लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं हैं जैसे कि चुनिंदा मौजूदा बांधों के संस्थागत सुदृढीकरण के साथ-साथ सुरक्षा और परिचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी); बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी); जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन सहित भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु अटल भूजल योजना; सुनिश्चित सिंचाई को सहयोग करने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) ; जल संरक्षण हेतु देश के अधिशेष नदी बेसिनों से अतिरिक्त जल को कम नदी बेसिनों में अंतरित करने और देश में बाढ़ और सूखे के प्रभावी प्रबंधन हेतु नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाएं; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान आदि का कार्यान्वयन शामिल है।

देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को सौंपा गया है। सीडब्ल्यूसी द्वारा रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए हर साल जून से अक्टूबर तक 10 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र की 902 बर्फीली झीलों और जल निकायों की निगरानी की जा रही है। जिससे बर्फीली झीलों और जल निकायों के जल प्रसार क्षेत्र में होने वाले संबंधित परिवर्तन का पता लगाने के कार्य को किया जा सकता है और, साथ ही साथ आपदा के दृष्टिकोण से निगरानी महीने के दौरान अधिक सीमा तक विस्तारित होने वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जा सकती है। केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश में 155 महत्वपूर्ण जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी भी करता है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक साप्ताहिक बुलेटिन भी जारी करता है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

"देश के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1526 जिसका उत्तर दिनांक 09.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

|         |  |
|---------|--|
| क्र.सं. | "जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन" योजना के अंतर्गत पूरे किए गए जलवायु परिवर्तन अध्ययनों की सूची |
| 1       | महानदी नदी बेसिन के जल-मौसम प्रक्रियाओं और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन  |
| 2       | राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन (अंतर्देशीय जल निकासी और माही बेसिन क्षेत्र)  |
| 3       | तापी बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव   |
| 4       | सुवर्णरेखा बेसिन में स्थानिक और कालिक जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग/भूमि कवर परिवर्तन का प्रभाव                                 |
| 5       | साबरमती बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव  |
| 6       | तादरी से कन्याकुमारी तक नदी घाटियों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव   |
| 7       | जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने हेतु सीएमआईपी 5 सिमुलेशन के साथ हाइड्रो-क्लाइमेट अनुमानों से संबंधित सांख्यिकीय डाउनस्केलिंग            |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1525**  
**जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**बाढ़ की स्थिति से निपटना**

**1525. श्री सी. वी. षनमुगम:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में विभिन्न राज्यों की सहायता करती है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (च) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार किया जाता है और उनका कार्यान्वयन किया जाता है। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं और तकनीकी सहायता के साथ-साथ संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। हाल ही में, इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलों की जानकारी निम्नानुसार है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल-निकासी विकास, समुद्र कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु XIवीं और XII योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) का कार्यान्वयन किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और उसके बाद सीमित परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 के दौरान भी जारी है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के संबंध में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। इस नेटवर्क को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे तक के कार्रवाई समय वाले छोटी अवधि के पूर्वानुमानों के अतिरिक्त, स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान करने हेतु सीडब्ल्यूसी ने अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों के अग्रिम परामर्श हेतु वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया है। इस समय सीडब्ल्यूसी द्वारा तमिलनाडु में 15 केन्द्रों (4 स्तरीय पूर्वानुमान और 11 अंतर्वाह पूर्वानुमान) के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार आपदाओं के समय राज्य सरकार के प्रयासों को पूरकता प्रदान करती है और राहत एवं प्रभाव कम करने हेतु अपेक्षित लॉजिस्टिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और उनके यहां पहले से स्थापित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के माध्यम से भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार राहत सहायता उपलब्ध कराती है। गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आंकलन भी शामिल है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चेन्नई नदी बेसिन के शहरी क्षेत्रों के लिए "व्यापक बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान" से संबंधित एक परियोजना विकसित करने और उसके कार्यान्वयन हेतु जेआईसीए (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी) के साथ एक तकनीकी सहयोग परियोजना की शुरुआत की है।

**(ग):** तमिलनाडु सरकार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) के उप घटक के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग करते हुए ग्रेटर चेन्नई निगम, जल संसाधन विभाग, नगरपालिका प्रशासन और राजमार्ग विभाग के माध्यम से 515.54 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य किए गए।

तमिलनाडु सरकार ने उल्लिखित किया है कि वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान, एनडीआरएफ के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को क्रमशः 352.85 करोड़ रुपये और 276.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा, एनडीएमए द्वारा वर्ष 2017-19 में आपदा मित्र प्रायोगिक योजना के लिए 45.40 लाख रुपये और वर्ष 2021-23 में आपदा मित्र योजना को गति प्रदान करने हेतु 19.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

**(घ) से (च):** संबंधित योजनाओं के निधियन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1524  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल मिशन

1524. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पंजाब सहित देश में राष्ट्रीय जल मिशन को कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अब तक हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का लक्ष्य-वार, वर्ष-वार तथा पंजाब सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को 50-60 प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राष्ट्रीय जल मिशन एक व्यापक मिशन है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण करना, जल अपव्यय को न्यूनतम करना तथा राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

**लक्ष्य 1:** सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटा बेस।

**लक्ष्य 2:** जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन।

**लक्ष्य 3:** जल संरक्षण, संवर्द्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना, तथा अति-दोहित क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

**लक्ष्य 4:** जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करना।

**लक्ष्य 5:** बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

मिशन के लक्ष्य, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अनुरूप हैं। देश में कार्यान्वयन के लिए मिशन के कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। हालांकि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम/योजनाएं मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन जल संरक्षण के लिए एक प्रमुख वार्षिक अभियान है, जिसे पंजाब सहित पूरे देश में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत क्रियान्वित किया जाता है। जेएसए के उद्देश्यों को राज्यों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें जल संबंधी संरचनाओं के लिए कोई परिभाषित अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, लेकिन राज्यों को सम्मिलित वित्तपोषण के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2021 से पंजाब में जेएसए: सीटीआर के तहत किए गए कार्यों का एक विवरण नीचे तालिका के रूप में दिया गया है:

| कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट         |       |                               |                                 |                                 |               |                     |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| स्थिति : 22-03-2021 से 05-12-2024 तक |       |                               |                                 |                                 |               |                     |
| क्रम संख्या                          | राज्य | जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन | पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण | पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं | वाटरशेड विकास | कुल जल संबंधी कार्य |
| 1                                    | पंजाब | 8143                          | 25791                           | 5326                            | 42683         | <b>81943</b>        |

इसके अलावा, जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत 23 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और 23 जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग): राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य 4 में, जैसा कि मिशन दस्तावेज में निर्धारित है, घरेलू, औद्योगिक और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। उक्त उद्देश्य के लिए अक्टूबर, 2022 के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के तहत “जल उपयोग दक्षता ब्यूरो” (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1522**  
**जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**

**1522. श्री बंशीलाल गुर्जर:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत वित्तपोषित विशिष्ट परियोजनाएं कौन-सी हैं; और
- (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधि के कुशल उपयोग और परियोजनाओं के सफल कार्यानिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**                      **श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: (i) कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडी एवं डबल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के शुभारंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डबल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समरूप पारी-पासू कार्यान्वयन किया गया है।

इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए वर्ष 2021-22 तक अनंतिम रूप से दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा किए जाने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक पहले पीएमकेएसवाई का हिस्सा था, अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 राज्यों में फैली 99 चल रही वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) की पहचान की गई

थी, जिसमें राज्यों के परामर्श से 88 परियोजनाओं में सीएडी और डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के पारी-पासू चरणों में पूरा किया जाना था। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 62 एमएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वर्ष 2016-24 के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, जबकि शेष सिंचाई क्षमता 34.64 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2016-24 के दौरान 19.28 लाख हेक्टेयर का कमान क्षेत्र विकास हासिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 से इस योजना में 09 नई एमएमआई/ईआरएम परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा सृजित किए जाने वाले लक्षित क्षमता 4.01 लाख हेक्टेयर है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी की गई और चल रहीं परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरूद्धार के अंतर्गत 4.64 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-भूजल के अंतर्गत 88.55 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2016-24 के दौरान, कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीडीएमसी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 84.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के तहत भूमि विभाग द्वारा 89.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 9,364 परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

**(ख):** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधि के कुशल उपयोग और परियोजनाओं के सफल कार्यानिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग के साथ ही साथ इस मंत्रालय के तहत समर्पित परियोजना प्रबंधन ईकाई द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किया जाता है। इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी मॉनिटर की जाती है, जिसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली भी सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय में उच्च स्तर पर इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन और प्रगति भी मॉनिटर की जाती है। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की आवधिक समीक्षा परियोजना-वार की जाती है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़े मुद्दों के शीघ्र समाधान को अंतिम रूप दिया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत मुद्दों और अड़चनें परियोजना निगरानी ग्रुप पोर्टल पर भी रखे जाते हैं और उनका सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत परियोजना निगरानी ग्रुप की बैठक में निपटान किया जाता है।

“प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” विषय पर दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत चल रही परियोजनाओं की सूची

| राज्य         | क्र.सं. | परियोजना का नाम                                       |
|---------------|---------|---|
| आंध्र प्रदेश  | 1       | गुंडलाकम्मा परियोजना                                  |
|               | 2       | तादिपुडी एलआईएस                                       |
|               | 3       | थोटापल्ली परियोजना                                    |
|               | 4       | मुसुरुमिल्ली परियोजना                                 |
|               | 5       | पुष्करा एलआईएस  |
|               | 6       | येराकल्वा परियोजना                                    |
|               | 7       | तारकरम तीर्थ सागरम परियोजना                           |
| असम           | 8       | बोरोलिया परियोजना                                     |
|               | 9       | सुकला सिंचाई परियोजना के ईआरएम                        |
| बिहार         | 10      | दुर्गावती परियोजना                                    |
|               | 11      | पुनपुन परियोजना                                       |
| छत्तीसगढ़     | 12      | केलो परियोजना   |
| गुजरात        | 13      | सरदार सरोवर परियोजना                                  |
| हिमाचल प्रदेश | 14      | नादौन परियोजना  |
|               | 15      | फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना                        |
| झारखंड        | 16      | सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना                       |
| कर्नाटक       | 17      | ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना                            |
| केरल          | 18      | मूवाट्टुपुड़ा परियोजना                                |
|               | 19      | करापुड़ा परियोजना                                     |
| मध्य प्रदेश   | 20      | बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-II (63 किमी से 104 किमी)   |
|               | 21      | पेंच परियोजना   |
|               | 22      | बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-III (104 किमी से 154 किमी) |
|               | 23      | बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-IV (154 किमी से 197 किमी)  |
|               | 24      | वाघुर परियोजना  |

|                          |    |                                    |
|--------------------------|----|------------------------------------|
| महाराष्ट्र               | 25 | लोअर वर्धा परियोजना                |
|                          | 26 | बेम्बला परियोजना                   |
|                          | 27 | मोरना (गुरेघर) परियोजना            |
|                          | 28 | लोअर पेढी परियोजना                 |
|                          | 29 | नारदवे (महामद्वाडी) परियोजना       |
|                          | 30 | कुडाली परियोजना                    |
|                          | 31 | अपर पेन गंगा परियोजना              |
|                          | 32 | गोसीखुर्द परियोजना                 |
|                          | 33 | अरुणा परियोजना                     |
|                          | 34 | जीहे कथापुर परियोजना               |
|                          | 35 | बोडवाड़ परिसर सिंचन योजना चरण-I    |
| मणिपुर                   | 36 | थौबल परियोजना                      |
|                          | 37 | लोकटक लिफ्ट सिंचाई योजना के ईआरएम  |
| राजस्थान                 | 38 | परवान बहुउद्देशीय परियोजना         |
| ओडिशा                    | 39 | सुवर्णरेखा परियोजना                |
|                          | 40 | एकीकृत आनंदपुर बैराज परियोजना      |
|                          | 41 | कानुपुर परियोजना                   |
| तमिलनाडु                 | 42 | कन्नड चैनल परियोजना                |
| तेलंगाना                 | 43 | पालेमवागु परियोजना                 |
|                          | 44 | पेद्दावागु @ नीलवाई परियोजना       |
|                          | 45 | एसआरएसपी चरण-II परियोजना           |
|                          | 46 | राजीव भीमा एल.आई. योजना            |
|                          | 47 | पेद्दावागु @ जगन्नाथपुर परियोजना   |
|                          | 48 | इंदिरम्मा फ्लड फ्लो कैनाल परियोजना |
|                          | 49 | ज. चोखा राव एल.आई.एस.              |
| उत्तर प्रदेश             | 50 | अर्जुन सहायक परियोजना              |
|                          | 51 | मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-II      |
| उत्तराखंड                | 52 | जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना   |
| संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख | 53 | प्राकाचिक खोस नहर परियोजना         |

**ख. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत पूर्ण परियोजनाओं की सूची**

| राज्य        | क्र.सं. | परियोजना का नाम      |
|--------------|---------|----------------------|
| आंध्र प्रदेश | 1       | मद्दीगेड्डा परियोजना |
| असम          | 2       | चंपामती परियोजना     |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | 3   | धनसिरी परियोजना   |
| छत्तीसगढ़   | 4   | मनियारी टैंक परियोजना   |
|             | 5   | खारुंग परियोजना   |
| गोवा        | 6   | तिल्लारी परियोजना   |
| कर्नाटक     | 7   | श्री रामेश्वर सिंचाई परियोजना                                   |
|             | 8   | भीमा एलआईएस   |
|             | 9   | कारंजा परियोजना   |
|             | 10  | एनएलबीसी प्रणाली परियोजना                                       |
| मध्य प्रदेश | 11  | सिंहपुर परियोजना  |
|             | 12  | महुआर परियोजना  |
|             | 13  | सगड़ परियोजना   |
|             | 14  | सिंध परियोजना चरण-II  |
|             | 15  | इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-I & II (0 किमी से 142 किमी)        |
|             | 16  | ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-IV                                  |
|             | 17  | इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-V (खरगोन लिफ्ट)                    |
|             | 18  | बाणसागर परियोजना इकाई 2   |
|             | 19  | बरियारपुर एलबीसी परियोजना                                       |
|             | 20  | संजय सागर (बाह) परियोजना  |
|             | 21  | बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-I (16 किमी से 63 किमी)               |
|             | 22  | माही परियोजना   |
|             | 23  | महान परियोजना   |
|             | 24  | ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-II (आरबीसी 9.70 किमी से 65.50 किमी) |
| 25          | ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-III (आरबीसी 65.50 किमी से 142 किमी) |   |
| 26          | इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-III (143 किमी से 206 किमी)         |   |
| 27          | इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-IV (206 किमी से 243 किमी)          |   |
| महाराष्ट्र  | 28  | बावनथाडी परियोजना   |
|             | 29  | लोअर पंजारा परियोजना  |
|             | 30  | डोंगरगांव परियोजना  |
|             | 31  | वारना परियोजना  |
|             | 32  | नंदूर माधमेश्वर परियोजना चरण-II                                 |
|             | 33  | ऊपरी कुंडलिका परियोजना  |
|             | 34  | लोअर दूधना परियोजना   |

|                                      |    |  |
|--------------------------------------|----|--|
|                                      | 35 | खडकपूर्णा परियोजना                                   |
|                                      | 36 | धोम बालकवाड़ी परियोजना                               |
|                                      | 37 | वांग परियोजना  |
|                                      | 38 | कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई योजना                      |
|                                      | 39 | गडनाडी परियोजना                                      |
|                                      | 40 | तिल्लारी परियोजना                                    |
|                                      | 41 | तराली परियोजना                                       |
|                                      | 42 | अर्जुन परियोजना                                      |
|                                      | 43 | सांगोला शाखा नहर परियोजना                            |
| मणिपुर                               | 44 | दोलाईथाबी बैराज परियोजना                             |
| ओडिशा                                | 45 | ऊपरी इंद्रावती परियोजना                              |
|                                      | 46 | रुकुरा परियोजना                                      |
|                                      | 47 | आरईटी सिंचाई परियोजना                                |
|                                      | 48 | तेलनगिरी परियोजना                                    |
|                                      | 49 | लोअर इंद्रा परियोजना                                 |
| पंजाब                                | 50 | कंडी नहर विस्तार परियोजना चरण-II                     |
|                                      | 51 | पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास |
| राजस्थान                             | 52 | नर्मदा नहर परियोजना                                  |
|                                      | 53 | गंग नहर परियोजना का आधुनिकीकरण                       |
| तेलंगाना                             | 54 | गोलावागु परियोजना                                    |
|                                      | 55 | रल्लीवागु परियोजना                                   |
|                                      | 56 | मथादिवागु परियोजना                                   |
|                                      | 57 | श्री कोमाराम भीम परियोजना                            |
| उत्तर प्रदेश                         | 58 | बाणसागर नहर परियोजना                                 |
|                                      | 59 | सरयू नहर परियोजना                                    |
| जम्मू और कश्मीर<br>संघ राज्य क्षेत्र | 60 | राजपुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना                        |
|                                      | 61 | मुख्य रावी नहर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण             |
|                                      | 62 | त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना                          |

\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1521  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**घग्गर नदी का पुनरुद्धार**

**1521. श्री सतनाम सिंह संधू:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) घग्गर नदी के पुनरुद्धार और उसे विषमुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इस नदी की सफाई के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दिए गए अनुदानों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पंजाब में नदियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इसके लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को प्राप्तकर्ता जल निकायों या खाली जगहों में छोड़ने से पहले उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय गंगा बेसिन की नदियों के लिए नमामि गंगे की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण के उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कुल 291.7 एमएलडी की क्षमता के 28 एसटीपी निर्मित की गई हैं और 97 एमएलडी की क्षमता के 15 एसटीपी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

एनआरसीपी के तहत, पंजाब में घग्गर नदी के संरक्षण के लिए 57.11 करोड़ रुपये की कुल लागत से प्रदूषण उपशमन योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के

लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 32.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई।

पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संरक्षण के लिए, केंद्रीय हिस्से के रूप में 483.53 करोड़ रुपये जारी किए गए और एनआरसीपी के तहत 648 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की।

बुड्डा नाला के प्रवाह के कारण सतलुज नदी में प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार ने बुड्डा नाला पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है, जिसमें 225 और 60 एमएलडी के एसटीपी की स्थापना, चार एसटीपी का पुनरुद्धार, लुधियाना में डेयरी परिसरों के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 3.75 एमएलडी और 2.25 एमएलडी क्षमता के दो अपशिष्ट उपचार संयंत्र निर्मित करने का कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, लुधियाना में छोटे/मध्यम आकार के रंगाई उद्योगों के समूहों से औद्योगिक प्रवाह को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी की क्षमता के सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का संचालन किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1528  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

1528. श्री बृज लाल:

डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

श्री बंशीलाल गुर्जर:

डा. दिनेश शर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में जल के विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का क्या प्रभाव है; और
- (ख) क्या ये पुरस्कार जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए) सरकार के 'जल समृद्ध भारत' का विजन पूर्ण करने की दृष्टि से देश भर के लोगों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों पर केंद्रित हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देना और अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में उत्साहित करने के साथ-साथ काम करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों (एनडब्ल्यूए) के माध्यम से देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्यों, जिलों, स्कूलों, सिविल सोसायटी, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों, संस्थानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि सहित विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए) न केवल उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं बल्कि जल संरक्षण में राष्ट्रव्यापी कार्यवाही के लिए प्रेरणा के रूप में भी काम करते हैं और कुशल जल प्रबंधन को भारत के विकास की गाथा का अभिन्न अंग बनाते हैं।

वर्ष 2018 में प्रारंभ किए जाने के बाद से, राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए) आम जनता में जल सुरक्षा, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु विचारों के प्रचार-प्रसार में सहायक रहे हैं। यह विभाग के "जल शक्ति अभियान" के जल संरक्षण अभियान में बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्तर

की भागीदारी समाहित करते हुए जन आंदोलन के रूप में परिलक्षित हुआ है। अभियान के तहत, 1.05 करोड़ से अधिक जल संरक्षण संबंधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, इनमें से लगभग 34 लाख कार्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से संबंधित हैं, 6.5 लाख कार्य पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण से संबंधित हैं, लगभग 18.5 लाख कार्य जल के पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित हैं और लगभग 39 लाख कार्य वाटरशेड विकास से संबंधित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए) समुदायों को सफलतापूर्वक सक्रिय करने में मददगार सिद्ध हुए हैं जिससे भूजल क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के बाद से, प्रत्येक वर्ष, अधिकांश भूजल मॉनिटरिंग कुएं (रेंज 52% से 70%) पिछले दशक से चले आ रहे अपने औसत स्तर की तुलना में जल स्तर में बढ़ोत्तरी दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अति-दोहित मूल्यांकन इकाइयों में जो कि वर्ष 2017 में लगभग 17% थी अब वर्ष 2023 में उनमें 11% तक की उल्लेखनीय गिरावट आई है। जबकि, वर्षा पैटर्न, प्रभावी मॉनिटरिंग, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता आदि जैसे अन्य कारकों ने भी जल संरक्षण और प्रबंधन में योगदान दिया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों (एनडब्ल्यूए) का योगदान इसके सफल कार्यान्वयन में एक जन-जागरूकता सृजन करने के रूप में उभरा है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1527**  
**जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्न होने वाली कृषि भूमि**

**1527. डा. सस्मित पात्रा:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पोलावरम परियोजना के पूर्ण हो जाने पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुल कितनी कृषि भूमि जलमग्न होने की संभावना है;
- (ख) पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न होने पर इन राज्यों के किसानों की कृषि भूमि और आजीविका के नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन किया है; और
- (घ) क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा या पुनर्वास पैकेज प्रदान करने का विचार रखती है जिनकी ज़मीन पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्न हो जाएगी और यदि हां, तो मुआवजा प्रदान करने के तंत्र का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के पूरा होने के कारण ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जलमग्नता क्रमशः 648.05 हेक्टेयर और 795.59 हेक्टेयर है, जो सबरी और सिलेरू नदियों की बाढ़ सीमा के भीतर आती है। इनमें से 102.16 हेक्टेयर भूमि ओडिशा में और 0.16 हेक्टेयर भूमि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन क्षेत्र में है। इसके अलावा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) अध्ययन के अनुसार, पीआईपी के पूरा होने के कारण तेलंगाना में 80.84 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी।

**(ख) और (ग):** पोलावरम सिंचाई परियोजना को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 02.04.1980 को हुए अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार और

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) अवार्ड, 1980 के प्रावधानों के अनुसार शुरू किया जा रहा है और इनके अनुसार, ओडिशा अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से ऊपर की प्रभावित होने वाली भूमि और परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प चुन सकती है या परियोजना लागत पर +150 फीट से नीचे के समान पैटर्न पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और परिसंपत्तियों के लिए मुआवजे (प्रभावित गांवों से विस्थापित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन) के लिए विकल्प चुन सकती है। इसके अलावा, ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 30.20 किलोमीटर (सिलेरू नदी के किनारे 12 किलोमीटर और सबरी नदी के किनारे 18.20 किलोमीटर) की कुल लंबाई के लिए उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण का प्रावधान भी परियोजना में रखा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा 25 अक्टूबर, 2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। मार्च 2009 में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि वह तटबंध प्रस्ताव के संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुरोध करके उचित कार्रवाई आरंभ करें और समिति को रिपोर्ट दें। आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने दोनों राज्यों से ईआईए अधिसूचना, 2006 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है, हालांकि, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अभी तक सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई है।

**(घ):** आंध्र प्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की गई है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलए और आरआर) कार्यों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही दिया जाएगा, अगर राज्य अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से ऊपर प्रभावित होने वाली भूमि और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प नहीं चुनते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1530  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

आर्सेनिक संदूषण के उन्मूलन हेतु अनुसंधान और विकास

1530. श्री नीरज शेखर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में आज की तिथि तक भूजल में आर्सेनिक संदूषण के उन्मूलन/स्थायी समाधान हेतु अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा आबंटित, जारी, और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उन्मूलन हेतु अब तक किए गए कार्यकलापों/ अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पानी को आर्सेनिक से मुक्त करने हेतु उसका उपचार/उपशमन करने के लिए कि गई गतिविधियों के लिए वर्ष-वार रूप से आबंटित, जारी/परियुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक** के रूप में दिया गया है।

(ख): पानी से आर्सेनिक के मुक्त करने/हटाने के लिए की गई गतिविधियों/अनुसंधान का विवरण नीचे दिया गया है:

i. जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू किया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की जा सके। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से पीड़ित

ग्रामों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ताकि उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, सूचित की गई आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या अगस्त, 2019 में 14,020 से घटकर दिनांक 04/12/2024 को 314 हो गई है। इसके अतिरिक्त, आर्सेनिक प्रभावित शेष सभी 314 बसावटों में खाना पकाने एवं पीने की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना को लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण किया जाना है। सीजीडब्ल्यूबी ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के आर्सेनिक प्रभावित भागों में आर्सेनिक सुरक्षित अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण किया है। अब तक, राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक से सुरक्षित जलभूतों का उपयोग करने वाले 525 अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण किया गया है जिनमें बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 191 और उत्तर प्रदेश में 294 कुएं शामिल हैं। सीजीडब्ल्यूबी की अभिनव सीमेंट सीलिंग तकनीक को आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण हेतु उपयोग करने के लिए राज्य एजेंसियों के साथ भी साझा किया गया है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के तहत "सॉइल-वाटर-प्लांट सिस्टम में आर्सेनिक मोबिलाइजेशन का पता लगाना और पश्चिम बंगाल में संभावित उपचारात्मक उपायों का अन्वेषण" शीर्षक से शोध अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में, दूषित भूजल से सिंचित फसलों में आर्सेनिक का संचय देखा गया। यह पाया गया कि निकाले गए (आर्सेनिक प्रभावित) भूजल को तालाबों में संग्रहित करने से अवसादन और वर्षा जल विलयन द्वारा आर्सेनिक का स्तर कम हो जाता है जिससे सिंचाई में सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग हेतु एक संभावित उपचारात्मक विकल्प प्राप्त होता है। इससे मिट्टी-फसल प्रणाली में विषाक्त कम हो जाते हैं।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

“आर्सेनिक संदूषण के उन्मूलन हेतु अनुसंधान और विकास” विषय पर दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

| विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा जल के आर्सेनिक उपचार/कम/निवारण करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों के लिए आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का विवरण |  |                      |                   |                          |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
| वित्तीय वर्ष 2023-24   |  |                      |                   |                          |
| क्र.सं.  | किए गए गतिविधियों/अनुसंधान का विवरण  | आबंटित विवरण (रूपये) | जारी निधि (रूपये) | उपयोग की गई निधि (रूपये) |
| 1  | दीर्घावधि उपयोगिता मूल्यांकन के लिए अप-स्केलिंग प्रभाव और मूल्यांकन हेटरोजिनियस पोरस मीडिया के अंतर्गत फेरस सल्फाइड द्वारा आर्सेनिक का इन सीतु उपचार | ₹47,62,800           | ₹43,62,800        | ₹38,21,879               |
| वित्तीय वर्ष 2024-25   |  |                      |                   |                          |
| 1  | बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक-प्रदूषित गंगा नदी जलभृतों में भूजल आर्सेनिक के स्थायी शमन का निरूपण                                  | ₹2,48,47,822         | ₹1,75,95,942      | ₹1,72,21,609             |
| 2  | जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाने के लिए जैव-उपचार सहायक ग्रीन जीरो-वैलेंट लोहे पर आधारित कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास                       | ₹32,49,980           | ₹22,08,282        | ₹14,13,202               |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1593**  
**जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....  
**देश में जलाशय**

**1593. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा उल्लिखित देश के महत्वपूर्ण 140 जलाशयों में उनकी क्षमता की तुलना में केवल 32 प्रतिशत सक्रिय जल भंडारण है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या उक्त भंडारण में अप्रैल, 2024 के प्रारंभ में 43 प्रतिशत से लगातार साप्ताहिक गिरावट आई है;
- (ग) क्या कई नदी बेसिन में भी पिछले पांच वर्षों के औसत से कम भंडार है;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है कि जल भंडारण का संकट उन क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करता है जो जल आपूर्ति के लिए नदियों पर निर्भर हैं; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित दिनांक 28.3.2024 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, 150 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 64.60 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 36% है। दिनांक 28.11.2024 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, 155 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 147.94 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 82% है।

**(ग):** जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 28.11.2024 के अनुसार, ब्राह्मणी और बैतरणी, महानदी और सिंधु में पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण से कम भंडारण हो रहा है।

**(घ) और (ङ):** ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, साप्ताहिक बुलेटिन को संबंधित राज्यों के जल संसाधन विभागों के साथ साझा और उसे केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है। इस साप्ताहिक बुलेटिन को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) के साथ भी साझा किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि भी देश भर में कृषि कार्यकलापों की समीक्षा करने तथा विपदा की आशंका स्थिति में राज्यों को उपचारात्मक उपाय सुझाना के लिए क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सूखा प्रबंधन के संबंध में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजीडीएम) मानसून-पूर्व मौसम में हर सप्ताह बैठक आयोजित करता है जिसमें सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि देश में जलाशय भंडारण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भाग लेते हैं ताकि सूखा प्रबंधन पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजीएम) आगे की आवश्यक कार्रवाई कर सके।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग ने सूचित किया है कि कृषि से जुड़े क्रियाकलापों और उत्पादों पर गिरते जल स्तरों के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1531  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
अटल भूजल योजना

1531. श्री लहर सिंह सिरिया:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि, जैसा कि सूचित किया गया है, कर्नाटक सरकार ने अटल भूजल योजना सहित मंत्रालय की अनेक परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदानों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया है; और
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए अनुदानों और कर्नाटक सरकार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कर्नाटक सरकार द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अनुदानों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि, अटल भूजल योजना के अंतर्गत कर्नाटक को जारी किए गए अनुदान और इसके व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(दिनांक 30.11.2024 तक करोड़ रुपये में राशि)

|                     | आईएस और सीबी      | प्रोत्साहन         | कुल                |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| जारी की गई कुल राशि | 88.40             | 731.11             | 819.51             |
| कुल व्यय            | 87.41<br>(98.88%) | 621.78<br>(85.05%) | 709.19<br>(86.54%) |

प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत, योजना में पूर्व-परिभाषित संवितरण संबद्ध संकेतकों (डीएलआई) के अनुसार, राज्य के कार्य निष्पादन के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

(ख): (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1529  
जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
यमुना नदी की सफाई

1529. श्री संजय सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यमुना नदी के संरक्षण और सफाई के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है और उक्त कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान यमुना नदी के रखरखाव और सफाई के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन योजना (एनजीबीआरपी) संपूर्ण गंगा बेसिन के संरक्षण और सफाई के लिए एक व्यापक योजना है जिसमें गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ शामिल हैं। इस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने 2014-15 में मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) की शुरुआत की थी, जिसे अब मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अंतर्गत वर्ष 1993 से चरणबद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करके नदियों के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार, यमुना पुनरुद्धार में शामिल सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया है। एचएलसी ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए विभाग-वार विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसमें यमुना नदी में गिरने वाले नालों को रोकने की कार्य योजना भी शामिल है।

इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- i. यमुना कार्य योजना चरण I और II के अंतर्गत, यमुना नदी के संरक्षण के लिए हरियाणा और दिल्ली राज्यों में 483 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण और 328 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार के लिए ₹ 1,514.70 करोड़ का व्यय किया गया है;
- ii. इस समय, भारत सरकार/राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा ₹ 5,911 करोड़ की लागत वाली कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनसे 2,130 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण होगा। इनमें हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना, हरियाणा में दो परियोजनाएँ, दिल्ली में नौ परियोजनाएँ और उत्तर प्रदेश में इक्कीस परियोजनाएँ शामिल हैं, जो यमुना नदी में प्रदूषण के भार को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना नदी पर स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।
- iii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना संवर्धन परियोजनाओं पर काम कर रही है:
  - क. कौंडली फेज -II, रिठाला फेज -I और यमुना विहार फेज-II में मौजूदा 3 एसटीपी का पुनरुद्धार;
  - ख. मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता में वृद्धि;
  - ग. सोनिया विहार में एसटीपी का निर्माण;
  - घ. विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाएं।

**(ख):** यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने में योगदान करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न एजेंसियों को जारी धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1

"यमुना नदी की सफाई" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1529 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची:

| क्र.सं.             | परियोजना का नाम   | उपचार क्षमता<br>(एमएलडी) | स्वीकृत लागत<br>(करोड़ रुपए में) |
|---------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| <b>उत्तर प्रदेश</b> |   |                          |                                  |
| 1                   | वृंदावन में सीवरेज अवसंरचना का पुनरुद्धार और एसटीपी (4 एमएलडी) का विस्तार/उन्नयन  | 4                        | 42.82                            |
| 2                   | मसानी में मथुरा सीवरेज योजना का पुनरुद्धार/नवीनीकरण   | 67.8                     | 460.45                           |
| 3                   | आगरा में पुनरुद्धार कार्य के साथ अवरोधन और मोड़   | 177.6                    | 842.25                           |
| 4                   | अवरोधन और मोड़ तथा एसटीपी कार्य बागपत   | 14                       | 77.36                            |
| 5                   | फिरोजाबाद में अवरोधन और मोड़ कार्य  | 0                        | 51.08                            |
| 6                   | इटावा में अवरोधन और मोड़ कार्य  | 44.94                    | 140.6                            |
| 7                   | मुजफ्फरनगर में अवरोधन और मोड़ कार्य   | 44.5                     | 234.03                           |
| 8                   | बुढ़ाना में अवरोधन और मोड़ कार्य  | 10                       | 48.76                            |
| 9                   | मथुरा औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा में वस्त्र मुद्रण इकाइयों के लिए मौजूदा सीईटीपी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन (6.25 एमएलडी) | 6.25                     | 13.87                            |
| 10                  | मथुरा में शेष नालों के लिए आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 60                       | 292.56                           |
| 11                  | कैराना में अवरोधन और मोड़ कार्य   | 15                       | 78.42                            |
| 12                  | छाता में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 6                        | 56.15                            |
| 13                  | कोसी में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 12                       | 66.59                            |
| 14                  | वृंदावन में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 13                       | 77.7                             |

|                      |  |      |        |
|----------------------|--|------|--------|
| 15                   | हाथरस में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 24   | 128.91 |
| 16                   | सहारनपुर में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 135  | 577.23 |
| 17                   | बनत में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 5    | 48.71  |
| 18                   | बाबरी और बंतीखेड़ा में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 5    | 55.47  |
| 19                   | थानाभवन में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 10   | 97.19  |
| 20                   | शामली में आई.एंड.डी .तथा एसटीपी कार्य  | 40   | 206.02 |
| 21                   | देवबंद में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 20   | 134.71 |
| <b>दिल्ली</b>        |  |      |        |
| 1                    | ट्रंक सीवर नंबर 4का पुनरुद्धार   | 0    | 87.43  |
| 2                    | ट्रंक सीवर नंबर 5का पुनरुद्धार   | 0    | 83.4   |
| 3                    | कॉडली चरण-I एसटीपी (45 एमएलडी), चरण-II एसटीपी (114 एमएलडी) और चरण-III एसटीपी (45 एमएलडी) का पुनरुद्धार और उन्नयन | 204  | 239.11 |
| 4                    | राइजिंग मेन का पुनरुद्धार  | 0    | 59.13  |
| 5                    | ट्रंक सीवर का पुनरुद्धार   | 0    | 43.92  |
| 6                    | राइजिंग मेन का पुनरुद्धार  | 0    | 45.4   |
| 7                    | चरण-I एसटीपी (182 एमएलडी) का पुनरुद्धार और उन्नयन  | 182  | 211.79 |
| 8                    | 564 एमएलडी (124 एमजीडी) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) का निर्माण                                 | 564  | 665.78 |
| 9                    | दिल्ली के कोरोनाशन पिलर पर 318 एमएलडी (70 एमजीडी) का निर्माण   | 318  | 515.07 |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b> |  |      |        |
| 1                    | पावंटा साहिब के जोन II और III के लिए सीवरेज योजना  | 3.16 | 11.57  |
| <b>हरियाणा</b>       |  |      |        |
| 1                    | पानीपत में सीवरेज और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)  | 90   | 129.51 |
| 2                    | पानीपत में सीवरेज और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)  | 55   | 88.36  |

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-II**

"यमुना नदी की सफाई" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1529 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यमुना नदी में प्रदूषण उपशमन में योगदान करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा

रुपये करोड़ में

| राज्य         | लाभार्थी एजेंसियां और परियोजनाएं  | वित्त वर्ष 2019-20 | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 | कुल             |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| हिमाचल प्रदेश | सिंचाई विभाग (पावंटा टाउन, जिला सिमौर के जोन-II और III के लिए सीवरेज परियोजना)                | ----               | 1.25               | 2.50                 | ----               | ----               | 3.75            |
| उत्तर प्रदेश  | मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) परियोजनाएं   | 52.29              | 25.63              | 94.01                | 13.88              | 46.68              | 232.49          |
|               | आगरा में हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) परियोजनाएं  |                    |                    |                      | 20.65              | 71.00              | 91.65           |
|               | मथुरा औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रदूषण निवारण कंपनी, मथुरा (सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए) | ----               | ----               | 1.63                 | 7.89               | 0.19               | 9.71            |
| दिल्ली        | दिल्ली जल बोर्ड (एसटीपी का निर्माण और पुनरुद्धार, सीवर लाइनें बिछाना और पुनरुद्धार आदि)       | 214.47             | 235.00             | 405.00               | 75.40              | 161.18             | 1,091.05        |
|               | <b>कुल</b>  | <b>266.76</b>      | <b>261.88</b>      | <b>503.14</b>        | <b>117.82</b>      | <b>279.05</b>      | <b>1,428.65</b> |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 79**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**पुराप्रणालों (पैलियोचैनल) संबंधी डेटा बैंक**

**79. श्री संजय कुमार झा:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पुराप्रणाल समिति (2016) की सिफारिश के अनुसार पुराप्रणाल संबंधी एक व्यवस्थित डेटा बैंक सृजित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने जलभृत के चित्रण और उनके विकास के संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (च) क्या सरकार ने पुराप्रणालों के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में कोई प्रभावी उपाय किए हैं; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जिला-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) से (ग):** पैलियोचैनल, जो कभी सक्रिय नदियाँ या धाराएँ या उनके भाग थे, परंतु जो अब तलछट के रूप में समाहित हैं, समान्यतः भूजल के उपयुक्त भंडार के साथ-साथ कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के संभावित स्थल होते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) द्वारा विभिन्न अध्ययनों के तहत राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले पैलियोचैनल के अवशेषों पर जानकारी जुटाई गई है। इस जानकारी को नीति निर्माण और परियोजना नियोजन के लिए रिपोर्ट के रूप में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाता है।

**(घ) और (ङ):** केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) द्वारा वर्ष 2012 से भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडबल्यूएमआर) योजना के तहत देश में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भूजल संसाधनों के सतत

प्रबंधन के लिए जलभृतों (जल धारक संरचनाओं) के मैपिंग, इनके विशिष्टीकरण और जलभृत प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल है। अब तक देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के समस्त मैपिंग-योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया जा चुका है और प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ जिला प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया है, ताकि इस संबंध में क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त उपाय किए जा सकें। **मैपिंग किए गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है।**

इसके अतिरिक्त, जीडब्ल्यूएम एवं आर स्कीम के अंतर्गत भूजल स्तर और गुणवत्ता मॉनीटरिंग, संसाधन आकलन, विभिन्न प्रकार के भूभौतिकीय सर्वेक्षण आदि जैसे विभिन्न भूजल संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं, जिनसे सृजित आंकड़ों का उपयोग नेक्यूम के अंतर्गत जलभृत मैपिंग और अध्ययन के लिए किया जाता है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में जीडब्ल्यूएमएंडआर योजना के तहत कुल मिलाकर व्यय क्रमशः 180.2 करोड़ रुपये, 204.76 करोड़ रुपये और 202.31 करोड़ रुपये हुआ।

### एनएक्यूआईएम के तहत राज्य-वार शामिल क्षेत्र

| क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र             | कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | शामिल किए जाने हेतु लक्षित क्षेत्र (वर्ग किमी.) | कुल शामिल क्षेत्र (वर्ग किमी.) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 1       | अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र | 8,249                      | 1,774   | 1,774                          |
| 2       | आंध्र प्रदेश                        | 1,63,900                   | 1,41,784  | 1,41,784                       |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश                      | 83,743                     | 4,703   | 4,703                          |
| 4       | असम                                 | 78,438                     | 61,826  | 61,826                         |
| 5       | बिहार                               | 94,163                     | 90,567  | 90,567                         |
| 6       | चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र           | 115                        | 115   | 115                            |
| 7       | छत्तीसगढ़                           | 1,36,034                   | 96,000  | 96,000                         |
| 8       | दादरा एवं नगर हवेली,                | 602                        | 602   | 602                            |
| 9       | दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र        | 1,483                      | 1,483   | 1,483                          |
| 10      | गोवा                                | 3,702                      | 3,702   | 3,702                          |
| 11      | गुजरात                              | 1,96,024                   | 1,60,978  | 1,60,978                       |
| 12      | हरियाणा                             | 44,212                     | 44,179  | 44,179                         |
| 13      | हिमाचल प्रदेश                       | 55,673                     | 8,020   | 8,020                          |
| 14      | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र  | 1,67,396                   | 9,506   | 9,506                          |
| 15      | झारखंड                              | 79,714                     | 76,705  | 76,705                         |
| 16      | कर्नाटक                             | 1,91,808                   | 1,91,719  | 1,91,719                       |

|    |                             |                  |                  |                  |
|----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17 | केरल                        | 38,863           | 28,088           | 28,088           |
| 18 | लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र | 32               | 32               | 32               |
| 19 | लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र    | 54,840           | 963              | 963              |
| 20 | मध्य प्रदेश                 | 3,08,000         | 2,69,349         | 2,69,349         |
| 21 | महाराष्ट्र                  | 3,07,713         | 2,59,914         | 2,59,914         |
| 22 | मणिपुर                      | 22,327           | 2,559            | 2,559            |
| 23 | मेघालय                      | 22,429           | 10,645           | 10,645           |
| 24 | मिजोरम                      | 21,081           | 700              | 700              |
| 25 | नागालैंड                    | 16,579           | 910              | 910              |
| 26 | ओडिशा                       | 1,55,707         | 1,19,636         | 1,19,636         |
| 27 | पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र  | 479              | 454              | 454              |
| 28 | पंजाब                       | 50,368           | 50,368           | 50,368           |
| 29 | राजस्थान                    | 3,42,239         | 3,34,152         | 3,34,152         |
| 30 | सिक्किम                     | 7,096            | 1,496            | 1,496            |
| 31 | तमिलनाडु                    | 1,30,058         | 1,05,829         | 1,05,829         |
| 32 | तेलंगाना                    | 1,11,940         | 1,04,824         | 1,04,824         |
| 33 | त्रिपुरा                    | 10,492           | 6,757            | 6,757            |
| 34 | उत्तर प्रदेश                | 2,46,387         | 2,40,649         | 2,40,649         |
| 35 | उत्तराखंड                   | 53,484           | 11,430           | 11,430           |
| 36 | पश्चिम बंगाल                | 88,752           | 71,947           | 71,947           |
|    | <b>कुल</b>                  | <b>32,94,105</b> | <b>25,14,437</b> | <b>25,14,437</b> |

(च) और (छ): जल राज्य का विषय है, कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन संबंधी पहल करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) के सहयोग से जलभृत मैपिंग के लिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों में हेलीबॉर्न भूभौतिकीय अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। इन अध्ययनों के दौरान पैलियोचैनलों के कुछ हिस्सों की पहचान भी की गई थी। इन पैलियोचैनल्स के प्रमुख क्षेत्र भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अनुकूल पाए गए थे। इन रिपोर्टों को संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इन अध्ययनों का सार अनुलग्नक में दिया गया है।

“पुराप्रणाली (पैलियोचैनल) संबंधी डेटा बैंक” के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के भाग (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पैलियोचैनलों के अध्ययन और आबंटित निधि सहित जलभृत मैपिंग के लिए आरंभ किए गए अध्ययनों का जिला-वार ब्यौरा

| जिलों के हिस्से   | आबंटित निधि सहित अध्ययन का सार  |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी जिले  | गंगा-यमुना दोआब के कुछ हिस्सों में पैलियो-चैनलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलभृत मैपिंग के लिए आँकड़ा सृजन। 4.57 करोड़ रुपए के व्यय से एनजीआरआई के सहयोग से किया गया अध्ययन।   |
| उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर नगर जिले  | गंगा यमुना दोआब के भाग में पैलियोचैनलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जलभृत मैपिंग के लिए आँकड़ा सृजन। यह अध्ययन एनजीआरआई के सहयोग से 7.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है।  |
| राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर , जालोर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर जिले;<br>राजकोट , जामनगर, मोरबी, गुजरात के सुरेंद्रनगर और देवभूमि द्वारका जिले<br>हरियाणा के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले | वर्ष 2021-23 के दौरान राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में हेलीबॉर्न भूभौतिकी सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए उच्च रिज़ॉल्यूशन जलभृत मैपिंग और प्रबंधन अध्ययन किया गया था। इन अध्ययनों के दौरान लगभग 280 किमी की संचयी लंबाई वाले पैलियोचैनलों के कुछ क्षेत्रों की पहचान भी की गई थी। इन पैलियोचैनलों के प्रमुख क्षेत्र भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अनुकूल पाए गए थे। ये अध्ययन 52.78 करोड़ रुपए के व्यय से एनजीआरआई के सहयोग से किए गए थे। |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 103

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**भूजल संबंधी अध्ययन**

**103. श्री नीरज शेखर:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2022 में केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के समझौता ज्ञापन के अनुसार पंजाब, हरियाण, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों के कुछ हिस्सों में भूजल में यूरेनियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा संदूषण के संबंध में आठ अध्ययन किए जाने थे;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पूर्ण किए गए और अब तक पूर्ण न किए जा सके अध्ययनों का तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और
- (घ) भू-जल में भारी धातु संदूषण के लिए पूर्ण किए गए अध्ययनों के राज्य-वार परिणाम क्या हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

(क) और (ख): केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीपीडब्ल्यूबी) ने पंजाब हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों के हिस्सों के भूजल में यूरेनियम, लेड, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा के संदूषण के अध्ययन के लिये भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ वर्ष 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों में, विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं की खुदाई, हैड-पम्पों, गहरे बोरिंग टयुबवेल और सिंचाई और पेयजल के लिये इस्तेमाल होने वाले सतही जल में संदूषण के स्तर का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके अलावा, इसमें, मृदा, अवसादों, चट्टानों और मानव जनित अपशिष्टों में इन तत्वों का विश्लेषण शामिल है। इसके उद्देश्यों में, इन तत्वों का स्थानिक और गहराई-वार वितरण, भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों के साथ उनका संबंध स्थापित करना और उन्हें कम करने के उपाय संबंधी परामर्श

देना शामिल है। इस समझौता जापन की अवधि इस पर हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से लेकर पांच वर्ष की अवधि तक वैध है।

समझौता जापन के अंतर्गत कुल 8 अध्ययन आंध्र प्रदेश (1 अध्ययन), असम (1), बिहार (3), छत्तीसगढ़ (1), पंजाब एवं हरियाणा (1) और उत्तर प्रदेश (1) राज्यों में शुरू किये गये हैं। समझौता जापन के अंतर्गत शुरू किये 8 अध्ययनों में से 5 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं जिनमें बिहार के 3 अध्ययन और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का एक-एक अध्ययन शामिल हैं।

(ग): असम, पंजाब और हरियाणा में किए गए अध्ययन दो वर्ष की अवधि के हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में अध्ययन अंतिम चरण में है। अध्ययनों का विवरण नीचे दिया गया है:

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विषय  | अध्ययन की अवधि (वर्षों की संख्या) आरंभ और समापन वर्ष | विलंब के कारण                 |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| पंजाब और हरियाणा        | पंजाब और हरियाणा के भूजल में ट्रेस तत्व और भारी धातु संदूषण का भू-पर्यावरणीय अध्ययन                                     | 2 वर्ष (2023-24 और 2024-25)                          | निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार |
| असम                     | उत्तरी गुवाहाटी, कामरूप, असम के औद्योगिक क्षेत्र में भूजल के यूरेनियम, लेड, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा संदूषण पर अध्ययन | 2 वर्ष (2023-24 से 2024-25)                          | निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार |
| उत्तर प्रदेश            | उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ जिलों में भूजल के यूरेनियम, फ्लोराइड संदूषण पर अध्ययन                            | 2 वर्ष (2022-23 & 2023-24)                           | कोर ड्रिलिंग में विलंब        |

(घ): भारी धातु संदूषण पहलू सहित पूरे किए गए अध्ययनों का ब्यौरा और प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अध्ययन विषय  | प्रमुख निष्कर्ष   |
|-------------------------|--|---|
| आंध्र प्रदेश            | भूजल और उसके आसपास तुम्मलपल्ले यूरेनियम निक्षेप, वेमुला मंडल, वाईएसआर कडप्पा जिला, | यूरेनियम की छुट-पुट उपस्थिति पाई गई है जिसके लिए मुख्यतः भू-जनित कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। उच्च यूरेनियम सघनता क्षेत्र उन क्षेत्रों में देखे जाते हैं जो ज्यादातर प्रायद्वीपीय गनीसिक |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | आंध्र प्रदेश में यूरेनियम संदूषण   | चट्टान की विशेषता रखते हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित भारी धातुओं के संबंध में स्वीकृत सीमा से अधिक सघनता की सूचना दी गई थी: एमएन (6% नमूने), एफई (16% नमूने), एनआई (2% नमूने), एस (1% नमूने), एसई (6% नमूने), पीबी (4% नमूने) और यू (42% नमूने)।   |
| बिहार     | मनेर ब्लॉक (पटना जिला) और बड़हरा ब्लॉक (भोजपुर जिला) में आर्सेनिक संदूषण   | विश्लेषित नमूनों में से 21% आर्सेनिक की मात्रा स्वीकृत सघनता से अधिक पाया: गंगा और सोन नदी के इंटरफ्लुवियल क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की उच्च सघनता।   |
| बिहार     | भागलपुर, बिहार शरीफ, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सिवान और वैशाली जिलों के कुछ हिस्सों में यूरेनियम संदूषण। | 343 भूजल और मृदा नमूनों में से केवल 17 जीडब्ल्यू नमूनों में स्वीकृत सघनता से अधिक यूरेनियम थी; संदूषण सामान्य प्रकृति के बजाय साइट विशिष्ट प्रतीत होता है।  |
| बिहार     | गया जिले के अमास ब्लॉक में फ्लोराइड संदूषण   | विश्लेषण किए गए लगभग 41% नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत सघनता से अधिक पाया गया; यह अनुमान लगाया गया है कि छोटानागपुर गनीसिक कॉम्प्लेक्स की चट्टानें मिट्टी और भूजल में फ्लोराइड संदूषण का प्रमुख स्रोत हैं।  |
| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ के बागबहारा क्षेत्र, महासमुंद और गरियाबंद जिलों में फ्लोराइड संदूषण।   | विश्लेषण किए गए लगभग 31% नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत सघनता से अधिक पाया गया; मुख्य रूप से भू-जनित कारकों के कारण संदूषण और मुख्य रूप से 5-6 किमी चौड़े और 35-40 किमी लंबे अपसारित क्षेत्र के साथ मनाया जाता है; इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित भारी धातुओं के संबंध में स्वीकृत सीमा से अधिक सघनता की सूचना दी गई थी: मैंगनीज (25.5% नमूने), लोहांश (12% नमूने), |

सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में संपूर्ण अध्ययन रिपोर्टें उपलब्ध करा दी गई हैं।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 102**

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**पीने योग्य जल वाली नदियों की संख्या**

**102. श्री संत बलबीर सिंह:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में नदियों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) इन नदियों के जल की स्थिति क्या है, पीने योग्य जल वाली नदियों और पीने के लिए अनुपयुक्त जल वाली नदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ग) नदियों को स्वच्छ रखने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (घ) देश में पुनर्जीवित की गई नदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क):** देश को 20 नदी बेसिनों में बांटा गया है, जो सभी नदियों और उनकी सहायक नदियों को शामिल करती है। विवरण : <https://cwc.gov.in/sites/default/files/registered-water-resources-glance-2021.pdf> पर उपलब्ध है।

**(ख) से (घ):** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से नदियों की जल गुणवत्ता और अन्य जल निकायों की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर जल गुणवत्ता निगरानी परिणाम पर आधारित, नदियों के प्रदूषण का आंकलन किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नवंबर, 2022 में प्रकाशित प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, 311 प्रदूषित नदी खंड बायो-कैमिकल ऑक्सिजन डिमांड, एक ऑर्गेनिक प्रदूषण के सूचक के रूप में निगरानी पर आधारित 279 नदियों को चिन्हित किया गया था। प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की संख्या

वर्ष 2018 में चिन्हित 351 नदियों से घटकर वर्ष 2022 में 311 हो गई है। इसके अलावा, 106 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) को सूची से हटा दिया गया है और 74 प्रदूषित नदी खंडों की जल गुणवत्ता में वर्ष 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट की तुलना में सुधार देखा गया है। इस संबंध में विवरण की स्थिति

<https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5NF8xNjc3ODg2X21lZGlhcGhvdG8xODc0Ni5wZGY=> पर उपलब्ध है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विशिष्ट निर्दिष्ट उत्कृष्ट उपयोग मानदंड सिफारिश करते हैं कि, जल का उपयोग उपचार के बाद केवल पीने के लिए किया जाना है। भारतीय मानदंड के अनुसार प्राकृतिक जल का उपयोग पेयजल के लिए करने की सिफारिश नहीं की जाती है। पेयजल बीआईएस मानदंड आईएस 10500/2012 के आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए बजटीय सहायता के रूप में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25, 15 नवंबर तक) में 10,775.0 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने उक्त अवधि के दौरान गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को पिछले वर्ष से अग्रेषित अनुदान सहित 11,587.31 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1244.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम और एनआरसीपी के अंतर्गत दी गई राज्य-वार सहायता **अनुलग्नक** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

“पीने योग्य जल वाली नदियों की संख्या” विषय पर दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(I) सीवेज अवसंरचनागत परियोजनाओं के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल (दिनांक 31.10.2024 तक) नदियों का राज्य-वार ब्यौरा

| क्र.सं.        | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र            | शामिल नदियां   | स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में) | सरकार द्वारा जारी निधि (करोड़ रुपये में) | एसटीपी क्षमता (एमएलडी में) |
|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|
| 1.             | उत्तराखंड                          | गंगा, रिस्पना और बिंदल नदी, ढेला, सुसवा, कोसी  | 1,743.45                       | 842.33                                   | 244.15                     |
| 2.             | उत्तर प्रदेश                       | गंगा, रामगंगा, यमुना, सरयू, गोमती, काली पूर्व, कारवां, कृष्णी, काली पश्चिम, सरयू, धमोला, | 14,823.48                      | 5,878.76                                 | 2,491.07                   |
| 3.             | बिहार                              | गंगा, गंडक, कोसी, रामरेख, हरबरा, बूढ़ी, सोन, किऊल, सिरसिया, पौडाई नदी                    | 7,089.26                       | 4,342.43                                 | 803.10                     |
| 4.             | झारखंड                             | गंगा, दामोदर   | 1,310.30                       | 264.07                                   | 261.50                     |
| 5.             | पश्चिम बंगाल                       | गंगा, दामोदर, जलंगी  | 4,437.22                       | 1,858.68                                 | 767.24                     |
| 6.             | हरियाणा                            | यमुना  | 217.87                         | 217.94                                   | 145.00                     |
| 7.             | दिल्ली                             | यमुना  | 1,951.03                       | 1,942.12                                 | 1,268.00                   |
| 8.             | हिमाचल प्रदेश                      | यमुना  | 11.57                          | 3.75                                     | 1.72                       |
| 9.             | राजस्थान                           | चंबल   | 258.48                         | 187.04                                   | 36.00                      |
| 10.            | मध्य प्रदेश                        | कान्ह और सरस्वती, क्षपीरा, चंबल  | 669.92                         | -  | 237.38                     |
| 11.            | मॉड्यूलर एसटीपी विकेंद्रीकृत उपचार |  | 410.00                         | -  | -                          |
| <b>कुल योग</b> |                                    |  | <b>32,922.58</b>               | <b>15,536.82</b>                         | <b>6,255.15</b>            |

(II) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के अंतर्गत शामिल नदियों (दिनांक 31.10.2024 तक) का राज्य-वार ब्यौरा।

| क्र.सं.    | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शामिल नदियां  | स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में) | सरकार द्वारा जारी निधि (करोड़ रुपये में) | एसटीपी क्षमता (एमएलडी में) |
|------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|
| 1          | आंध्र प्रदेश            | गोदावरी   | 110.21                         | 273.06                                   | 30.00                      |
| 2          | तेलंगाना                | गोदावरी और मुसी   | 345.72                         |  | 621.46                     |
| 3          | जम्मू और कश्मीर         | देविका, तवी और झेलम और बाणगंगा  | 342.65                         | 139.05                                   | 13.60                      |
| 4          | झारखंड                  | सुबर्णरेखा  | 3.14                           | 4.26                                     | 0                          |
| 5          | गुजरात                  | साबरमती, मिंडोला और तापी  | 1875.29                        | 1027.64                                  | 696.97                     |
| 6          | गोवा                    | मंडोवी और जुआरी   | 95.23                          | 28.93                                    | 12.50                      |
| 7          | कर्नाटक                 | तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार  | 66.25                          | 47.83                                    | 41.64                      |
| 8          | महाराष्ट्र              | गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा, मूला-मुथा और नाग  | 3109.85                        | 501.66                                   | 260.00                     |
| 9          | मध्य प्रदेश             | वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती   | 20.16                          | 12.46                                    | 7.95                       |
| 10         | मणिपुर                  | नांबुल, मणिपुर और इंफाल   | 190.12                         | 84.21                                    | 16.00                      |
| 11         | ओडिशा                   | ब्राह्मणी, महानदी और तटीय क्षेत्र (पुरी)  | 92.74                          | 63.40                                    | 50.00                      |
| 12         | पंजाब                   | घग्गर, ब्यास और सतलुज   | 774.43                         | 516.14                                   | 663.20                     |
| 13         | राजस्थान                | जोजरी   | 172.60                         |  |                            |
| 14         | तमिलनाडु                | अडयार, कूम, वैगई, वेन्नार, कावेरी और ताम्बरानी  | 908.13                         | 623.65                                   | 477.66                     |
| 15         | केरल                    | पंबा, चित्रपुझा और पेरियार  | 115.76                         | 7.78                                     | 4.50                       |
| 16         | सिक्किम                 | रानी चू, तिस्ता   | 569.08                         | 368.41                                   | 20.12                      |
| 17         | नागालैंड                | दीफू, धनसिरी, चेथे, जुंगकी, गारू, मेलक, तापी, पुण्यौगानमोंग, केलेउरु, सेजू, तिजू, डोनयुंग, शुमंग, मुत्सुम और माराचू | 140.12                         | 68.33                                    | 25.43                      |
| <b>कुल</b> |                         |   | <b>8931.48</b>                 | <b>3766.81</b>                           | <b>2941.03</b>             |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 100

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना संबंधी आपतियां/आरोप/शिकायतें

100. डा. सस्मित पात्रा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ओडिशा राज्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के विशेष संदर्भ में पोलावरम परियोजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों और आपतियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इन आरोपों, आपतियों और शिकायतों के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने पोलावरम परियोजना को समर्थन और वित्त पोषण देना जारी रखने से पहले ओडिशा राज्य के हितों पर ध्यान नहीं दिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): ओडिशा सरकार से दिनांक 10.07.2023 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के निर्माण के कारण ओडिशा की चिंताओं को उठाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पीआईपी के बैक वाटर अध्ययन और परियोजना के कारण ओडिशा में जलमग्नता के विस्तार क्षेत्र के संबंध में ओडिशा की आशंकाओं पर प्रकाश डाला गया है। पत्र में उल्लिखित ओडिशा की आशंकाओं के समाधान के लिए और मूल वाद 04/2007 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2022 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग में ओडिशा सहित हितधारक राज्यों के साथ कई बैठकें हुई हैं और मुद्दों के समाधान के संबंध में सामंजस्य के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग): पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। भारत सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के समर्थन और वित्तपोषण में भारत सरकार ने ओडिशा और अन्य हितधारक राज्यों का सदैव उपयुक्त ध्यान रखा है।

\*\*\*\*\*



**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 99**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**कर्नाटक में नदी पुनरुद्धार परियोजनाएं**

**99. श्री ईरण्ण कडाडी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 12 तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग के तहत लक्षित नदियों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक संस्थान को सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) कर्नाटक में नदियों की पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है;
- (ग) आधारभूत और अनुमानित आंकड़ों (डेटा) के आधार पर इन नदियों की जल गुणवत्ता, जैव-विविधता और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य/गुणता में हुए सुधार को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रात्मक मेट्रिक्स का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आज की तारीख तक हासिल की गई मुख्य उपलब्धियों सहित इन परियोजनाओं के पूरा होने की विस्तृत समय-सीमा क्या है और भविष्य हेतु निर्धारित समय-सीमाएं क्या हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)**

(क), (ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के लिए गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) की तर्ज पर देश में छह नदी बेसिनों नामतः गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कावेरी, पेरियार और कृष्णा के लिए एक परियोजना परिस्थितकी आकलन और प्रबंधन योजना शुरू की गई है। जीआरबीएमपी के लिए अपनाए गए उसी मॉडल का अनुसरण करते हुए, इस परियोजना को संबंधित बेसिन राज्यों में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के संघ के माध्यम से निम्नानुसार आरंभ किया गया है:

| नदी बेसिन | कंसोर्टियम संस्थान (आईआईटी/एनआईटी) |
|-----------|------------------------------------|
| गोदावरी   | एनईईआरआई नागपुर और आईआईटी हैदराबाद |
| नर्मदा    | आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर    |
| महानदी    | एनआईटी रायपुर और एनआईटी राउरकेला   |
| कावेरी    | आईआईएस बेंगलोर और एनआईटी त्रिची    |
| पेरियार   | आईआईटी पल्लकड़ और एनआईटी कालीकट    |
| कृष्णा    | एनआईटी वरंगल और एनआईटी सुरथकल      |

छह बेसिनों के लिए परियोजना स्थिति आकलन और प्रबंधन योजना की कुल अवधि अप्रैल 2024 से आरंभ होकर 3 वर्षों की है। कंसोर्टियम संस्थानों को इन बेसिनों में नदियों/सहायक नदियों की स्थिति का आकलन करने और कार्य योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। परियोजना को 9 मिशनों में विभाजित किया गया है जिसमें डिलिवरेबल्स / माइल स्टोन का विशिष्ट सेट है। इन माइलस्टोन्स की विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित होती है और इन्हें तिमाही, द्विवार्षिक और वार्षिक आधार पर पूरा किया जाना होता है। पहली दो तिमाहियों में तीन रिपोर्टें शामिल की गई हैं, नामतः (i) एक दृष्टि में नदी, (ii) बेसिन डेमोग्राफी और (iii) नदी बेसिन में हवाई/ड्रोन सर्वेक्षण की स्थिति।

इस परियोजना के तहत नौ मिशनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि नदियों की वर्तमान स्थिति संबंधी सूचना का संग्रह और उनका मिलान किया जा सके जो बेसलाइन डेटा के रूप में कार्य करेगा और जिसके आधार पर इन नदियों की जल गुणवत्ता, जैव विविधता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार का आकलन करने के लिए उक्त संस्थानों द्वारा मात्रात्मक मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 66.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शिमोगा शहर में तुंगा नदी, भद्रावती शहर में भद्रा नदी, देवनगरे और हरिहर शहरों में तुंगभद्रा नदी, केआर नगर, कोल्लेगल, नंजनगुड और श्रीरंगपटना शहरों में कावेरी नदी, और बेंगलोर शहर में पेन्नार नदी के प्रदूषण उपशमन का कार्य किया गया था और कर्नाटक में 41.64 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 96  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

अमृत सरोवर मिशन

96. डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत निर्धारित किए गए और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रस्तावित अमृत सरोवरों में से कितने सरोवर पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने सरोवर अब भी लंबित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) मिशन के अंतर्गत इन अमृत सरोवरों के कार्यान्वयन की रूपरेख क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य दिनांक 15 अगस्त, 2023 तक पूरे देश में कुल 50,000 सरोवरों के साथ प्रत्येक ग्रामीण जिले (दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को छोड़कर) में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। अक्टूबर 2024 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार पूरा किया जा चुका है।

(ख और ग): उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, निर्माण और पुनरुद्धार के लिए 153 अमृत सरोवरों की पहचान की गई थी और इन सभी का निर्माण पूरा हो चुका है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 94**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**पंजाब में जल शक्ति मिशन का कार्यान्वयन**

**94. श्री हरभजन सिंह:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य में जल शक्ति मिशन के कार्यान्वयन का लक्ष्य हासिल कर लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पंजाब में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मिशन नाम के किसी भी मिशन का कार्यान्वयन नहीं करता है। हालांकि, मंत्रालय जल शक्ति अभियान (जेएसए) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) नाम के दो कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। जल शक्ति अभियान (जेएसए) जुलाई-नवंबर 2019 की अवधि में देश के 256 जल की कमी वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में एक समयबद्ध(टाइम बाउन्ड) मिशन मोड जल संरक्षण अभियान था। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में जलशक्ति अभियान नहीं चलाया जा सका। हालांकि, जेएसए 2019 की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन ने फरवरी 2020 में "कैच द रेन" (सीटीआर) अभियान शुरू किया। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में कैच द रेन अभियान को शामिल करते हुए "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) को शुरू किया, जिसमें देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। जेएसए: सीटीआर अभियान में पांच केंद्रित कार्यकलाप हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं। वर्तमान में, 2021 से

जेएसए: सीटीआर एक वार्षिक विशेषता बन गई है और दिनांक 09.03.2024 को पंजाब के सभी जिलों सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिनांक 09.03.2024 से 30.11.2024 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए जेएसए: सीटीआर का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया था।

इस अभियान के अंतर्गत किन्हीं परिभाषित लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया है और राज्य सरकारों को जल संरक्षण के उद्देश्य हेतु हर संभव कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेएसए: सीटीआर पोर्टल ([jsactr.mowr.gov.in](http://jsactr.mowr.gov.in)) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 19.11.2024 तक, पंजाब में लगभग 81,000 जल- संबंधित कार्यों सहित जेएसए पहल के अंतर्गत लगभग 1.56 करोड़ जल- संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, देश भर में 695 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) भी स्थापित किए गए हैं और पंजाब के सभी 23 जिलों में जेएसके स्थापित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के अंतर्गत, देश भर के 612 जिलों द्वारा जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों ने भी अपनी जल संरक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे भारत सरकार द्वारा पंजाब सहित राज्यों की साझेदारी के साथ अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों के आयोजन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जैसा कि पंजाब सरकार द्वारा सूचित किया गया है, इसने पंजाब में 100% ग्रामीण परिवारों यानी 34,26,749 ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के साथ संतृप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पंजाब के सभी 23 जिलों को हर घर जल जिलों के रूप में प्रमाणित किया गया है।

**(ग) और (घ):** जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पंजाब में शेष परियोजनाओं का ब्यौरों के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन टाइमलाइन नीचे दिया गया है:

(i) पंजाब सरकार की एक बाढ़ प्रबंधन परियोजना नामतः “बाढ़ बचाव कार्य” पंजाब (चरण-I) के गुरदासपुर और अमृतसर जिला में ग्रामीण अबादी की सुरक्षा, बोर्डर क्षेत्र में बाड़ा लगाना और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों की स्थापना के लिए भूमि कटाव की जांच करने हेतु रावी नदी और उज्ज

सहित इसकी सहायक नदियों को भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर 29.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) योजना की नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत केंद्रीय वित्तपोषण के लिए शामिल किया गया है। इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार को 26.15 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस परियोजना को पूरा करने की समयसीमा मार्च, 2025 है।

(ii) पंजाब राज्य में एक राष्ट्रीय परियोजना नामतः शाहपुर कांडी के लिए 3,394.49 करोड़ रुपये अनुमानित लागत से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है और इस परियोजना को पूरा करने की समयसीमा दिसंबर, 2025 है।

(iii) पंजाब राज्य में 1,976.75 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत राजस्थान फीडर और पंजाब के श्रीहिंद फीडर की रिलाइनिंग करना- इस परियोजना को पूरा करने की समयसीमा जून, 2025 है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 92**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**यमुना नदी में प्रदूषण**

**92. डा. भीम सिंह:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत में नदियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से किन-किन नदियों में नगर निकाय क्षेत्रों के गंदे नालों का पानी बगैर उपचार किए छोड़ा जा रहा है;
- (ख) गंदे पानी के उपचार के बाद भी दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषित रहने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि कई एसटीपी निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे जिससे यमुना नदी का जल स्वच्छ नहीं हो पा रहा है; और
- (घ) यदि हां, एसटीपी संचालन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही इस संबंध में किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)**

(क): वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे। इसका विवरण निम्नानुसार उपलब्ध है:

<https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=>

(ख): दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नवत हैं:

- i. यमुना नदी में अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का बहाव। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर, 2024 में सीवेज उपचार में अंतर 836.9 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है;

- ii. कुछ अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का अभाव;
- iii. नई परियोजनाओं के पूरा होने तथा सीवेज उपचार परियोजनाओं के पुनर्वास और/अथवा उन्नयन में विलम्ब।

(ग): डीपीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसा पाया गया है कि 38 कार्यशील एसटीपी में से केवल 16 एसटीपी ही निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

(घ): सुधारात्मक कार्रवाइयां निम्नवत हैं:

- i. डीपीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीजेबी के सभी कार्यशील एसटीपी की निगरानी प्रत्येक माह डीपीसीसी द्वारा की जा रही है और विश्लेषण रिपोर्ट डीपीसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीपीसीसी निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए नियमित आधार पर डीजेबी के साथ संपर्क बनाए रखता है।
- ii. दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रत्येक अनुबंध में उपचारित अपशिष्ट आदि के गारंटी मापदंडों को पूरा न करने के मामले में दंड का प्रावधान किया गया है और, इस सम्बंध में गैर-अनुपालना के लिए समय-समय पर भुगतान रोक दिया जाता है/वसूल किया जाता है। यदि एजेंसियां बार-बार पत्र भेजे जाने के बाद भी समुचित रूप से उत्तर नहीं देती हैं तो दिल्ली जल बोर्ड के पास ऐसी एजेंसियां को निविदा प्रक्रिया से हटाने/इस प्रक्रिया से वंचित करने का प्रावधान है। दिल्ली जल बोर्ड ने विभिन्न स्थलों पर चूककर्ता फर्मों के संबंध में कार्रवाई की है।
- iii. सीपीसीबी ने दिल्ली में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की गैर-अनुपालन स्थिति के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को निर्देश जारी किए हैं।
- iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना संवर्धन परियोजनाओं पर कार्य कर रही है :-

क. कौडली चरण-II, रिठाला चरण-I और यमुना विहार चरण-II में मौजूदा 3 एसटीपी का पुनर्वास;

ख. मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता में वृद्धि;

ग. विभिन्न अवरोधक सीवर परियोजनाएँ।

- v. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, दिल्ली में 1,268 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित करने के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,951 करोड़ रुपए है। इनमें से आठ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यशील हैं।
- vi. केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राज्य एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 89  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों का विकास

89. डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार कृषि की वर्षा जल पर निर्भरता कम करने के लिए गावों के छोटे जल निकायों जैसे कि तालाबों, नहरों और कुओं को विकसित करने का विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में चलाए गए जल शक्ति अभियान की सफलता के बाद, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान "कैच द रेन" अभियान की शुरुआत की गई, जिसका टैग लाइन था, "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स"। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में कैच द रेन अभियान को शामिल करते हुए "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए:सीटीआर) शुरू किया, जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। जेएसए:सीटीआर अब वर्ष 2021 से एक वार्षिक विशेषता बन गई है और जेएसए:सीटीआर का 5वां संस्करण दिनांक 09.03.2024 से देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिनांक 09.03.2024 से दिनांक 30.11.2024 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत विभिन्न लक्षित कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) और परिसरों में जल संचयन गड्ढों का विकास; मौजूदा आरडब्ल्यूएचएस का रखरखाव और नए चेकडैम/तालाबों का निर्माण; पारंपरिक डब्ल्यूएचएस का पुनरुद्धार; टैंकों/झीलों और उनके जलग्रहण चैनलों से अतिक्रमण हटाना; टैंकों से गाद निकालना, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण; वाटरशेड विकास; छोटी नदियों और नालों का पुनरुद्धार;

आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार और बाढ़-तटों की सुरक्षा आदि शामिल हैं। जल निकायों के विकास और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन से उस समय जब वर्षा कम होती है, पेयजल, कृषि, भूजल के स्तर को बढ़ाने आदि के लिए वर्षा के जल को एकत्र करने में सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की थी। इसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के सृजन का प्रावधान है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) के अंतर्गत हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का एक भाग है जिससे खेत पर पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना (पीडीएमसी) का फोकस सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर है। प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम (पीडीएमसी) सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि के स्तर पर जल के उपयोग की क्षमता को बढ़ाने की दिशा की ओर केन्द्रित है। यह कार्यक्रम और स्कीमें मिलकर उस समय जब वर्षा कम होती है, वर्षा के जल को एकत्र करके पेयजल, कृषि, भूजल के स्तर को बढ़ाने आदि के लिए सहायक होती हैं।

(ग): जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 86**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**जल भंडारण क्षमता में कमी**

**86. श्री यर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल भंडारण क्षमता को घटाकर 41.5 मीटर (135 फीट) कर दिया है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि यह परियोजना 41.5 मीटर भंडारण क्षमता के साथ पूरी की जाएगी और मंत्रिमंडल ने इसके लिए 30,436 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;
- (ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 45.72 मीटर (150 फीट) जल भंडारण क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे और संशोधित अनुमान भी मांगे थे; और
- (घ) यदि हां, तो क्षमता को कम करने और 55,657 करोड़ रुपए की परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** पोलावरम सिंचाई परियोजना की जल भंडारण क्षमता को नहीं घटाया गया है और +45.72 मीटर के ऊंचाई स्तर पर पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के साथ जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड-1980 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

**(ख) से (घ):** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने फरवरी, 2019 में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आयोजित अपनी 141 वीं बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पोलावरम सिंचाई परियोजना की दूसरी संशोधित अनुमानित लागत के लिए 55,656.87 करोड़ रुपये स्वीकार कर लिया था।

परियोजना से प्रारंभिक लाभ प्राप्त करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने +41.15 मीटर ऊंचाई स्तर - न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर तक जल भंडारण के साथ अगस्त, 2023 में संशोधित अनुमानित लागत को प्रस्तुत किया है, जिसमें +45.72 मीटर ऊंचाई स्तर पर पूर्ण जलाशय स्तर के लिए बांध, स्पिलवे और सहायक संरचनाओं जैसे परियोजना घटकों का निर्माण और +41.15 मीटर ऊंचाई स्तर तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने '+41.15 मीटर ऊंचाई स्तर यानी न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत' के लिए 30,436.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 85  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में भू-जल स्तर में गिरावट

85. श्री मदन राठौड़:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजस्थान सहित देश में तेजी से घटते जल स्तर को रोकने के लिए कोई नीति बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भू-जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और भू-जल की राज्य-वार स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने भविष्य की तैयारी हेतु राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भू-जल की स्थिति के संबंध में हाल ही में कोई अनुसंधान या सर्वेक्षण कराया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में जल संरक्षण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): देश में जल संसाधनों के समग्र और सतत विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में ही राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) तैयार कर ली गई थी। तदुपरांत वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में इसकी समीक्षा की गई और इसे अद्यतन किया गया। भूजल के परिप्रेक्ष्य से एनडब्ल्यूपी में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, देश के जलभृतों की मैपिंग, विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना द्वारा दोहन का उचित विनियमन और सतही एवं भूजल का एकीकृत विकास शामिल है। एनडब्ल्यूपी के आधार पर, मंत्रालय द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के साथ-साथ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के प्रावधान के उद्देश्य से विनियामक प्रणाली तैयार करने के लिए भूजल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया गया था। इस मॉडल विधेयक (बिल) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे अपना लिया गया है।

(ख) से (घ): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से देश के डायनेमिक भूमि जल संसाधन का आकलन वार्षिक रूप से करता है। वर्ष 2023 में पूरे देश के भूजल दोहन (एसओई) की स्थिति का आकलन 59.26% के रूप में किया गया है। वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार वार्षिक भूजल पुनर्भरण और दोहन का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित करती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों सहित राजस्थान के 10 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में अनगिनत भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए की सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में देश में लगभग 98 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें राजस्थान की लगभग 4.8 लाख संरचनाएं शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में किए गए ऐसे सभी जल संरक्षण कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।
- ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत की अवस्थिति और उनकी विशेषताओं की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया है। राजस्थान के 3.34 लाख वर्ग किमी सहित देश के समस्त मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर प्लान-2020 को राजस्थान सहित पूरे देश के लिए तैयार किया गया है जिसमें देश में 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल हेतु लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की एक व्यापक रूपरेखा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई है।
- iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो राजस्थान सहित 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल की मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागिता भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित योजना है।
- v. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों सहित राजस्थान के चुनिंदा जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन पर परियोजना शुरू की गई है। इन संरचनाओं में मृदा/ग्रेविटी बांध, चेक बांध, एनीकट और तालाबों के साथ पुनर्भरण शाफ्ट शामिल हैं।
- vi. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से राजस्थान सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह

योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खेत पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

- vii. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राजस्थान सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है।
- viii. देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण निम्नलिखित लिंक <https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/> पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिवर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतिया', आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन', तमिलनाडु में 'कुडीमारमठ' योजना आदि के रूप में किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

“राजस्थान में भू-जल स्तर में गिरावट” के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के राज्यवार भूजल संसाधन, 2023 (बीसीएम में)

| क्रमांक | राज्य               | कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण | वार्षिक दोहन योग्य भूजल | कुल वर्तमान भूजल दोहन | भूजल दोहन का चरण (%) |
|---------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1       | आंध्र प्रदेश        | 27.83                     | 26.45                   | 7.48                  | 28.3                 |
| 2       | अरुणाचल प्रदेश      | 4.65                      | 4.16                    | 0.02                  | 0.42                 |
| 3       | असम                 | 27.26                     | 20.93                   | 2.63                  | 12.54                |
| 4       | बिहार               | 33.96                     | 30.72                   | 13.75                 | 44.76                |
| 5       | छत्तीसगढ़           | 13.34                     | 12.18                   | 5.75                  | 47.17                |
| 6       | दिल्ली              | 0.38                      | 0.34                    | 0.34                  | 99.13                |
| 7       | गोवा                | 0.396                     | 0.317                   | 0.068                 | 21.37                |
| 8       | गुजरात              | 27.35                     | 25.41                   | 13.13                 | 51.68                |
| 9       | हरियाणा             | 9.55                      | 8.69                    | 11.8                  | 135.74               |
| 10      | हिमाचल प्रदेश       | 1.11                      | 1.01                    | 0.35                  | 34.95                |
| 11      | झारखंड              | 6.25                      | 5.73                    | 1.8                   | 31.38                |
| 12      | कर्नाटक             | 18.93                     | 17.08                   | 11.32                 | 66.26                |
| 13      | केरल                | 5.53                      | 5.01                    | 2.73                  | 54.55                |
| 14      | मध्य प्रदेश         | 35.47                     | 32.85                   | 19.3                  | 58.75                |
| 15      | महाराष्ट्र          | 32.76                     | 30.95                   | 16.66                 | 53.83                |
| 16      | मणिपुर              | 0.52                      | 0.47                    | 0.04                  | 7.99                 |
| 17      | मेघालय              | 1.83                      | 1.51                    | 0.07                  | 4.58                 |
| 18      | मिजोरम              | 0.22                      | 0.2                     | 0.01                  | 3.70                 |
| 19      | नागालैंड            | 0.6                       | 0.54                    | 0.02                  | 3.76                 |
| 20      | ओडिशा               | 17.35                     | 15.94                   | 7.39                  | 46.33                |
| 21      | पंजाब               | 18.84                     | 16.98                   | 27.8                  | 163.76               |
| 22      | <b>राजस्थान</b>     | <b>12.45</b>              | <b>11.25</b>            | <b>16.74</b>          | <b>148.77</b>        |
| 23      | सिक्किम             | 0.243                     | 0.219                   | 0.012                 | 5.54                 |
| 24      | तमिलनाडु            | 21.59                     | 19.51                   | 14.42                 | 73.91                |
| 25      | तेलंगाना            | 23.14                     | 20.92                   | 8.09                  | 38.65                |
| 26      | त्रिपुरा            | 1.36                      | 1.09                    | 0.11                  | 9.92                 |
| 27      | उत्तर प्रदेश        | 71.83                     | 65.57                   | 46.4                  | 70.76                |
| 28      | उत्तराखंड           | 2.02                      | 1.85                    | 0.95                  | 51.69                |
| 29      | पश्चिम बंगाल        | 26.29                     | 23.9                    | 10.71                 | 44.81                |
| 30      | अंडमान और निकोबार   | 0.618                     | 0.557                   | 0.008                 | 1.37                 |
| 31      | चंडीगढ़             | 0.054                     | 0.048                   | 0.037                 | 75.41                |
| 32      | दादरा एवं नगर हवेली | 0.09                      | 0.08                    | 0.11                  | 131.53               |
|         | दमन और दीव          | 0.035                     | 0.033                   | 0.057                 | 170.70               |
| 33      | जम्मू और कश्मीर     | 4.94                      | 4.46                    | 1.08                  | 24.20                |
| 34      | लद्दाख              | 0.09                      | 0.08                    | 0.03                  | 37.05                |
| 35      | लक्षद्वीप           | 0.014                     | 0.005                   | 0.003                 | 61.723               |
| 36      | पुदुचेरी            | 0.20                      | 0.18                    | 0.13                  | 70.27                |
|         | <b>कुल</b>          | <b>449.08</b>             | <b>407.21</b>           | <b>241.34</b>         | <b>59.26</b>         |

“राजस्थान में भू-जल स्तर में गिरावट” के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

**जल शक्ति अभियान के तहत किए गए जल संरक्षण कार्य  
राज्यवार (अवधि: मार्च 2021 से अक्टूबर 2024 तक)**

| जल शक्ति अभियान: कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट          |                                   |                               |                                |                                  |                |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| *जेएसए पोर्टल में पूर्ण कार्यों को दर्शाने वाले आंकड़े |                                   |                               |                                |                                  |                |
| क्रमांक  | राज्य                             | *जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन | *पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण | *पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं | *वाटरशेड विकास |
| 1  | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह      | 244                           | 930                            | 321                              | 121            |
| 2  | आंध्र प्रदेश                      | 280985                        | 88001                          | 8084                             | 103429         |
| 3  | अरुणाचल प्रदेश                    | 1683                          | 171                            | 335                              | 684            |
| 4  | असम                               | 42255                         | 5838                           | 909                              | 45730          |
| 5  | बिहार                             | 164330                        | 24801                          | 72705                            | 78630          |
| 6  | चंडीगढ़                           | 319                           | 8                              | 0                                | 0              |
| 7  | छत्तीसगढ़                         | 192693                        | 60007                          | 41269                            | 114873         |
| 8  | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 246                           | 1                              | 0                                | 0              |
| 9  | दिल्ली                            | 113                           | 36                             | 0                                | 0              |
| 10   | गोवा                              | 72                            | 88                             | 15                               | 59             |
| 11   | गुजरात                            | 42570                         | 25754                          | 42907                            | 93999          |
| 12   | हरियाणा                           | 68459                         | 19266                          | 45582                            | 15352          |
| 13   | हिमाचल प्रदेश                     | 37353                         | 5527                           | 2918                             | 100586         |
| 14   | जम्मू और कश्मीर                   | 39191                         | 9119                           | 90952                            | 104965         |
| 15   | झारखंड                            | 77729                         | 2026                           | 32617                            | 318761         |
| 16   | कर्नाटक                           | 372998                        | 52157                          | 451540                           | 568627         |
| 17   | केरल                              | 91987                         | 41651                          | 77446                            | 270501         |
| 18   | लद्दाख                            | 3292                          | 118                            | 14128                            | 3947           |
| 19   | लक्षद्वीप                         | 3                             | 8                              | 0                                | 0              |
| 20   | मध्य प्रदेश                       | 435577                        | 23996                          | 78303                            | 256838         |
| 21   | महाराष्ट्र                        | 38120                         | 11167                          | 71965                            | 26385          |
| 22   | मणिपुर                            | 7335                          | 2329                           | 49                               | 2313           |
| 23   | मेघालय                            | 9800                          | 1387                           | 407                              | 8214           |
| 24   | मिजोरम                            | 22772                         | 974                            | 2056                             | 12068          |
| 25   | नागालैंड                          | 920                           | 317                            | 84                               | 938            |
| 26   | उड़ीसा                            | 164237                        | 29594                          | 31713                            | 174795         |
| 27   | पुदुचेरी                          | 290                           | 1718                           | 0                                | 21             |
| 28   | पंजाब                             | 5149                          | 14503                          | 3310                             | 23963          |

|    |              |                |               |                |                |
|----|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 29 | राजस्थान     | 309500         | 36790         | 11603          | 125305         |
| 30 | सिक्किम      | 6864           | 48            | 983            | 4114           |
| 31 | तमिलनाडु     | 385217         | 42793         | 534845         | 265720         |
| 32 | तेलंगाना     | 28040          | 24738         | 105548         | 58361          |
| 33 | त्रिपुरा     | 66409          | 2017          | 5109           | 61759          |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 218274         | 88394         | 101681         | 933967         |
| 35 | उत्तराखण्ड   | 173388         | 10968         | 5427           | 96456          |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 96602          | 44744         | 34964          | 54225          |
|    | <b>कुल</b>   | <b>3385016</b> | <b>671984</b> | <b>1869775</b> | <b>3925706</b> |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 83  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**‘कैच द रेन’ कार्यक्रम**

**83. श्री नरहरी अमीन:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ‘कैच द रेन’ कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए क्या योजना बनाई गई है;
- (ग) क्या वर्षा जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) वर्षा जल संरक्षण के संबंध में देश के प्रमुख राज्यों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** वर्ष 2019 में आयोजित जल शक्ति अभियान की सफलता के बाद, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान “कैच द रेन” अभियान शुरू किया गया था, जिसकी टैग लाइन थी “कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स”। इस अभियान का उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और उप-मृदा स्तर के अनुकूल वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण करके वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। सरकार द्वारा जागरूकता अभियान, अंतर-क्षेत्रीय साझेदारी और केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसे संगठनों के साथ सहयोग सहित बहुआयामी रणनीति अपनाई गई। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में कैच द रेन अभियान को शामिल करते हुए “जल शक्ति अभियान: कैच द रेन” (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया, जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया। वर्तमान में वर्ष 2021 से जेएसए: सीटीआर एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, और जेएसए: सीटीआर का पांचवां संस्करण 09.03.2024 को देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों में दिनांक 09.03.2024 से 30.11.2024 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया था।

**(ग) और (घ):** जल राज्य का विषय है और देश में वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संकट को कम करने के लिए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

i. भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

ii. 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी दोनों) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 को लागू कर रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां संस्करण है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, रखरखाव और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएँ, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक संमिश्रण है। अभियान के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में छत और जल संचयन संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और संरक्षण शामिल है।

iv. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूत करने के लिए: कैच द रेन अभियान, "जल संचय जन भागीदारी" पहल दिनांक 6 सितंबर 2024 को सूरत में शुरू की गई थी। यह पहल जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सरकारी निकायों, उद्योगों, स्थानीय

प्राधिकरणों, परोपकारियों, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों की एकजुट कार्रवाई के लिए प्रतिज्ञा को मूर्त रूप देती है, जिसका उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं/बोरवेल पुनर्भरण शाफ्टों के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज, एवं सरकार के दृष्टिकोण को संपूर्ण रूप से अपनाती है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य मिशन मोड में भूजल पुनर्भरण के लिए लाखों कम लागत वाले, किफायती समाधानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्षा जल की एक भी बूंद बर्बाद न हो।

v. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में वर्षा जल को जल निकायों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं मिल रहा हो) में वर्षा जल नालियों के माध्यम से संचयन करने का प्रावधान है। 'एक्विफर मैनेजमेंट प्लान' की तैयारी के माध्यम से शहरों का लक्ष्य शहरी सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण वृद्धि की रणनीति बनाना है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

vi. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपाय अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिनमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

vii. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया है, जो एक व्यापक स्तर की योजना है, जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है, ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा जल का दोहन किया जा सके।

viii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की पक्षधर है

और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

ix. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन करता है। अन्य बातों के साथ-साथ की जाने वाली गतिविधियों में वर्षा जल संचयन भी शामिल है।

x. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित करने की गतिविधि को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है, ताकि पंचायतें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 15वें वित्त आयोग (एफसी) निधि या उनके पास उपलब्ध किसी अन्य निधि से इसका कार्यान्वयन कर सकें।

(ड): जहां तक वर्षा जल संचयन में अग्रणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विवरण का सवाल है, केंद्र सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं को उत्साहपूर्वक लागू करने और अपने अधिकार क्षेत्र में यथासंभव वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये प्रयास भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने, स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय जल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 82  
जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना ह॥

.....

तमिलनाडु में चक्रवात और बाढ़ के कारण जान-माल का नुकसान

82. डा. मु. तंबी दुरण

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत तीन वर्षों के दौरान चक्रवात और बाढ़ के कारण तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, वर्ष-वार जान-माल का कितना नुकसान हुआ है;
- (ग) क्या सरकार ने चक्रवात और बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निधियां आवंटित की हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को दी गई निधियों की लेखा-परीक्षा की है अथवा लेखा-परीक्षा कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जल शक्तिराज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ.) बाढ़ से होने वाले नुकसान संबंधी जिले-वार आंकड़ों को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, तथापि, बाढ़ से होने वाले नुकसान संबंधी राज्य-वार आंकड़ों का संकलन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संबंधित राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा

गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-2022 से 2023-2024 के दौरान जल मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुई क्षति का ब्यौरा **अनुलग्नक -I** पर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारों के प्रयासों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यान्वयन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकारें, चक्रवात और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, अपने यहां पहले से स्थापित, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों एवं मानदण्डों के अनुसार प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। हालांकि, भीषण प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौर पर आधारित मूल्यांकन शामिल है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता को राहत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है न कि मुआवजे के रूप में। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत निधियों के आवंटन/जारी किए जाने का विवरण **अनुलग्नक - II** पर दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, द्वारा प्रत्येक वर्ष एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के उद्देश्यों के संदर्भ में, अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप एसडीआरएफ की लेखा परीक्षा/ प्रोफार्मा लेखा परीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार एसडीआरएफ से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेजेगी।

\*\*\*\*\*

तमिलनाडु में चक्रवात और बाढ़ के कारण जान-मान का नुकसान के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान तमिलनाडु में जल-मौसम संबंधी ञ पदाओं के कारण हुई क्षति का विवरण

| क्र. सं. | राज्य    | वर्ष                     |                      |                                      |   |                          |                      |                                      |   |                          |                      |                                      |   |
|----------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|          |          | 2021-22                  |                      |                                      |   | 2022-23                  |                      |                                      |   | 2023-2024                |                      |                                      |   |
|          |          | मानव जीवन क्षति (संख्या) | मवेशी क्षति (संख्या) | क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां (संख्या) | प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) | मानव जीवन क्षति (संख्या) | मवेशी क्षति (संख्या) | क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां (संख्या) | प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) | मानव जीवन क्षति (संख्या) | मवेशी क्षति (संख्या) | क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां (संख्या) | प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) |
| 1        | तमिलनाडु | 128                      | 6516                 | 48510                                | 0.83                                    | 16                       | 508                  | 435                                  | 1.53                                    | 160                      | 3039                 | 1606                                 | 0.36                                    |

अनुलग्नक-II

तमिलनाडु में चक्रवात और बाढ़ के कारण जान-मान का नुकसान के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2021-22 से 2023-2024 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रियानिधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रियानिधि (एनडीआरएफ) के तहत तमिलनाडु को धन के आवंटन और जारी करने का विवरण

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राज्य    | एसडी रएफ के तहत केंद्र और राज्य के हिस्से में ं वंटन |         |         | एसडी रएफ में केंद्र का हिस्सा जारी |         |         | एनडी रएफ से जारी (सभी ं पदाओं के लिए) |         |         |
|----------|----------|--|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|
|          |          | 2021-22  | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22                            | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22                               | 2022-23 | 2023-24 |
| 1        | तमिलनाडु | 1088.00  | 1142.40 | 1200.00 | 816.00                             | 856.80  | 900.00  | 566.36                                | -       | -       |

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 81

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल शक्ति केंद्रों की स्थापना

81. श्री आर. धरमार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल शक्ति केन्द्रों (जेएसके) की विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में इन केंद्रों के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु में इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने जिलों की पहचान की गई है;
- (घ) इसके अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में जेएसके स्थापित करने की योजना बनाई है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) की परिकल्पना संसाधन और ज्ञान के समर्पित केंद्र के रूप में की गई है, जो जल संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये जल से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें जल संरक्षण की श्रेष्ठ पद्धतियां और प्रभावी जल-संरक्षण तकनीक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जेएसके स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासनों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है। ये केंद्र, शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए हब के रूप में भी कार्य करते हैं, हितधारकों को स्थायी जल संरक्षण पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।

(ख): जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत निधियों का व्यय केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्प), वित्त आयोग अनुदान आदि के संमिलित वित्तपोषण (कन्वर्जन्ट फाइनेंसिंग) के माध्यम से किया जाता है। जल शक्ति केंद्रों की स्थापना स्थानीय रूप से उपलब्ध मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे दोनों के माध्यम से जिले में ही मौजूद संसाधनों से की जानी है। जल शक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त निधि प्रदान नहीं की जाती है। केवल 4 जिलों को पायलट उद्देश्य के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी ताकि इन्हें अन्य जेएसके के लिए मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। जहां तक तमिलनाडु और अन्य राज्यों का संबंध है, पायलट उद्देश्य के लिए 4 जिलों को छोड़कर जल शक्ति केन्द्रों के लिए ऐसी कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

**(ग) और (घ):** जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया। वर्ष 2021 से, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन (सीटीआर) अभियान को भी सम्मिलित कर लिया गया है और तमिलनाडु के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कोई परिभाषित लक्ष्य नहीं हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल संरक्षण के उद्देश्य से यथासंभव अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेएसए: सीटीआर पोर्टल ([jsactr.mowr.gov.in](http://jsactr.mowr.gov.in)) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक, जेएसए: सीटीआर पहल के तहत लगभग 1.56 करोड़ जल से संबंधित कार्य किए गए हैं।

**(इ) और (च):** जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत तमिलनाडु के जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से देश के सभी जिलों में जेएसके स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। जेएसए: सीटीआर पोर्टल ([jsactr.mowr.gov.in](http://jsactr.mowr.gov.in)) पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जेएसके की स्थापना की गई है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 80**  
**जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**नामामि गंगे कार्यक्रम**

**80. डा. कल्पना सैनी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नामामि गंगे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक उठाए गए कदमों और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अब तक अनुमोदित और जारी की गई निधियों तथा उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क):** भारत सरकार द्वारा गंगा और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014-15 में मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नामामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) आरंभ किया गया, जिसे 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नामामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए विविधतापूर्ण और समग्र हस्तक्षेप आरंभ किए गए हैं जिनमें अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवरफ्रंट प्रबंधन (घाट और शवदाहगृह), ई-फ्लो सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनीरोपण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी आदि शामिल हैं। 39,604 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 484 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 302 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और उनका संचालन किया जा रहा है।

**(ख)** गंगा और इसकी सहायक नदियों को सतत स्वच्छता के साथ प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. 5,249 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क बिछाने सहित 6,255 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण और पुनर्वास के लिए 32,513 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 203 **सीवरेज अवसंरचनात्मक**

**परियोजनाएं** शुरू की गई हैं। इनमें से 3,327 एमएलडी क्षमता वाले 125 एसटीपी और 4,532 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- ii. **औद्योगिक प्रदूषण उपशमन** के लिए 5 सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) अर्थात् जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंधर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), उन्नाव सीईटीपी (2.65 एमएलडी), मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और गोरखपुर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) को मंजूरी दी गई है। इन दो परियोजनाओं में से, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- iii. **अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण:** जीपीआई का निरीक्षण वर्ष 2017 में शुरू हुआ। वर्ष 2024 में निरीक्षण के 7वें दौर में 4246 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) को सूचीबद्ध किया गया है। अब तक निरीक्षित किए गए 2487 जीपीआई में से 1425 जीपीआई अनुपालन कर रहे हैं, 572 जीपीआई अनुपालन नहीं कर रहे हैं और 490 बंद पड़े हैं। अनुपालन न करने वाले (572 जीपीआई) में से 15 जीपीआई को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और 557 जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बीओडी भार वर्ष 2017 में 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर वर्ष 2022 में 13.73 टीपीडी हो गया है, और वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से अपशिष्ट निर्वहन में लगभग 28.6% की कमी के साथ वर्ष 2022 में यह 249.31 एमएलडी हो गया है;
- iv. एनएमसीजी में, गंगा और यमुना नदी पर नदी जल की गुणवत्ता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यनिष्पादन आदि की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए एक ऑन-लाइन डैशबोर्ड "प्रयाग" शुरू किया गया है;
- v. गंगा नदी बेसिन के पांच राज्यों में **4,507 चिन्हित गांवों** में स्वतंत्र घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन सभी गंगा तट के गांवों को अब खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अब तक 3,679 गंगा गांवों को ओडीएफ स्थिरता (ओडीएफ प्लस) घोषित किया गया है;
- vi. कुल 139 **जिला गंगा समितियों (डीजीसी)** का गठन किया गया है जो नियमित रूप से 4 एम (मासिक, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग) बैठकें आयोजित करती हैं। अब तक, वर्ष 2024 तक, 3,529 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;
- vii. एनएमसीजी द्वारा चयनित डीजीसी के समन्वय से अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) के तहत प्राप्त तकनीकी सहायता के साथ एनएमसीजी द्वारा विकसित एक सामान्य पद्धति और नदी बेसिन प्रबंधन ढांचे का

उपयोग कर रामगंगा बेसिन में 4 जिलों अर्थात् उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बरेली के लिए **जिला गंगा योजनाएं** तैयार की गई हैं;

- viii. उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात **गंगा जैव विविधता पार्क** का निर्माण किया गया है ;
- ix. **आर्द्रभूमि संरक्षण:** उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिकता वाली आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी गई है;
- x. एनएमसीजी द्वारा राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी की मुख्य धारा के साथ एक **वानिकी हस्तक्षेप** परियोजना लागू की गई है। लगभग 398 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य किया गया है;
- xi. केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत मछली जैव विविधता और नदी डॉल्फिन के शिकार से संरक्षण और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से कुल 105 लाख **भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी)** फिंगरलिंग्स को गंगा में रखा गया है;
- xii. भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए **विज्ञान आधारित प्रजाति बहाली कार्यक्रम**, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की संख्या बढ़ी है और जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार आया है;
- xiii. एनएमसीजी को उसके अनिवार्य कार्यों यथा (क) मृदा कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता सुरक्षा के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों में गश्त लगाना; (घ) घाटों का गश्त आदि कार्यों में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में **गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ)** का गठन किया गया था,
- xiv. गंगा दूतों (45,000), गंगा प्रहरियों (2,900 संख्या) और गंगा मित्र (700 संख्या) का एक संवर्ग **सार्वजनिक भागीदारी गतिविधियों** में शामिल है।
- xv. गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में जनता के मध्य जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना के सृजन के लिए व्यापक **जन जागरूकता अभियान** चलाए गए हैं। इनमें गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग,

गंगा आरती आदि शामिल हैं। इन प्रयासों को गंगा संरक्षाओं के समर्पित केंद्रों जैसे गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत से 15 नवंबर, 2024 तक प्रदूषण उपशमन के साथ-साथ गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं/हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई राशि और एनएमसीजी द्वारा विभिन्न एजेंसियों को वितरित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार निधि का आबंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत (वित्त वर्ष 2014-15) से लेकर 15 नवंबर 2024 तक परियोजनाओं/हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वच्छ गंगा मिशनों सहित विभिन्न एजेंसियों को वितरित राशि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1

“नमामि गंगे कार्यक्रम” विषय पर दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी राशि और एनएमसीजी द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों को वितरित राशि का वर्षवार विवरण (वित्तीय वर्ष 2014-15 से 15 नवंबर 2024)

करोड़ रुपये में

| वित्त वर्ष | भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई धनराशि | एनएमसीजी द्वारा संवितरण/जारी राशि |
|------------|---|-----------------------------------|
| 2014-15    | 326.00  | 170.99                            |
| 2015-16    | 1,632.00  | 602.30                            |
| 2016-17    | 1,675.00  | 1,062.81                          |
| 2017-18    | 1,423.12  | 1,625.01                          |
| 2018-19    | 2,307.50  | 2,626.54                          |
| 2019-20    | 1,553.40  | 2,673.09                          |
| 2020-21    | 1,300.00  | 1,339.97                          |
| 2021-22    | 1,900.00  | 1,892.70                          |
| 2022-23    | 2,220.00  | 2,258.98                          |
| 2023-24    | 2,400.00  | 2,396.10                          |
| 2024-25    | 1,401.60  | 1,026.47*                         |
| कुल        | 18,138.62                                       | 17,674.96                         |

\* 15 नवंबर 2024 तक

नोट:-

- एनएमसीजी वित्तीय वर्ष 2022-23 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) सिस्टम में पूरी तरह से ट्रांजिट हो गया। टीएसए से पहले, भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी अनुदान नॉन लैपसेबल थे।
- किसी विशेष वर्ष में एनएमसीजी द्वारा संवितरण अनुदान का उपयोग उसी वर्ष में नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान एनएमसीजी द्वारा संवितरण में पिछले वर्षों से अग्रेषित किए गए खर्च किए गए अनुदान शामिल होते हैं।
- एनएमसीजी द्वारा संवितरण/रिलीज में से 753.71 करोड़ रुपये की राशि के अव्ययित अनुदान को विभिन्न कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों द्वारा भारत की संचित निधि में वापस कर दिया गया है।

अनुलग्नक-II

“नमामि गंगे कार्यक्रम” विषय पर दिनांक 25.11.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वार्षिक राज्य-वार संवितरण  
(वित्तीय वर्ष 2014-15 से 15 नवंबर 2024)

| क्रम संख्या | राज्य         | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20  | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1           | उत्तराखंड     | 4.26    | 37.04   | 44.03   | 242.49  | 328.94  | 122.28   | 124.82  | 147.51  | 111.72  | 144.40  | 19.28   |
| 2           | उत्तर प्रदेश  | 74.58   | 153.35  | 585.15  | 550.12  | 823.77  | 876.68   | 472.46  | 450.69  | 707.44  | 820.74  | 423.55  |
| 3           | बिहार         | -       | 124.23  | 88.07   | 367.18  | 673.03  | 1,185.17 | 193.84  | 250.70  | 873.39  | 878.96  | 252.50  |
| 4           | झारखंड        | 0.97    | 27.83   | 49.53   | 21.72   | 86.73   | 30.50    | 28.09   | 13.61   | 4.75    | 32.60   | 33.15   |
| 5           | पश्चिम बंगाल  | 73.85   | 185.49  | 117.25  | 245.87  | 227.62  | 70.60    | 105.06  | 134.42  | 255.52  | 150.88  | 66.11   |
| 6           | मध्य प्रदेश   | -       | 3.39    | 6.50    | -       | -       | -        | -       | -       | -       | 12.50   | 11.00   |
| 7           | दिल्ली        | -       | 4.96    | 2.17    | 81.57   | 310.69  | 214.47   | 235.00  | 405.00  | 77.33   | 161.18  | -       |
| 8           | हरियाणा       | -       | 30.00   | 52.73   | 6.88    | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -       |
| 9           | राजस्थान      | -       | -       | 20.00   | -       | 1.25    | -        | -       | 50.00   | -       | -       | -       |
| 10          | हिमाचल प्रदेश | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 1.25    | 2.50    | -       | -       | -       |

**टिप्पणी 1:** ऊपर दर्शाए गए राज्य-वार संवितरण में (i) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और संबंधित अवसंरचनात्मक ढांचे के लिए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, (ii) वनरोपण परियोजनाओं के लिए राज्य वन विभाग, (iii) हाइब्रिड एन्युटी मोड पर कार्यान्वित एसटीपी परियोजनाएं, (iv) आरएफडी/घाट परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, (v) गंगा ग्राम में एसबीएम/ओडीएफ हस्तक्षेपों के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग और राज्य ग्रामीण स्वच्छता मिशन और (vi) औद्योगिक प्रदूषण उपशमन परियोजनाएं।

**नोट 2:** एनएमसीजी द्वारा उपर्युक्त संवितरण/जारी निधि में से, 689.71 करोड़ रुपये की अव्ययित अनुदान विभिन्न कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों द्वारा भारत की संचित निधि में वापस कर दी गई है

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 709

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

देश की नदियों में जल की गुणवत्ता

709. श्री जोस के. मणि:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश की नदियों में जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार नदियों में जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट सहित शहरी अपशिष्ट के मुद्दे का समाधान कर रही है, और अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियों में सुधार के लिए कौन-सी पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं; और
- (घ) क्या सरकार की नदियों पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने और संधारणीय परिपाटियों को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की कोई योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नदी जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर समय-समय पर नदियों के प्रदूषण का आंकलन किया जाता है। सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित पिछली रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 603 नदियों की निगरानी की गई थी और 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है। प्रदूषण स्तर का राज्य और नदीवार विवरण निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://cpcb.nic.in/openpdf.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGhlcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=>

(ग): यह राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदण्डों के

अनुसार आवश्यक शोधन सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए नमामि गंगे और गंगा नदी बेसिन के अलावा अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अनुसार यह उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे रीसाइक्लिंग, पुनः उपयोग या उसका निपटारा करते हुए अपने प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे का निपटान सुनिश्चित करें।

**(घ):** नदियों की स्वच्छता के लिए, नदी संरक्षण/कायाकल्प कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जन भागीदारी है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियानों/प्रकाशनों, पर्चों, वीडियो फिल्मों, यात्राओं, स्लोगन/चित्रकला/निबंध प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से नदियों के महत्व, कार्यों और पारिस्थितिकीय सेवाओं के बारे में स्थानीय लोगों, छात्रों और हितधारकों के बीच शिक्षा और जन जागरूकता सहित विभिन्न संरक्षण/कायाकल्प गतिविधियों के लिए भागीदार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वच्छ भारत शहरी-मिशन के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन और विशिष्ट एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी के साथ 'स्वच्छ हरित अभियान' शुरू किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 715  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**छत्तीसगढ़ में भूजल संदूषण**

**715. श्री राजीव शुक्ला:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस तथ्य का संज्ञान ले रही है कि छत्तीसगढ़ में भूजल तेजी से कम हो रहा है तथा इसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन के रासायनिक संदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (घ) इसके लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर में भूजल स्तर की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। नवंबर 2023 के दौरान, छत्तीसगढ़ में मॉनीटर किए गए लगभग 76.4% कुओं में जल स्तर 0-5 एमबीजीएल (मीटर-भू-स्तर से नीचे) के मध्य पाया गया है, जो भूजल की सुलभ उपलब्धता को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए डॉयनेमिक भूजल संसाधन आकलन, 2023 के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 146 आकलन इकाइयों में से 119 इकाइयां सुरक्षित श्रेणी में पाई गईं और जबकि समग्र रूप से राज्य का भूजल निष्कर्षण 47.17% था।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन सहित विभिन्न पैरामीटरों के लिए भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के भूजल में फ्लोराइड (वर्ष 2019 से 2023 तक मानसून-पूर्व आंकड़ों के आधार पर) तथा आर्सेनिक

और आयरन संदूषण का विवरण (मॉनसून-पूर्व वर्ष 2019, 2020 और 2023 के आंकड़ों के आधार पर) **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

**(ग) और (घ)** जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय जेएसए 2024 का कार्यान्वयन देश में जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष बल देते हुए छत्तीसगढ़ के ऐसे ही 3 जिलों में भी किया जा रहा है।
- ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के 96,000 वर्ग किमी सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छत्तीसगढ़ सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।
- v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार कार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ सहित देश में भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

- vi. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को समुचित मात्रा में निर्दिष्ट गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली अबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।
- vii. चूंकि सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और इसके संस्थापन में समय लगता है अतः पूर्णतः अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को उनकी पेय और रसोई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) संस्थापित करने का परामर्श दिया गया है।
- viii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्रित उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न हितधारकों के उपयोग हेतु रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को साझा भी किया जाता है।
- ix. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों से निकासी के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड उपशमन में राज्य के विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है।
- x. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1

नमामि गंगे परियोजना की प्रगति" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 715 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2019 से भूजल के नमूनों में अनुमत्य सीमा से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की सांद्रता का प्रतिशत

| वर्ष | फ़्लोराइड<br>एफ>1.5 एमजी /ली से<br>अधिक वाले नमूनों की<br>संख्या | आर्सेनिक<br>एएस>10 पीपीबी से<br>अधिक वाले नमूनों की<br>संख्या | लोह<br>एफई>1.0 एमजी /ली से<br>अधिक वाले नमूनों की<br>संख्या |
|------|--|---|---|
| 2019 | 5.23   | 0.3   | 10.03   |
| 2020 | 2.03   | 0   | 11.63   |
| 2021 | 1.28   | विश्लेषण नहीं किया गया  | विश्लेषण नहीं किया गया                                      |
| 2022 | 1.52   | विश्लेषण नहीं किया गया  | विश्लेषण नहीं किया गया                                      |
| 2023 | 2.35   | 0.52  | 16.04   |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 712**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**बाढ़ प्रबंधन**

**712. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक राज्य में विशेष रूप से 2021 से अब तक बाढ़ से फसलों, भूमि, संपत्ति और जीवन को हुए नुकसान के आंकड़े क्या हैं;
- (ख) विगत चार वर्षों के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि जारी की गई है;
- (ग) बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और वित्तपोषण पैटर्न क्या हैं; और
- (घ) पीएमकेएसवाई के बाढ़ प्रबंधन घटक के तहत आज तक स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** भारी वर्षा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को संबंधित राज्यों से पुष्टि के बाद सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब तक, बाढ़ से होने वाले नुकसान का डेटा रिकॉर्ड वर्ष 1953 से 2022 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। सीडब्ल्यूसी के डेटा बैंक के अनुसार, 2021-2022 से कर्नाटक के संबंध में बाढ़/भारी वर्षा के कारण भूमि, संपत्ति और जीवन को हुए नुकसान का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

**(ख):** पिछले चार वर्षों के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

| पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान एफएमपी और आरएमबीए के अंतर्गत जारी धनराशि |               |                                |       |
|--|---------------|--------------------------------|-------|
| करोड़ रुपये में  |               |                                |       |
| वर्ष   | एफएमपी<br>घटक | आरएमबीए (अनुदान<br>सहायता) घटक | कुल   |
| वित्त वर्ष:2020-21   | 37.80         | 42.49                          | 80.29 |

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| वित्त वर्ष:2021-22 | 239.75 | 3.736  | 243.49 |
| वित्त वर्ष:2022-23 | 325.28 | 88.96  | 414.24 |
| वित्त वर्ष:2023-24 | 100.71 | 74.59  | 175.30 |
| कुल                | 703.54 | 209.78 | 913.32 |

(ग): बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को लागू किया था, जो बाढ़ में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 के महा में वर्ष 2021-22 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि) तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को मंजूरी दी है।

एफएमबीएपी योजना के दो घटक हैं:

1. एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के अंतर्गत, विशेष श्रेणी के राज्यों (8 पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों) के लिए 90% (केंद्र): 10% (राज्य) और सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 60% (केंद्र): 40% (राज्य) का वित्तपोषण किया जाएगा। अक्टूबर, 2024 तक एफएमपी घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 7136.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

2. एफएमबीएपी के नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत, पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य, जिसमें जल विज्ञान संबंधी अवलोकन और बाढ़ का पूर्वानुमान तथा संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं (पड़ोसी देशों के साथ) की जांच और निर्माण-पूर्व गतिविधियां शामिल हैं, 100% केंद्रीय सहायता से किए जाते हैं।

(घ): एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत अक्टूबर, 2024 तक कुल 529 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं की सूची **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

"बाढ़ प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 712 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कर्नाटक में वर्ष 2021 से 2022 तक बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं. | वर्ष | फसलों को नुकसान           |                      | घरों को नुकसान |                      | मृत मवेशियों की संख्या | जान-माल का नुकसान | सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान |
|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
|          |      | क्षेत्र (मिलियन.हेक्टेयर) | मूल्य करोड़ रुपए में | संख्या         | मूल्य करोड़ रुपए में |                        |                   |                             |
| 1        | 2    | 5                         | 6                    | 7              | 8                    | 9                      | 10                | 11                          |
| 1        | 2021 | 1.19                      | 1069.19              | 38802          | 170.12               | 734                    | NR                | 736.50                      |
| 2        | 2022 | 1.03                      | एन.आर                | 49362          | एन.आर                | 1676                   | 152               | एन.आर                       |

- एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया

विभाग के पास 2022 तक की बाढ़ से होने वाली क्षति का डेटा उपलब्ध है तथा वह वर्तमान में आगामी वर्षों के लिए डेटा एकत्रित कर उसे तैयार कर रहा है।

\*\*\*\*\*

बाढ़ प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 712 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

| क्रमांक | राज्य            | स्वीकृत परियोजनाओं की सूची |
|---------|------------------|----------------------------|
| 1       | अरुणाचल प्रदेश   | 23                         |
| 2       | असम              | 142                        |
| 3       | बिहार            | 48                         |
| 4       | छत्तीसगढ़        | 3                          |
| 5       | गोवा             | 2                          |
| 6       | गुजरात           | 2                          |
| 7       | हरियाणा          | 1                          |
| 8       | हिमाचल प्रदेश    | 8                          |
| 9       | जम्मू एवं कश्मीर | 44                         |
| 10      | झारखंड           | 3                          |
| 11      | कर्नाटक          | 3                          |
| 12      | केरल             | 4                          |
| 13      | मणिपुर           | 23                         |
| 14      | मेघालय           | 0                          |
| 15      | मिजोरम           | 2                          |
| 16      | नगालैंड          | 17                         |
| 17      | ओडिशा            | 68                         |
| 18      | पुडुचेरी#        | 1                          |
| 19      | पंजाब            | 5                          |
| 20      | सिक्किम          | 45                         |
| 21      | तमिलनाडु         | 5                          |
| 22      | त्रिपुरा         | 11                         |
| 23      | उत्तर प्रदेश     | 29                         |
| 24      | उत्तराखंड        | 22                         |
| 25      | पश्चिम बंगाल     | 18                         |
|         | कुल              | 529                        |

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 711**  
**जिसका उत्तर 2 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन**

**711. श्री तिरुची शिवा:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रत्येक वर्ष नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का लगातार कम उपयोग किए जाने का क्या कारण है, जिसमें संचयी व्यय अब तक समग्र बजट राशि के 51 प्रतिशत तक ही सीमित रहा है;
- (ख) स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) के अंतर्गत 32 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 383 करोड़ रुपये का पूर्ण उपयोग किए जाने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
- (ग) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की समीक्षा करने की साठ दिन की वर्तमान समय सीमा को कम करके इस कार्य में होने वाले विलंब को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान 10,560.84 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं, जो 12,310.02 करोड़ रुपये के बजटीय प्रवाधान का लगभग 86 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय आउटफ्लो के बावजूद हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम)/ डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी) मॉडल के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए भावी देयताएं (अर्थात् वार्षिकी भुगतान और प्रचालन एवं रखरखाव भुगतान) भी उत्पन्न होती हैं।

(ख): स्वच्छ गंगा निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए संस्वीकृत 32 परियोजनाओं में से, 18 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। दो परियोजनाओं को कानून संबंधी अस्वीकृति के कारण बंद कर दिया गया, और शेष 12 नदी तट विकास परियोजनाओं को दिसंबर, 2025 तक किए जाने की संभावना है।

(ग): राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा की गई पहलें निम्नलिखित हैं:-

- i. बार-बार संशोधन करने से बचने के लिए डीपीआर को तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञ दलों और परियोजना प्रबंधन परामर्शकर्ता की तैनाती।
- ii. तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए सुनिश्चित करना कि डीपीआर शुरूआती चरण में अपेक्षित मानकों को पूरा करती हो।
- iii. इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन दल और संबंधित राज्य विभाग के साथ-साथ सभी डीपीआर की मासिक समीक्षा किए जाने के लिए एक प्रणाली रखना।
- iv. इंटरसेप्शन और डायवर्जन परियोजनाओं जैसी एक ही परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश।
- v. शीर्ष संगठनों जैसे कि भारतीय तकनीकी संस्थान, रूड़की द्वारा मुख्य पणधारकों अर्थात् एसपीएमजी/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- vi. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अनिवार्य घटकों की एक जांच-सूची भी तैयार की गई है और सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 710

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत एवं आवंटित बजट

710. श्री हर्ष महाजन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और आवंटित बजट का मद-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र दे दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या मंत्रालय विभिन्न मदों के अंतर्गत दिए गए बजट के लेखांकन की निगरान करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को मंत्रालय की योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और आवंटित बजट का मद-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी): हिमाचल प्रदेश को मौजूदा वित्तीय वर्ष सहित पिछले दो वित्तीय वर्षों में 416.75 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।
- ii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एकेकेपी): हिमाचल प्रदेश को मौजूदा वित्तीय वर्ष सहित पिछले दो वित्तीय वर्षों में 221.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
- iii. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी): हिमाचल प्रदेश को पिछले दो वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30.16 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

- iv. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी): हिमाचल प्रदेश को पिछले दो वित्तीय वर्षों में 20.32 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
- v. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): हिमाचल प्रदेश को पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान 240.07 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आबंटित की गई है।
- vi. जल जीवन मिशन (जेजेएम): हिमाचल प्रदेश को पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान 1747.28 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आबंटित की गई है।

**(ख):** केंद्रीय सहायता की अगली किस्त जारी करने से पहले राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यतः पीएमकेएसवाई-एआईबीपी, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी, एनएचपी और जेजेएम योजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

**(ग):** पीएफएमएस पर सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) जैसी प्रणालियों के माध्यम से बजट की निगरानी की जाती है, जिससे निधि आबंटन और उपयोगिता का पता लगाता है। यह मंत्रालय राज्य सरकार/ कार्यान्वयन एजेंसियों और आंतरिक बजट समीक्षा के साथ लेखा-परीक्षा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 708

जिसका उत्तर 2 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

708. श्री तेजवीर सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) उपचारित जल के पुनः उपयोग, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार में योगदान दे रहा है;
- (ख) क्या सरकार ने उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए हैं और इस जल का उपयोग कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार किया जा सकता है; और
- (ग) उपचारित जल के पुनः उपयोग से ताजे जल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और इसके क्या लाभ होंगे?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत शोधित जल के पुनः उपयोग, जैव विविधता संरक्षण और गंगा बेसिन में नदी के प्रदूषित क्षेत्रों में जल शोधन को बढ़ावा दे रही है।

(ख): भारत सरकार, ताजे पानी पर निर्भरता को कम करने के लिए, पीने के अलावा विभिन्न गैर-पेय प्रयोजनों, विशेषकर औद्योगिक उपयोग, रेलवे, ताप विद्युत संयंत्रों, नगरपालिका उपयोगों, सिंचाई उपयोगों आदि के लिए उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

(ग): एनएमसीजी द्वारा शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने और ताजे पानी पर निर्भरता कम करने के लिए गंगा बेसिन में निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की गई है: -

- राज्यों को शोधित जल के पुनः उपयोग हेतु उनकी पुनः उपयोग नीतियां तैयार करने और एक आर्थिक मॉडल स्थापित करने हेतु एनएमसीजी द्वारा, शोधित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग संबंधी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

- एनएमसीजी द्वारा शहरी नीति निर्माताओं और शहर के अधिकारियों के लिए, सुरक्षित रूप से शोधित पानी के पुनः उपयोग संबंधी, एक मार्गदर्शिका हैंडबुक भी तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के संसाधनों को संरक्षित करना और सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है;
- उल्लेखनीय है कि मथुरा रिफाइनरी को ट्रांस यमुना एसटीपी से गैर-पेय उद्देश्यों के लिए 8 एमएलडी शोधित जल की आपूर्ति की जाती है और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के दो थर्मल संयंत्र और झारखंड के जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट निकट के एसटीपी के शोधित जल का उपयोग कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 707  
जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**यमुना नदी में प्रदूषण**

**707. श्री संदीप कुमार पाठक:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची क्या है, विगत पांच वर्षों के दौरान यमुना नदी की सफाई तथा इसमें और अधिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठे गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) यमुना नदी की सफाई पर सरकार द्वारा वर्ष 2019-24 में कितनी धनराशि व्यय की गई; और
- (ग) सरकार द्वारा यमुना की सफाई के लिए पिछले दो कार्यकालों में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई धनराशि तथा उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों (यमुना सहित) के पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) की शुरुआत की थी और इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। एनजीपी के तहत 5,911 करोड़ रुपये की लागत से 2,130 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवरेज उपचार क्षमता के निर्माण के लिए 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं की सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) नियमित रूप से नदी जल गुणवत्ता पैरामीटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निरीक्षण की निगरानी करता है और दिल्ली में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की गैर-अनुपालन स्थिति के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को निर्देश भी जारी किए।

दिल्ली सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना संवर्धन परियोजनाओं पर काम कर रही है: -

- (क) कौंडली फेज II, रिठाला फेज I और यमुना विहार फेज II में मौजूदा 3 एसटीपी का पुनर्वास;
- (ख) मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता वृद्धि;
- (ग) सोनिया विहार में नए एसटीपी का निर्माण;
- (घ) विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाएँ।

दिल्ली जल बोर्ड के सभी चालू एस.टी.पी. की निगरानी डी.पी.सी.सी. द्वारा हर माह की जाती है तथा विश्लेषण रिपोर्ट डी.पी.सी.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डी.पी.सी.सी. नियमित आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए डी.जे.बी. के साथ संचार जारी करता है।

दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रत्येक अनुबंध में उपचारित अपशिष्ट आदि के गारंटीकृत मानकों की अनुपालन न होने की स्थिति में दंड का प्रावधान है और समय-समय पर गैर-अनुपालन के लिए भुगतान रोका/वसूला जाता है। यदि एजेंसियां बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी उचित प्रतिक्रिया नहीं देती हैं तो डीजेबी टेंडरिंग से ब्लैकलिस्ट/डिबार करने का प्रावधान है। डीजेबी ने विभिन्न साइटों पर डिफॉल्ट करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है।

**(ख) और (ग):** नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक एनएमसीजी द्वारा विभिन्न एजेंसियों को जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है: -

| एनएमसीजी द्वारा जारी फंड                     | राशि (करोड़ रुपये में) |
|--|------------------------|
| वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 | 510.25                 |
| वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 | 1,580.89               |

\*\*\*\*\*

"यमुना नदी में प्रदूषण" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को अतारांकित प्रश्न संख्या 707 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची:

| क्र.सं.             | परियोजना का नाम   | उपचार क्षमता (एमएलडी) | स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में) |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>उत्तर प्रदेश</b> |   |                       |                            |
| 1                   | सीवरेज बुनियादी ढांचे का पुनर्वास और वृंदावन में एसटीपी (4 एमएलडी) का संवर्धन/उन्नयन                                    | 4                     | 42.82                      |
| 2                   | मसानी में मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्वास/नवीनीकरण   | 67.8                  | 460.45                     |
| 3                   | आगरा में पुनर्वास कार्य के साथ इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन  | 177.6                 | 842.25                     |
| 4                   | इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन तथा एसटीपी कार्य बागपत  | 14                    | 77.36                      |
| 5                   | फिरोजाबाद में इंटरसेप्शन और डायवर्सन कार्य  | 0                     | 51.08                      |
| 6                   | इटावा में इंटरसेप्शन और डायवर्सन कार्य  | 44.94                 | 140.6                      |
| 7                   | मुजफ्फरनगर में इंटरसेप्शन और डायवर्सन कार्य   | 44.5                  | 234.03                     |
| 8                   | बुधाना में इंटरसेप्शन और डायवर्सन कार्य   | 10                    | 48.76                      |
| 9                   | मथुरा औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा में वस्त्र मुद्रण इकाइयों के लिए मौजूदा सीईटीपी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन (6.25 एमएलडी) | 6.25                  | 13.87                      |
| 10                  | मथुरा में बैलेंस ड्रेन के लिए आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 60                    | 292.56                     |
| 11                  | कैराना में इंटरसेप्शन और डायवर्सन कार्य   | 15                    | 78.42                      |
| 12                  | छाता में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 6                     | 56.15                      |
| 13                  | कोसी में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 12                    | 66.59                      |
| 14                  | वृंदावन में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 13                    | 77.7                       |
| 15                  | हाथरस में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 24                    | 128.91                     |
| 16                  | सहारनपुर में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 135                   | 577.23                     |

| क्र.सं.              | परियोजना का नाम   | उपचार क्षमता (एमएलडी) | स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में) |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 17                   | बनत में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 5                     | 48.71                      |
| 18                   | बाबरी और बंतीखेड़ा में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 5                     | 55.47                      |
| 19                   | थानाभवन में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 10                    | 97.19                      |
| 20                   | शामली में आई एंड डी और एसटीपी कार्य   | 40                    | 206.02                     |
| 21                   | देवबंद में आई एंड डी और एसटीपी कार्य  | 20                    | 134.71                     |
| <b>दिल्ली</b>        |   |                       |                            |
| 1                    | ट्रंक सीवर नंबर 4 का पुनर्वास   | 0                     | 87.43                      |
| 2                    | ट्रंक सीवर नंबर 5 का पुनर्वास   | 0                     | 83.4                       |
| 3                    | कोंडली चरण-I एसटीपी (45 एमएलडी), चरण-II एसटीपी (114 एमएलडी) और चरण-III एसटीपी (45 एमएलडी) का पुनर्वास और उन्नयन | 204                   | 239.11                     |
| 4                    | राइजिंग मेन्स का पुनर्वास   | 0                     | 59.13                      |
| 5                    | ट्रंक सीवर का पुनर्वास  | 0                     | 43.92                      |
| 6                    | राइजिंग मेन का पुनर्वास   | 0                     | 45.4                       |
| 7                    | चरण-I एसटीपी (182 एमएलडी) का पुनर्वास और उन्नयन   | 182                   | 211.79                     |
| 8                    | 564 एमएलडी (124 एमजीडी) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) का निर्माण                                | 564                   | 665.78                     |
| 9                    | दिल्ली के कोरोनेशन पिलर पर 318 एमएलडी (70 एमजीडी) का निर्माण  | 318                   | 515.07                     |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b> |   |                       |                            |
| 1                    | पांवटा साहिब के जोन II और III के लिए सीवरेज योजना   | 3.16                  | 11.57                      |
| <b>हरियाणा</b>       |   |                       |                            |
| 1                    | पानीपत में सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)  | 90                    | 129.51                     |
| 2                    | सोनीपत में सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)  | 55                    | 88.36                      |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 726  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना की स्थिति

726. डा. सस्मित पात्रा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पोलावरम परियोजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई;
- (ख) इस अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से घटक-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी निधि आवंटित की गई;
- (ग) इस परियोजना के पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने परियोजना में विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने पोलावरम परियोजना के डिजाइन में कोई परिवर्तन किया है जिसमें बांध की ऊंचाई में की गई कोई वृद्धि भी शामिल है और वर्तमान में इसकी संस्वीकृत ऊंचाई कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार केन्द्र सरकार की ओर से पोलावरम सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, पोलावरम सिंचाई परियोजना के विभिन्न घटकों के संबंध में दी गई वास्तविक प्रगति की जानकारी को **अनुलग्नक - I** पर दिया गया है।

(ख): भारत सरकार दिनांक 1.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के संबंध में परियोजना के केवल सिंचाई घटक की शेष लागत की 100% की प्रतिपूर्ति कर रही है। भारत सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना हेतु की गई प्रतिपूर्ति की घटक-वार और वर्ष-वार जानकारी तथा राज्य द्वारा किए गए वित्तपोषण की जानकारी **अनुलग्नक - II** पर दी गई है।

(ग): आंकलन की गई मौजूदा समय-सीमा के अनुसार, ईएल 41.15 मीटर न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर तक पोलावरम सिंचाई परियोजना जल भंडारण को मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(घ): अगस्त, 2021 में, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने परियोजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य आईआईटी, हैदराबाद को सौंपा था। संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विलंब के कारणों की पहचान करना भी शामिल था। नवंबर, 2021 में आईआईटी हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन में हुए विलम्ब से संबंधित पहचान किए गए मुख्य कारणों में निर्माण एजेंसी को बदला जाना, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की धीमी प्रगति, और कोविड 19 महामारी और इससे संबंधित परिस्थितियां शामिल हैं।

(ड.): जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड, 1980 के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग पोलावरम सिंचाई परियोजना के डिजाइन को अनुमोदन प्रदान कर रहा है।

\*\*\*\*\*

“पोलावरम परियोजना की स्थिति” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

| क्र.सं. | घटक                     | मद        | इकाई            | कुल मात्रा* | वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति<br>(कार्यान्वयन मात्रा) |                  |                   |
|---------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|--|------------------|-------------------|
|         |                         |           |                 |             | 2021-22  | 2022-23          | 2023-24           |
| 1       | हैडवर्कस                | अर्थवर्क  | लाख घन मी.      | 1,811.51    | 184.45<br>(10.18 %)                                  | 43.76<br>(2.41%) | 141.39<br>(7.80%) |
|         |                         | कंक्रीट   | लाख घन मी.      | 42.92       | 2.01<br>(4.68%)                                      | 0.06<br>(0.14%)  | 0.24<br>(0.56%)   |
| 2       | राइट मेन कैनल           | अर्थवर्क  | लाख घन मी.      | 1,184.67    | 0<br>(0%)  | 0<br>(0%)        | 0<br>(0%)         |
|         |                         | लाइनिंग   | लाख घन मी.      | 19.25       | 0.18<br>(0.94 %)                                     | 0.17<br>(0.88 %) | 0<br>(0%)         |
|         |                         | स्ट्रक्चर | संख्या          | 255         | 1<br>(0.39%)   | 0<br>(0%)        | 0<br>(0%)         |
| 3       | लेफ्ट मेन कैनल          | अर्थवर्क  | लाख घन मी.      | 1,095.6     | 1.22<br>(0.11%)                                      | 1.37<br>(0.13%)  | 0.7<br>(0.06%)    |
|         |                         | लाइनिंग   | लाख घन मी.      | 15.15       | 0.17<br>(1.12%)                                      | 0<br>(0%)        | 0.009<br>(0.06%)  |
|         |                         | स्ट्रक्चर | संख्या          | 451         | 1<br>(0.22%)   | 9<br>(2.00%)     | 5<br>(1.11%)      |
| 4       | भूमि अधिग्रहण           | -         | एकड़            | 1,27,262.79 | 277.91<br>(0.22%)                                    | 0<br>(0%)        | 5.10<br>(0.004%)  |
| 5       | पुनर्वास और पुनर्स्थापन | -         | पीडीएफ (संख्या) | 1,06,006    | 3,679<br>(3.47%)                                     | 3,715<br>(3.50%) | 1,120<br>(1.06%)  |

\* आन्ध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हैडवर्कस के अंतर्गत कुल मात्राओं में साइट की स्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है।

\*\*\*\*\*

“पोलावरम परियोजना की स्थिति” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के भाग (ख) के उत्तर में अनुलग्नक

| क्र.सं. | घटक                                       | पोलावरम परियोजना हेतु जारी की गई निधियां<br>(रु. करोड में) |                 |               |
|---------|---|--|-----------------|---------------|
|         |   | 2021-22  | 2022-23         | 2023-24       |
|         | <b>केन्द्रीय अनुदान</b>                   |  |                 |               |
| 1       | हेड वर्क्स                                | 623.17   | 1217.43         | 20.66         |
| 2       | लेफ्ट मेन कैनल                            | 0  | 0               | 20.39         |
| 3       | राइट मेन कैनल                             | 0  | 0               | 0             |
| 4       | भूमि अधिग्रहण (एलए)                       | 0  | 7.04            | 318.84        |
| 5       | पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)       | 1236.16  | 422.38          | 12.50         |
| 6       | स्थापना                                   | 17.37  | 24.38           | 307.20        |
|         | <b>कुल</b>                                | <b>1,876.70</b>  | <b>1,671.23</b> | <b>679.59</b> |
|         | <b>राज्य द्वारा परियोजना का वित्तपोषण</b> |  |                 |               |
|         | <b>कुल राज्य वित्तपोषण</b>                | <b>2,635.83</b>  | <b>906.03</b>   | <b>274.93</b> |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 725**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति**

**725. श्री आर. धरमार:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए शुरू किये गए प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने की पहल के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत से अब तक कितना बजटीय आबंटन किया गया है और अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है;
- (ग) क्या विभिन्न विवादों, विशेषकर अनेक नदियों संबंधी अंतर्राज्यीय विवादों के कारण नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन हेतु ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** भारत सरकार ने जल-अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल अंतरण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत, 30 नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, इनमें से 16 परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत और 14 परियोजनाएं हिमालयी घटक के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। इन 30 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 संपर्क परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) और सभी 30 संपर्क परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। एनपीपी के अंतर्गत 5 नदियों को परस्पर जोड़ने वाली पांच परियोजनाओं को “प्राथमिकता संपर्क परियोजनाओं” के रूप में चिन्हित किया गया है अर्थात्- केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें 3 लिंक परियोजनाएं - गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी लिंक शामिल हैं) और संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (पीकेसी) लिंक परियोजना शामिल है।

केबीएलपी एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की प्रथम परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। मार्च, 2021 में केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिये मध्य प्रदेश (एमपी), उत्तर प्रदेश (यूपी) और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार ने बाद में दिसंबर 2021 में, एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, अर्थात्; केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण।

**(ख):** भारत सरकार की नदियों को परस्पर जोड़ने की पहल के अंतर्गत बजटीय आबंटन केवल केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए किया गया है क्योंकि नदियों को परस्पर जोड़ने की यह पहली परियोजना है जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। दिसंबर, 2021 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में क्रमशः 4644.46 करोड़ रुपये, 1400 करोड़ रुपये और 3500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान किए गए थे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में 4,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस तरह के बजट प्रावधानों के साथ, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.10.2024 तक परियोजना पर 8022.27 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है। जबकि, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 31.10.2024 तक परियोजना पर किया गया कुल व्यय क्रमशः 4587.41 करोड़ रुपये और 38.98 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के चरण-2 घटक के संबंध में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 2158.38 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है।

**(ग) एवं (घ):** संघीय व्यवस्था में, अधिशेष नदी जल बेसिनों वाली राज्य सरकारों को, जिनमें ऐसे अधिशेष का अंतरण होता है, कभी-कभी ऐसी अधिशेष परियोजनाओं के बारे में आपत्तियां होती हैं। ऐसे आपत्तियों से पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है। तथापि, भारत सरकार ने पक्षकार राज्यों के बीच ऐसी आशंकाओं को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं और विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं, जो सर्वसम्मति बनने के अंतिम चरण में हैं, में उन्हें शामिल करने के लिए राजी किया है।

इस संबंध में, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति (एससीआईएलआर) का गठन सितंबर, 2014 में आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। अब तक एससीआईएलआर की 21 बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, अप्रैल 2015 में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कार्यबल (टीएफआईएलआर) का गठन किया गया था और अब तक इसकी 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और भागीदारी होती है, इनमें पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने और नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास किए जाते हैं। तथापि, नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों को आपस में सर्वसम्मति बनानी होती है।

**(ङ):** नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं के संबंध में, ऊपर वर्णित कारणों से कार्यान्वयन और पूर्णता की अनुसूची नहीं दी जा सकती। तथापि, एक बार पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बन जाने पर नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना का सभी वास्तविक मद्दों सहित ब्यौरा दिया जाता है और उसे अनुमोदित कर दिया जाता है, इन घटकों के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए समय-सीमा के साथ मॉनीटर किया जाता है।

\*\*\*\*\*

“नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 725 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

| क्र.सं. | नाम   | लाभान्वित राज्य             | स्थिति             |
|---------|---|-----------------------------|--------------------|
| 1       | क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक                    | आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा | एफआर पूर्ण         |
|         | ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा       | एफआर पूर्ण         |
| 2       | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक**                       | आंध्र प्रदेश                | एफआर पूर्ण         |
| 3       | क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक              | तेलंगाना                    | एफआर पूर्ण         |
|         | ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *     | तेलंगाना                    | डीपीआर पूर्ण       |
| 4       | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक        | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश    | डीपीआर पूर्ण       |
| 5       | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक               | आंध्र प्रदेश                | एफआर पूर्ण         |
|         | ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *     | आंध्र प्रदेश                | डीपीआर पूर्ण       |
| 6       | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक                                  | आंध्र प्रदेश                | मसौदा डीपीआर पूर्ण |
| 7       | कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक                                   | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक     | मसौदा डीपीआर पूर्ण |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 8  | क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक                   | आंध्र प्रदेश,<br>तमिल नाडु और<br>पुदुचेरी       | एफआर पूर्ण  |
|    | ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *        | आंध्र प्रदेश,<br>तमिल नाडु और<br>पुदुचेरी       | डीपीआर पूर्ण  |
| 9  | कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक                                 | तमिल नाडु                                       | डीपीआर पूर्ण  |
| 10 | क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक                                      | मध्य प्रदेश<br>(एमपी) और<br>राजस्थान            | एफआर पूर्ण  |
|    | ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत) | एमपी और<br>राजस्थान                             | मसौदा पीएफआर<br>पूर्ण                                 |
| 11 | दमनगंगा - पिस्सू लिंक<br>(यूएस प्रति डीपीआर)                         | महाराष्ट्र (केवल<br>मुम्बई के लिए<br>जलापूर्ति) | डीपीआर पूर्ण  |
| 12 | पार-लेकिन-नर्मदा लिंक (डीपीआर के अनुसार)                             | गुजरात और<br>महाराष्ट्र                         | डीपीआर पूर्ण  |
| 13 | केन-बेतवा लिंक   | उत्तर प्रदेश (यूपी)<br>और मध्य प्रदेश           | डीपीआर पूर्ण और<br>परियोजना कार्यान्वयन<br>के अधीन है |
| 14 | पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक  | तमिलनाडु और<br>केरल                             | एफआर पूर्ण  |
| 15 | बेदती - वरदा लिंक  | कर्नाटक   | डीपीआर पूर्ण  |
| 16 | नेत्रवती - हेमवती लिंक**   | कर्नाटक   | पीएफआर पूर्ण  |

\* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-

कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अद्यतन किया गया था।

\*\* कर्नाटक सरकार द्वारा येतिनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे के अध्ययन नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

%% गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

% बेदती-वरदा लिंक - डीपीआर को पीएफआर तैयार होने के तुरंत बाद तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं की गयी थी

### हिमालयन घटक

| क्र.सं. | लिंक का नाम                                | देश/लाभान्वित राज्य   | स्थिति                  |
|---------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.      | कोसी मेची-लिंक                             | बिहार और नेपाल        | पीएफआर पूर्ण            |
| 2.      | कोसीघाघरा लिंक-                            | बिहार, यूपी और नेपाल  | एफआर पूर्ण              |
| 3.      | गंडक गंगा लिंक -                           | यूपी और नेपाल         | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग) |
| 4.      | घाघरायमुना लिंक-                           | यूपी और नेपाल         | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग) |
| 5.      | सारदायमुना लिंक-                           | यूपी और उत्तराखंड     | एफआर पूर्ण              |
| 6.      | यमुनाराजस्थान लिंक-                        | हरियाणा और राजस्थान   | एफआर पूर्ण              |
| 7.      | राजस्थानसाबरमती - लिंक                     | राजस्थान और गुजरात    | एफआर पूर्ण              |
| 8.      | चुनारसोन बैराज लिंक-                       | बिहार और उत्तर प्रदेश | पीएफआर पूर्ण            |
| 9.      | सोन बांध गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ | बिहार और झारखंड       | पीएफआर पूर्ण            |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 10. | मानस-तीस्ता-संकोश-<br>जी) -टी-एस-गंगा (एम<br>लिक           | असम, पश्चिम बंगाल<br>(पश्चिम बंगाल) और<br>बिहार | एफआर पूर्ण                                      |
| 11. | जोगीघोपा-तिस्ता-<br>-एस-फरक्का लिक (एम<br>(जी का विकल्प-टी | असम, पश्चिम बंगाल<br>और बिहार                   | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव<br>वापिस ले लिया गया है) |
| 12. | फरक्कासुंदरबन लिक-   | पश्चिम बंगाल                                    | एफआर पूर्ण                                      |
| 13. | गंगा -(फरक्का)<br>सुवर्णरेखा लिक-दामोदर                    | पश्चिम बंगाल, ओडिशा<br>और झारखंड                | एफआर पूर्ण                                      |
| 14. | सुवर्णरेखामहानदी लिक-                                      | पश्चिम बंगाल और<br>ओडिशा                        | एफआर पूर्ण                                      |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 724  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में अटल जल शक्ति योजना का कार्यान्वयन

724. श्रीमती किरण चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हरियाणा में अटल भूजल योजना के अंतर्गत जिला-वार कितने गांवों को शामिल किया गया है;
- (ख) क्या गांवों का चयन करते समय किन्हीं विशिष्ट मानदंडों को आधार स्वरूप उपयोग किया गया है;
- (ग) क्या सरकार हरियाणा में शेष गांवों को इसके अंतर्गत शामिल करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) भारत सरकार, समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सात राज्यों के जल की कमी वाले चिन्हित क्षेत्रों में अटल भूजल योजना जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, को लागू कर रही है।

अटल भूजल योजना को हरियाणा के 14 जिलों के 36 ब्लॉकों की 1647 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। हरियाणा में अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | जिला        | शामिल की गई ग्राम पंचायतों की संख्या | शामिल किए गए गांवों की संख्या |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.       | भिवानी      | 156                                  | 169                           |
| 2.       | चरखी दादरी  | 47                                   | 52                            |
| 3.       | फरीदाबाद    | 69                                   | 87                            |
| 4.       | फतेहाबाद    | 48                                   | 53                            |
| 5.       | गुरुग्राम   | 153                                  | 179                           |
| 6.       | कैथल        | 82                                   | 101                           |
| 7.       | करनाल       | 41                                   | 57                            |
| 8.       | कुरुक्षेत्र | 189                                  | 213                           |
| 9.       | महेन्द्रगढ़ | 255                                  | 278                           |
| 10.      | पलवल        | 185                                  | 213                           |
| 11.      | पानीपत      | 55                                   | 60                            |
| 12.      | रेवाड़ी     | 38                                   | 45                            |
| 13.      | सिरसा       | 78                                   | 86                            |
| 14.      | यमुनानगर    | 251                                  | 327                           |
|          | <b>कुल</b>  | <b>1647</b>                          | <b>1920</b>                   |

(ख) राज्य सरकार द्वारा जल की कमी वाले जिलों, ब्लॉकों और गांवों का चयन भूजल के दोहन और उसके गिरावट के स्तर के आधार पर किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 722  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर)

722. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री मदन राठौड़:

श्री बाबू राम निषाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना किया जाना नदी पुनर्जीवन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार सहायक होगा; और

(ख) वरुणा नदी को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एसएलसीआर द्वारा अपनाया गया विशिष्ट संधारणीय दृष्टिकोण क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत की गई है, ताकि स्वच्छ नदी जल क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का एक वैश्विक समाधान विकसित किया जा सके, लिविंग लैब दृष्टिकोण के माध्यम से वास्तविक वातावरण क्षेत्र में कारगर सहयोगी अनुसंधान और विकास को संचालित किया जा सके और स्वच्छ नदी जल हासिल करने के लिए ज्ञान को साझा करने और सह-निर्माण के लिए सरकारी प्राधिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए एक सहयोगी मंच उपलब्ध कराया जा सके।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 721  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गोदावरी और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना

721. श्री सी. वी. षनमुगम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गोदावरी और कावेरी नदियों को आपस में जोड़े जाने की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए कोई व्यापक समझौता हुआ था/सहमति बनी है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) तमिलनाडु को वर्तमान जल संकट से राहत दिलाने के लिए इन दोनों नदियों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ.) भारत सरकार ने अधिक जल बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों वाले क्षेत्रों में पानी अंतरित करने हेतु 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा गया है। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना एनपीपी के अंतर्गत पहचान की गई 30 लिंक परियोजनाओं में से एक है।

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) [जिसमें 3 संपर्क परियोजनाएं अर्थात्; गोदावरी-कृष्णा (नागार्जुन सागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गेंड एनीकट) लिंक शामिल हैं], तैयार कर ली

गई थीं जिसके अंतर्गत गोदावरी नदी से 7000 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी के विपथन की परिकल्पना की गई थी और इन्हें अप्रैल 2021 में संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था।

पक्षकार राज्यों के मध्य सर्वसम्मति बनाने हेतु अब तक पांच परामर्श बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। दिनांक 18.2.2022 को आयोजित परामर्श बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में अनुपूरकता प्रस्ताव के साथ-साथ गोदावरी से 7000 एमसीएम से लगभग 4000 एमसीएम तक पानी के छोड़े जाना को सीमित करने के प्रस्ताव पर एनडब्ल्यूडीए द्वारा अध्ययन किया गया है। संशोधित प्रस्ताव में दो घटक अर्थात्; (क) गोदावरी (इंचमपल्ली)- जिसमें जल उपयोग दक्षता में सुधार हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की शुरुआत के साथ गोदावरी से कावेरी तक 4189 एमसीएम पानी के विपथन की परिकल्पना की गई है और (ख) बेदती-वरदा लिंक परियोजना जिसमें बेदती नदी से तुंगभद्रा जलाशय में 524 एमसीएम पानी के विपथन की परिकल्पना की गई है।

एनडब्ल्यूडीए द्वारा गोदावरी नदी से 4189 एमसीएम पानी के विपथन संबंधी प्रस्ताव के संबंध में एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और जनवरी 2023 में इसे संबंधित राज्यों के मध्य परिचालित किया गया था। पक्षकार राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर परामर्श बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और बाद में, गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी लिंक परियोजना के माध्यम से 4189 एमसीएम के विपथन संबंधी एक डीपीआर तैयार की गई और जनवरी, 2024 में संबंधित राज्यों को परिचालित की गई।

भारत सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस कार्यक्रम को परामर्शी ढंग से आगे बढ़ा रही है। भारत सरकार ने गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना सहित परिपक्व आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्यों के मध्य परस्पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सशक्त प्रयास किए हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सितंबर, 2014 में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति (एससीआईएलआर) का गठन किया गया है। एससीआईएलआर की अब तक 21 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, अप्रैल, 2015 में नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु एक कार्यबल (टीएफआईएलआर) का गठन किया गया है और अब तक इसकी 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों को व्यापक

प्रतिनिधित्व और भागीदारी प्रदान की गई है, जिनमें संबंधित राज्यों के मध्य सहमति बनाने और नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गोदावरी-कावेरी संपर्क परियोजना से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सर्वसम्मति बनाने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठकें भी आयोजित की गई हैं। हालांकि, नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्यों का सर्वसम्मति पर पहुंचना अभी बाकी है।

इन दोनों नदियों को परस्पर लिंक किए जाने की संभावित समयसीमा, संबंधित राज्यों की लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उनका एक सर्वसम्मति पर पहुंचने पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 720

जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**भूजल में आर्सेनिक को समाप्त किया जाना**

**720. श्री नीरज शेखर:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2024-25 के दौरान 30 नवम्बर, 2024 तक भू-जल में आर्सेनिक को समाप्त करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा भू-जल के माध्यम से खाद्य श्रृंखला और फसलों में पहुंचने वाले आर्सेनिक को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं/कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराया जा सके। फिर भी भूजल और पेयजल में आर्सेनिक के उन्मूलन के लिए अलग से धनराशि जारी नहीं की जाती है। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2024-25 (नवंबर माह तक) के दौरान कुल 54,073.96 करोड़ रुपये (केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा) जारी किए गए, जिसमें से कुल व्यय राशि 49,553.28 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2024-25 के दौरान आर्सेनिक से प्रभावित घरों सहित सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और पीने योग्य पानी की व्यवस्था के लिए नवंबर 2024 तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

**(ख):** जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना (जीडब्ल्यूएमआर) को लागू कर रहा है, जिसमें भूजल प्रबंधन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें गुणवत्ता पहलू भी शामिल है। इस योजना के तहत, सीजीडब्ल्यूबी पूरे देश में भूजल की नियमित गुणवत्ता निगरानी करता है, चिन्हित किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता पर विशेष अध्ययन करता है और अपनी अभिनव सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण भी करता है। सीजीडब्ल्यूबी ने अब तक एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम के तहत आर्सेनिक सुरक्षित जलभृतों का दोहन करने के लिए 525 अन्वेषी कुओं का निर्माण किया है, जिसमें बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 191 और उत्तर प्रदेश में 294 शामिल हैं। भूजल की गुणवत्ता और संदूषण के उपशमन हेतु इसके द्वारा विकसित अन्य तकनीकों के बारे में जानकारी सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्य और जिला प्रशासन के साथ साझा की जाती है ताकि उपयुक्त क्षेत्र कार्यकलाप किए जा सकें। डेटा को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराया जाता है और सार्वजनिक

संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है। हालाँकि, केवल आर्सेनिक उन्मूलन के लिए कोई अलग से धन आवंटित नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यय जीडब्ल्यूएमआर योजना के संयुक्त बजट से किया जाता है।

इसके अलावा, जेजेएम के शुरुआत से ही जल सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। राज्यों को इन मानदंडों के अनुसार सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को सख्ती से सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता पहलुओं पर कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए जेजेएम के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% हिस्सा दिया जाता है।
- ii. "पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरी एवं निगरानी ढांचा" तैयार किया गया और अक्टूबर 2021 में राज्यों को प्रसारित किया गया।
- iii. उपर्युक्त रूपरेखा के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, प्रत्येक गाँव से पाँच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल नमूनों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- iv. राज्यों/केंद्र राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने तथा नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और पेयजल स्रोतों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।
- v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए सतही जल स्रोतों या वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों जैसे सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर बड़े पैमाने पर जल अंतरण की पाइप जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की सलाह दी गई है।
- vi. जेजेएम के तहत, नल के जल के कनेक्शन के माध्यम से घरों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप जलापूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और चालू होने में समय लगता है, इसलिए अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/केंद्र राज्य क्षेत्रों को, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि हर घर को 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उनकी पेय और खाना पकाने की ज़रूरतें पूरी हो सकें।

"भूजल में आर्सेनिक को समाप्त किया जाना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नवंबर 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि

\*करोड़ में

| क्र.सं. | राज्य                                | ओपनिंग बैलेंस<br>(केंद्रीय हिस्सा) | केंद्रीय<br>आवंटन | नवंबर 2024 तक<br>जारी केंद्रीय हिस्सा | जारी राज्य<br>हिस्सा | नवंबर 2024 तक हुआ<br>कुल व्यय |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1       | अंडमान और निकोबार<br>द्वीप समूह      | 4.97                               | 2.98              | 0                                     | 0                    | 0                             |
| 2       | आंध्र प्रदेश                         | 339.88                             | 2,520.97          | 0                                     | 775.05               | 562.45                        |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश                       | 26.84                              | 217.82            | 65.35                                 | 0.17                 | 22.38                         |
| 4       | असम                                  | 780.58                             | 5,198.78          | 2,059.63                              | 364.15               | 2,653.37                      |
| 5       | बिहार                                | 54.95                              | 0                 | 0                                     | 0                    | 0                             |
| 6       | छत्तीसगढ़                            | 521.03                             | 1,277.27          | 191.59                                | 1,881.57             | 508.9                         |
| 7       | दादरा और नगर हवेली<br>एवं दमन और दीव | 0                                  | 0                 | 0                                     | 0                    | 0                             |
| 8       | गोवा                                 | 0.4                                | 4.32              | 0                                     | 0                    | 0                             |
| 9       | गुजरात                               | 947.97                             | 2,420.14          | 0                                     | 1,248.35             | 1,683.26                      |
| 10      | हरियाणा                              | 38.86                              | 462.03            | 0                                     | 194.18               | 193.59                        |
| 11      | हिमाचल प्रदेश                        | 90.56                              | 916.53            | 137.48                                | 19.47                | 150.39                        |
| 12      | जम्मू और कश्मीर                      | 660.69                             | 2,112.86          | 633.86                                | 145.38               | 1,015.47                      |
| 13      | झारखंड                               | 263.46                             | 2,114.22          | 0                                     | 295.17               | 387.35                        |
| 14      | कर्नाटक                              | 914.11                             | 3,804.41          | 570.66                                | 3,740.04             | 3,160.55                      |
| 15      | केरल                                 | 106.45                             | 1,949.36          | 974.68                                | 957.71               | 1,574.61                      |
| 16      | लद्दाख                               | 65                                 | 624.78            | 93.72                                 | 0                    | 35.04                         |
| 17      | लक्ष्यद्वीप                          | 29.06                              | 0.75              | 0.38                                  | 0                    | 0                             |
| 18      | मध्य प्रदेश                          | 91.39                              | 4,044.70          | 2,622.35                              | 2,621.54             | 4,966.50                      |
| 19      | महाराष्ट्र                           | 1,599.47                           | 5,352.93          | 1,605.88                              | 2,678.14             | 4,163.68                      |
| 20      | मणिपुर                               | 44.93                              | 0                 | 0                                     | 1.12                 | 25.77                         |
| 21      | मेघालय                               | 296.9                              | 653.6             | 196.08                                | 54.47                | 491.11                        |
| 22      | मिजोरम                               | 7.85                               | 45.09             | 6.76                                  | 9.29                 | 19.35                         |
| 23      | नगालैंड                              | 39.75                              | 39.75             | 5.96                                  | 5.08                 | 50.62                         |
| 24      | ओडिशा                                | 484.23                             | 2,455.94          | 368.39                                | 782.46               | 1,011.01                      |
| 25      | पुदुचेरी                             | 0.01                               | 12.58             | 0                                     | 0.01                 | 0.01                          |
| 26      | पंजाब                                | 15.97                              | 644.54            | 0                                     | 129.51               | 48.51                         |
| 27      | राजस्थान                             | 786.95                             | 11,061.46         | 1,659.22                              | 1,620.00             | 3,035.69                      |
| 28      | सिक्किम                              | 11.92                              | 124.5             | 18.67                                 | 13.04                | 26.59                         |
| 29      | तमिलनाडु                             | 813.15                             | 2,438.89          | 731.67                                | 1,801.04             | 2,540.47                      |
| 30      | तेलंगाना                             | 26.06                              | 0                 | 0                                     | 0                    | 0                             |
| 31      | त्रिपुरा                             | 111.1                              | 736.75            | 221.03                                | 30.14                | 316.22                        |
| 32      | उत्तर प्रदेश                         | 851.83                             | 12,621.95         | 6,310.98                              | 9,291.65             | 15,395.27                     |
| 33      | उत्तराखंड                            | 232.51                             | 1,016.80          | 508.4                                 | 0                    | 245.27                        |
| 34      | पश्चिम बंगाल                         | 953.19                             | 5,049.98          | 2,524.99                              | 3,907.50             | 5,269.85                      |
|         | <b>कुल</b>                           | <b>11,212.02</b>                   | <b>69,926.68</b>  | <b>21,507.73</b>                      | <b>32,566.23</b>     | <b>49,553.28</b>              |

\* स्रोत जेजेएम रिपोर्ट

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 719**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है**

.....

**विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा**

**719. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के लिए 33,168.23 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि सिंचाई घटक, नदियों और विद्युत गृह के लिए 22,380.63 करोड़ रुपये की आवश्यकता है;
- (ग) यदि हां, तो पोलावरम के अंतर्गत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के लिए अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पोलावरम के विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 26,585.12 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है; और
- (ङ) यदि हां, तो उक्त राशि जारी किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** पोलावरम सिंचाई परियोजना के दूसरे संशोधित लागत अनुमान में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलए और आर एंड आर) घटकों के लिए 33,168.24 करोड़ रुपए और कार्यों एवं बिजली घटकों के लिए 22,380.64 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसे फरवरी 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसकी 141वीं बैठक में 55,656.87 करोड़ रुपए (2017-18 पीएल) की राशि के लिए स्वीकार किया गया था। हालांकि, संशोधित लागत समिति ने अपनी वर्ष 2024 की रिपोर्ट में ईएल + 41.15 मीटर तक के जल

भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत हेतु 30,436.95 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है अर्थात् न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर जिसमें एलए और आर एंड आर घटकों के लिए 12,270.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**(ग) और (घ):** पोलावरम सिंचाई परियोजना को मार्च, 2014 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से पोलावरम सिंचाई परियोजना निष्पादित की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग से सत्यापित बिलों और सिफारिशों की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति की जा रही है। मार्च, 2014 के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2024 तक एलए और आर एंड आर के लिए 6,160.68 करोड़ रुपए का व्यय किया है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 6,020.59 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने ईएल + 41.15 मीटर तक के जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत अर्थात् न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के लिए 30,436.95 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है जिसमें एलए और आर एंड आर घटकों के लिए 12,270.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**(ङ):** एलए और आर एंड आर बिलों की पात्र राशियों की प्रतिपूर्ति में कोई अनुचित विलंब नहीं है और आवश्यक जांच और अनुमोदन के बाद इन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 718  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु के तंजावुर में भू-जल

718. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु के तंजावुर जिले में भू-जल संदूषण की स्थिति क्या है;
- (ख) इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने एकल उपयोग और गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक के भू-जल पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) तमिलनाडु सहित पूरे देश में अपने भू-जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के भाग के रूप में और साथ ही साथ विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान भी भूमि जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े तैयार करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर जिले से एकत्र और विश्लेषित किए गए भूजल नमूनों के माध्यम से यह पाया गया है कि नाइट्रेट (तेरह नमूनों में से दो में अनुमेय सीमा से अधिक) को छोड़कर, अन्य सभी पैरामीटर जैसे विद्युत चालकता, समग्र शुष्कता नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम इत्यादि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) 10500:2012 में पेजयजल गुणवत्ता संबंधी निर्दिष्ट मानदंडों की अनुमेय सीमा के भीतर थे।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल गुणवत्ता सहित इसके प्रबंधन संबंधी पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है; तथापि, देश में भूजल संदूषण को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित गुणवत्तायुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे

- i. भारत सरकार 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों आबंटित करने के दौरान रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित आवासों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता प्रदान की जाती है।
- ii. चूंकि, एक सुरक्षित जल स्रोत आधारित पाइप जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रारंभ करने में समय लग सकता है, अतः विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।
- iii. विभिन्न हितधारकों के उपयोग किए जाने हेतु सीजीडब्ल्यूबी के पास मौजूद भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को रिपोर्टों के साथ-साथ वेब साइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है। आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन आंकड़ों को साझा भी किया जाता है।
- iv. जल प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू कर रहा है।

**(ग) और (घ):** जैसा कि अवगत है कि एकल उपयोग और गैर-जैव अपघट्य प्लास्टिक जैसे तत्व भूजल में मिल सकते हैं और संभावित रूप से विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों जैसे विषाक्त पदार्थ मिट्टी में छोड़ना, मानव और अन्य जीवों में सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के रूप में प्रवेश करना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों आदि का कारण बन सकते हैं। हालांकि, भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। एकल उपयोग और गैर-जैव अपघट्य प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

- i. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कमी और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीएमडब्ल्यू) नियमों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जाता है। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में प्राथमिकता वाले

मुख्य क्षेत्रों में कचरे के स्रोतों का वर्गीकरण; अलग-अलग संग्रहण और परिवहन; अलग-अलग कचरे का अलग प्रसंस्करण; सभी यूएलबी में मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) की स्थापना; (ii) एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग में कमी और वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग हेतु सतत जागरूकता सृजित करना शामिल है।

- ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता वाली और अधिक अपशिष्ट क्षमता वाली प्लास्टिक के रूप में पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- iii. सभी छत्तीस राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उन्मूलन हेतु मुख्य सचिव / प्रशासक की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल का गठन किया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र स्तरीय कार्यबल भी गठित किया गया है।
- iv. पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध रूप से बंद करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 717**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**राजस्थान राज्य में अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति**

**717. श्री राजेन्द्र गहलोत:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान नियोजित, कार्यशील और पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं का राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य, विशेषकर राजस्थान को आवंटित की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का राजस्थान की महत्वपूर्ण भूजल संबंधी चुनौतियों को देखते हुए अगले चरणों में अटल भूजल योजना के अंतर्गत कोई विशेष योजना बनाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** भारत सरकार दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्ष की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8,203 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना जो एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, को कार्यान्वित कर रही है।

यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में समुदाय आधारित निगरानी और भूजल डेटा का साझाकरण, आयोजना, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह भूजल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों के उपयोग आदि जैसे मांग पक्ष कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना है। ग्राम पंचायत-वार

जल सुरक्षा योजनाएँ जिसमें जल बजट और प्रस्तावित मांग पक्ष कार्यकलाप जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि और आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप जैसे चेक डैम, फार्म पॉन्ड, पुनर्भरण शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/ जल संरक्षण संरचनाओं के बारे में विवरण हैं, चल रही योजनाओं के संमिलन के माध्यम से तैयार और निष्पादित की जाती हैं।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत पूर्ण/चल रही प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- i. 7 प्रतिभागी राज्यों में 155 जिला कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, 7 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और 80 जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना।
- ii. ग्राम पंचायतों को बुनियादी उपकरणों जैसे कि पीजोमीटर, डिजिटल जल लेवल रिकॉर्डर वर्षा गेज, जल स्तर संकेतक/साउंडर, फील्ड परीक्षण किट और जल प्रवाह मीटर से सुसज्जित किया गया है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर जल निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके।
- iii. अब तक 49 राज्य स्तरीय, 410 जिला स्तरीय, 1152 ब्लॉक स्तरीय और 99406 ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं।
- iv. नुक्कड़ नाटक, अटल जल रथ, पर्चे/ब्रोशर और पैम्फलेट का वितरण, रेडियो जिंगल के माध्यम से ऑडियो प्रचार, दीवार पेंटिंग, डोर-टू-डोर अभियान, कला जत्था, वृत्तचित्रों की तैयारी आदि सहित आईईसी गतिविधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता। अंतर-राज्यीय क्षेत्र के दौरे के माध्यम से क्रॉस लर्निंग आयोजित की गई है।
- v. अटल भूजल योजना की सभी ग्राम पंचायतों में डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण विभिन्न तरीकों जैसे केंद्रीय/राज्य वेब पोर्टल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिस्प्ले बोर्ड, सोशल मीडिया, वॉल पेंटिंग, पैम्फलेट/ब्रोशर का वितरण, सार्वजनिक बैठकें और अटल जल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा।
- vi. अटल भूजल योजना की सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट और समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजना तैयार करना।
- vii. डब्ल्यूएसपी के तहत प्रस्तावित आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष उपायों के कार्यान्वयन के लिए चल रही/नई योजनाओं के माध्यम से 4600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई है।
- viii. लगभग 6.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्लिचिंग, फसल विविधीकरण आदि सहित कुशल जल उपयोग प्रथाओं के अंतर्गत लाया गया है।
- ix. 47 ब्लॉकों की 813 ग्राम पंचायतों में जल स्तर में वृद्धि देखी गई है।

(ख): अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को योजना के शुरुआत में किया गया अनुमानित आवंटन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

| राज्य/एनपीएमयू                      | सांकेतिक आवंटन (करोड़ रुपए में) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| गुजरात                              | 756.76                          |
| हरियाणा                             | 723.19                          |
| कर्नाटक                             | 1201.52                         |
| मध्य प्रदेश                         | 314.54                          |
| महाराष्ट्र                          | 925.77                          |
| राजस्थान                            | 1189.65                         |
| उत्तर प्रदेश                        | 729.24                          |
| राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी<br>इकाई | 159.33                          |
| <b>कुल</b>                          | <b>6000.00</b>                  |

योजना की शुरुआत से लेकर, अब तक राज्यों को कुल 3,346.91 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिनमें से राज्यों द्वारा आज तक 2,725.77 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वितरित और राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक में तालिका 1 और तालिका 2** में दिया गया है।

(ग): जी नहीं। अटल भूजल योजना निश्चित अवधि और परिव्यय के साथ प्रतिभागी भूजल प्रबंधन के लिए एक पायलट परियोजना है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

“राजस्थान राज्य में अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 717 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

तालिका 1: अटल भूजल योजना के तहत राज्यों को वर्ष-वार वितरित राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

| राज्य        | वित्त वर्ष<br>2021-22 | वित्त वर्ष<br>2022-23 | वित्त वर्ष<br>2023-24 | कुल     |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| गुजरात       | 36.20                 | 180.19                | 285.88                | 502.27  |
| हरियाणा      | 32.15                 | 163.42                | 489.62                | 685.19  |
| कर्नाटक      | 73.62                 | 303.51                | 406.86                | 783.99  |
| मध्य प्रदेश  | 46.56                 | 62.84                 | 58.99                 | 168.39  |
| महाराष्ट्र   | 43.18                 | 190.95                | 242.62                | 476.75  |
| राजस्थान     | 46.35                 | 171.76                | 144.62                | 362.73  |
| उत्तर प्रदेश | 32.33                 | 65.84                 | 92.67                 | 190.84  |
| कुल          | 310.39                | 1138.51               | 1721.26               | 3170.16 |

तालिका 2: अटल भूजल योजना के तहत राज्यों द्वारा उपयोग की गई वर्ष-वार राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

| राज्य        | वित्त वर्ष<br>2021-22 | वित्त वर्ष<br>2022-23 | वित्त वर्ष<br>2023-24 | कुल     |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| गुजरात       | 4.68                  | 97.87                 | 191.75                | 294.30  |
| हरियाणा      | 8.26                  | 84.03                 | 283.03                | 375.32  |
| कर्नाटक      | 27.03                 | 88.00                 | 494.20                | 609.23  |
| मध्य प्रदेश  | 11.33                 | 34.28                 | 80.95                 | 126.56  |
| महाराष्ट्र   | 3.38                  | 65.67                 | 301.87                | 370.92  |
| राजस्थान     | 7.55                  | 73.89                 | 154.71                | 236.15  |
| उत्तर प्रदेश | 6.97                  | 42.68                 | 85.16                 | 134.81  |
| कुल          | 69.20                 | 486.42                | 1591.67               | 2147.29 |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 716**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**घटता भूजल स्तर**

**716. श्री संत बलबीर सिंह:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब सहित देश में तेजी से घट रहे जल स्तर को रोकने के लिए कोई नीति बनाई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भूजल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने भविष्य की तैयारी के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों की भूजल स्थिति के संबंध में हाल ही में कोई शोध या सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो राज्यों के अंतर्गत जल की स्थिति क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** देश में जल संसाधनों के समग्र और सतत विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में ही राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) तैयार कर ली गई थी। जिसे तदुपरांत वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में इसकी समीक्षा की गई और इसे अद्यतन किया गया। भूजल के परिप्रेक्ष्य से एनडब्ल्यूपी में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, देश के जलभृतों की मैपिंग, विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना द्वारा निष्कर्षण का उचित विनियमन और सतही एवं भूजल का एकीकृत विकास शामिल है। एनडब्ल्यूपी के आधार पर मंत्रालय द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के साथ-साथ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के प्रावधान के उद्देश्य से विनियामक प्रणाली तैयार करने के लिए भूजल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया गया था। इस मॉडल बिल को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है और अब तक पंजाब सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस मॉडल बिल को अपना लिया गया है।

**(ख), (ग) और (घ):** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से देश के सक्रिय भूजल संसाधन का आकलन वार्षिक रूप से करता है। वर्ष 2023 में पूरे देश के भूजल निष्कर्षण (एसओई) का चरण 59.26% आंका गया है। वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार वार्षिक भूजल पुनर्भरण और निष्कर्षण का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित करती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के 10 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के संमिलन में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए की सूचना के अनुसार, अभियान की शुरुआत से देश में लगभग 1.05 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन किया गया है। मार्च 2021 से वर्तमान तक किए गए ऐसे सभी जल संरक्षण कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।
- ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जलभृत की अवस्थिति और इसका विशिष्टीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) की शुरुआत की गई है। पंजाब के 50,369 वर्ग किमी क्षेत्र सहित देश के समस्त मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है जिसमें देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए अनुमानित लागत सहित एक व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। इस मास्टर प्लान को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। पंजाब राज्य के मास्टर प्लान में लगभग 1200 एमसीएम वर्षा जल के संचयन हेतु लगभग 11 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एण्ड एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई तथा खेत स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 तक पंजाब में पीडीएमसी के तहत 15,173 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया था।
- v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य पंजाब सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनुरुद्धार करना था। परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनुरुद्धार किया गया है, जिनमें से 1,450 अमृत सरोवर पंजाब में हैं।
- vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में भूजल पर अधिक निर्भरता को कम करने के लिए सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहत सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- vii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी योजनाओं के माध्यम से पंजाब सहित अन्य राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है ।
- viii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए मुफ्त/रियायती विद्युत नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य नीति अपनाने और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए क्रांप रोटेशन /विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे कार्य करने हेतु दिए गए परामर्शों के आधार पर कृषि विभाग, पंजाब द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देकर धान के स्थान पर जल की कम खपत वाली अन्य फसलों को अपना कर उक्त क्षेत्रों में विविधतापूर्ण कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ix. जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श के आधार पर, पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्लूआरडीए) की स्थापना की गई है ताकि राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके।

देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है-

<https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/>

- X. इसके अतिरिक्त, कई राज्यों द्वारा जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गए हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिवर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतिया', आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन', तमिलनाडु में 'कुडीमारमठ' योजना आदि के रूप में किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

“घटता भूजल स्तर” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उतर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 716 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2023 (बीसीएम में)

| क्रम. संख्या | राज्य          | कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण | वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल | वर्तमान कुल भूजल निष्कर्षण | भूजल निष्कर्षण का चरण (%) |
|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1            | आंध्र प्रदेश   | 27.83                     | 26.45                        | 7.48                       | 28.3                      |
| 2            | अरुणाचल प्रदेश | 4.65                      | 4.16                         | 0.02                       | 0.42                      |
| 3            | असम            | 27.26                     | 20.93                        | 2.63                       | 12.54                     |
| 4            | बिहार          | 33.96                     | 30.72                        | 13.75                      | 44.76                     |
| 5            | छत्तीसगढ़      | 13.34                     | 12.18                        | 5.75                       | 47.17                     |
| 6            | दिल्ली         | 0.38                      | 0.34                         | 0.34                       | 99.13                     |
| 7            | गोवा           | 0.396                     | 0.317                        | 0.068                      | 21.37                     |
| 8            | गुजरात         | 27.35                     | 25.41                        | 13.13                      | 51.68                     |
| 9            | हरियाणा        | 9.55                      | 8.69                         | 11.8                       | 135.74                    |
| 10           | हिमाचल प्रदेश  | 1.11                      | 1.01                         | 0.35                       | 34.95                     |
| 11           | झारखंड         | 6.25                      | 5.73                         | 1.8                        | 31.38                     |
| 12           | कर्नाटक        | 18.93                     | 17.08                        | 11.32                      | 66.26                     |
| 13           | केरल           | 5.53                      | 5.01                         | 2.73                       | 54.55                     |
| 14           | मध्य प्रदेश    | 35.47                     | 32.85                        | 19.3                       | 58.75                     |
| 15           | महाराष्ट्र     | 32.76                     | 30.95                        | 16.66                      | 53.83                     |
| 16           | मणिपुर         | 0.52                      | 0.47                         | 0.04                       | 7.99                      |
| 17           | मेघालय         | 1.83                      | 1.51                         | 0.07                       | 4.58                      |
| 18           | मिजोरम         | 0.22                      | 0.2                          | 0.01                       | 3.70                      |
| 19           | नागालैंड       | 0.6                       | 0.54                         | 0.02                       | 3.76                      |
| 20           | ओडिशा          | 17.35                     | 15.94                        | 7.39                       | 46.33                     |
| <b>21</b>    | <b>पंजाब</b>   | <b>18.84</b>              | <b>16.98</b>                 | <b>27.8</b>                | <b>163.76</b>             |
| 22           | राजस्थान       | 12.45                     | 11.25                        | 16.74                      | 148.77                    |
| 23           | सिक्किम        | 0.243                     | 0.219                        | 0.012                      | 5.54                      |
| 24           | तमिलनाडु       | 21.59                     | 19.51                        | 14.42                      | 73.91                     |
| 25           | तेलंगाना       | 23.14                     | 20.92                        | 8.09                       | 38.65                     |
| 26           | त्रिपुरा       | 1.36                      | 1.09                         | 0.11                       | 9.92                      |
| 27           | उत्तर प्रदेश   | 71.83                     | 65.57                        | 46.4                       | 70.76                     |

|    |                        |               |               |               |              |
|----|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 28 | उत्तराखंड              | 2.02          | 1.85          | 0.95          | 51.69        |
| 29 | पश्चिम बंगाल           | 26.29         | 23.9          | 10.71         | 44.81        |
| 30 | अंडमान और<br>निकोबार   | 0.618         | 0.557         | 0.008         | 1.37         |
| 31 | चंडीगढ़                | 0.054         | 0.048         | 0.037         | 75.41        |
| 32 | दादरा एवं नगर<br>हवेली | 0.09          | 0.08          | 0.11          | 131.53       |
|    | दमन और दीव             | 0.035         | 0.033         | 0.057         | 170.70       |
| 33 | जम्मू और कश्मीर        | 4.94          | 4.46          | 1.08          | 24.20        |
| 34 | लद्दाख                 | 0.09          | 0.08          | 0.03          | 37.05        |
| 35 | लक्षद्वीप              | 0.014         | 0.005         | 0.003         | 61.723       |
| 36 | पुदुचेरी               | 0.20          | 0.18          | 0.13          | 70.27        |
|    | <b>कुल योग</b>         | <b>449.08</b> | <b>407.21</b> | <b>241.34</b> | <b>59.26</b> |

\*\*\*\*\*

“घटना भूजल स्तर” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

**जल शक्ति अभियान के तहत किए गए जल संरक्षण कार्य  
राज्य-वार (अवधि: मार्च 2021 से नवंबर 2024 तक)**

| जल शक्ति अभियान: कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट     |                                  |                               |                                |                                  |                |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| * जेएसए पोर्टल के अनुसार किए गए कार्यों की संख्या |                                  |                               |                                |                                  |                |
| क्रम संख्या                                       | राज्य                            | *जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन | *पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण | *पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं | *वाटरशेड विकास |
| 1   | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह      | 244                           | 930                            | 321                              | 121            |
| 2   | आंध्र प्रदेश                     | 280985                        | 88001                          | 8084                             | 103429         |
| 3   | अरुणाचल प्रदेश                   | 1683                          | 171                            | 335                              | 684            |
| 4   | असम                              | 42255                         | 5838                           | 909                              | 45730          |
| 5   | बिहार                            | 164330                        | 24801                          | 72705                            | 78630          |
| 6   | चंडीगढ़                          | 319                           | 8                              | 0                                | 0              |
| 7   | छत्तीसगढ़                        | 192693                        | 60007                          | 41269                            | 114873         |
| 8   | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 246                           | 1                              | 0                                | 0              |
| 9   | दिल्ली                           | 113                           | 36                             | 0                                | 0              |
| 10  | गोवा                             | 72                            | 88                             | 15                               | 59             |
| 11  | गुजरात                           | 42570                         | 25754                          | 42907                            | 93999          |
| 12  | हरियाणा                          | 68459                         | 19266                          | 45582                            | 15352          |
| 13  | हिमाचल प्रदेश                    | 37353                         | 5527                           | 2918                             | 100586         |
| 14  | जम्मू और कश्मीर                  | 39191                         | 9119                           | 90952                            | 104965         |
| 15  | झारखंड                           | 77729                         | 2026                           | 32617                            | 318761         |
| 16  | कर्नाटक                          | 372998                        | 52157                          | 451540                           | 568627         |
| 17  | केरल                             | 91987                         | 41651                          | 77446                            | 270501         |
| 18  | लद्दाख                           | 3292                          | 118                            | 14128                            | 3947           |
| 19  | लक्षद्वीप                        | 3                             | 8                              | 0                                | 0              |
| 20  | मध्य प्रदेश                      | 435577                        | 23996                          | 78303                            | 256838         |

|           |              |                |               |                |                |
|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 21        | महाराष्ट्र   | 38120          | 11167         | 71965          | 26385          |
| 22        | मणिपुर       | 7335           | 2329          | 49             | 2313           |
| 23        | मेघालय       | 9800           | 1387          | 407            | 8214           |
| 24        | मिजोरम       | 22772          | 974           | 2056           | 12068          |
| 25        | नागालैंड     | 920            | 317           | 84             | 938            |
| 26        | ओडिशा        | 164237         | 29594         | 31713          | 174795         |
| 27        | पुदुचेरी     | 290            | 1718          | 0              | 21             |
| <b>28</b> | <b>पंजाब</b> | <b>5149</b>    | <b>14503</b>  | <b>3310</b>    | <b>23963</b>   |
| 29        | राजस्थान     | 309500         | 36790         | 11603          | 125305         |
| 30        | सिक्किम      | 6864           | 48            | 983            | 4114           |
| 31        | तमिलनाडु     | 385217         | 42793         | 534845         | 265720         |
| 32        | तेलंगाना     | 28040          | 24738         | 105548         | 58361          |
| 33        | त्रिपुरा     | 66409          | 2017          | 5109           | 61759          |
| 34        | उत्तर प्रदेश | 218274         | 88394         | 101681         | 933967         |
| 35        | उत्तराखंड    | 173388         | 10968         | 5427           | 96456          |
| 36        | पश्चिम बंगाल | 96602          | 44744         | 34964          | 54225          |
|           | <b>कुल</b>   | <b>3385016</b> | <b>671984</b> | <b>1869775</b> | <b>3925706</b> |

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 729**  
**जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**भू-जल में कमी और जल संरक्षण के लिए पहल**

**729. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां भू-जल स्तर में अत्याधिक गिरावट आ रही है;
- (ख) सरकार द्वारा भू-जल स्तर में गिरावट की समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं और इन पहलों के क्या परिणाम निकले हैं;
- (ग) विशेष रूप से जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण संबंधी पहलों के कार्यान्वयन में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;
- (घ) भू-जल संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) जल संरक्षण संबंधी कार्यनीतियों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ की गयी साझेदारी का ब्योरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) सीजीडब्ल्यूबी पूरे देश में हर साल चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है। नवंबर 2023 के महीने के लिए देश भर में मापा गया राज्यवार जल स्तर का ब्योरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि देश भर में लगभग 84.8% कुओं में जल स्तर 0-10 मीटर नीचे (एमबीजीएल) दर्ज किया गया है, जो भूजल तक पहुंच में आसानी को दर्शाता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसे कुओं का प्रतिशत काफी अधिक है, जिनमें 20 एमबीजीएल जल का स्तर है, जो भूजल में गिरावट का संकेत है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं

और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

i. सरकार 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश के 151 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में जेएसए 2024 को लागू किया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ मिलकर भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृतों की स्थिति और उनके लक्षण-निर्धारण को रेखांकित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

iii. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें अनुमानित लागत के साथ देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।

iv. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल के दोहन और उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा 24.09.2020 के अपने दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करके विनियमित किया जाता है, जो पूरे भारत में लागू होते हैं।

v. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना को लागू कर रही है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर खेत जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

vi. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना था। परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

(ग) जल संरक्षण पहलों के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थानीय भूमि अधिकार और स्वामित्व, क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त जानकारी का अभाव, जमीनी स्तर पर कुशल कर्मियों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता; विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच अपर्याप्त समन्वय; समुदाय का विश्वास और उनका समर्पित सहयोग जीतना; राज्य और स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त संस्थागत क्षमताएं; निर्माण कार्य के बाद संचालन और रखरखाव गतिविधियों पर ध्यान न देना आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

घ) चूंकि सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए बिना कोई भी जल संरक्षण गतिविधि लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती, इसलिए केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तव में जन आंदोलन बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

i. भारत सरकार 7 राज्यों के 80 जल संकटग्रस्त जिलों में अटल भूजल योजना लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन और मांग प्रबंधन है तथा सतत सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से इसका उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना है।

ii. केन्द्रीय भूजल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर II और टियर III कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें स्थानीय जनता को वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाता है।

iii. सरकार 2019 से देश में जल शक्ति अभियान लागू कर रही है जिसके तहत देश के हर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले से ही 700 जल शक्ति केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। जल शक्ति केन्द्र किसी भी जल संबंधी मुद्दे जैसे जल संरक्षण विधियों, जल उपयोग दक्षता, भूजल पर नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता, ग्रे जल प्रबंधन आदि से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं और इन मामलों पर स्थानीय लोगों को सलाह देने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

iv. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूत करने के लिए, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए समुदाय द्वारा संचालित मार्ग को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है।

(ड) जल एक राज्य विषय है, इसलिए केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पुरक बनाती है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के पूरे प्रयास में राज्य एक अभिन्न अंग हैं। केंद्र सरकार जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश भर में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनसे परामर्श भी करती है।

इस तथ्य को समझते हुए कि एकीकृत जल प्रबंधन एक बहु-हितधारक प्रक्रिया है, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों जैसे रोटरी इंडिया वाटर कंजर्वेशन ट्रस्ट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आदि के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, अटल भूजल योजना के तहत, कई गैर सरकारी संगठनों को जिला कार्यान्वयन भागीदार (डीआईपी) के रूप में शामिल किया गया है जो योजना के कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों और समुदाय के बीच सेतु का काम करते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन विभिन्न क्षमताओं में जुड़े हुए हैं जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन में सुधान करना है जैसे कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय संघ, फिज़िकलिश-टेक्नीस बुंडेसनस्टाल्ट (पीटीबी), डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट (जीआईजेड), औद्योगिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति संगठन (ओआईएससीए) आदि।

अनुलग्नक-1

“भूजल में कमी और जल संरक्षण के लिए पहल” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 729 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

मॉनसून 2023 के बाद अवलोकन किए गए कुओं के प्रतिशत का जल स्तर वितरण

| क्रम संख्या | राज्य का नाम   | विश्लेषित कुओं की संख्या | जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) दर्शाने वाले कुओं की संख्या/प्रतिशत |       |        |      |         |      |          |      |          |      |      |      |
|-------------|----------------|--------------------------|---|-------|--------|------|---------|------|----------|------|----------|------|------|------|
|             |                |                          | 0 से 2  |       | 2 से 5 |      | 5 से 10 |      | 10 से 20 |      | 20 से 40 |      | > 40 |      |
|             |                |                          | सं.   | %     | सं.    | %    | सं.     | %    | सं.      | %    | सं.      | %    | सं.  | %    |
| 1           | आंध्र प्रदेश   | 809                      | 109   | 13.5  | 382    | 47.2 | 241     | 29.8 | 54       | 6.7  | 16       | 2.0  | 7    | 0.9  |
| 2           | अरुणाचल प्रदेश | 28                       | 12  | 42.9  | 8      | 28.6 | 7       | 25.0 | 1        | 3.6  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 3           | असम            | 318                      | 125   | 39.3  | 156    | 49.1 | 30      | 9.4  | 6        | 1.9  | 1        | 0.3  | 0    | 0.0  |
| 4           | बिहार          | 784                      | 116   | 14.8  | 525    | 67.0 | 139     | 17.7 | 4        | 0.5  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 5           | छत्तीसगढ़      | 1046                     | 172   | 16.4  | 628    | 60.0 | 228     | 21.8 | 16       | 1.5  | 2        | 0.2  | 0    | 0.0  |
| 6           | गोवा           | 82                       | 17  | 20.7  | 38     | 46.3 | 21      | 25.6 | 6        | 7.3  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 7           | गुजरात         | 753                      | 105   | 13.9  | 305    | 40.5 | 215     | 28.6 | 96       | 12.7 | 26       | 3.5  | 6    | 0.8  |
| 8           | हरियाणा        | 985                      | 71  | 7.2   | 160    | 16.2 | 154     | 15.6 | 198      | 20.1 | 253      | 25.7 | 149  | 15.1 |
| 9           | हिमाचल प्रदेश  | 171                      | 30  | 17.5  | 69     | 40.4 | 30      | 17.5 | 26       | 15.2 | 12       | 7.0  | 4    | 2.3  |
| 10          | झारखंड         | 396                      | 51  | 12.9  | 216    | 54.5 | 114     | 28.8 | 8        | 2.0  | 7        | 1.8  | 0    | 0.0  |
| 11          | कर्नाटक        | 1264                     | 228   | 18.0  | 504    | 39.9 | 454     | 35.9 | 75       | 5.9  | 3        | 0.2  | 0    | 0.0  |
| 12          | केरल           | 1377                     | 323   | 23.5  | 477    | 34.6 | 485     | 35.2 | 85       | 6.2  | 5        | 0.4  | 2    | 0.1  |
| 13          | मध्य प्रदेश    | 1470                     | 151   | 10.3  | 654    | 44.5 | 501     | 34.1 | 147      | 10.0 | 12       | 0.8  | 5    | 0.3  |
| 14          | महाराष्ट्र     | 1658                     | 248   | 15.0  | 706    | 42.6 | 526     | 31.7 | 141      | 8.5  | 32       | 1.9  | 5    | 0.3  |
| 16          | मेघालय         | 51                       | 23  | 45.1  | 27     | 52.9 | 1       | 2.0  | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 17          | मिजोरम         | 2                        | 2   | 100.0 | 0      | 0.0  | 0       | 0.0  | 0        | 0.0  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 18          | नागालैंड       | 10                       | 0   | 0.0   | 6      | 60.0 | 3       | 30.0 | 1        | 10.0 | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 19          | ओडिशा          | 1370                     | 528   | 38.5  | 694    | 50.7 | 142     | 10.4 | 6        | 0.4  | 0        | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 20          |                | 283                      | 29  | 10.2  | 55     | 19.4 | 34      | 12.0 | 65       | 23.0 | 81       | 28.6 | 19   | 6.7  |

|    |  |              |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |
|----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 21 | पंजाब  | 1061         | 27          | 2.5         | 171         | 16.1        | 195         | 18.4        | 234         | 22.1       | 194        | 18.3       | 240        | 22.6       |
| 23 | राजस्थान                                     | 857          | 186         | 21.7        | 359         | 41.9        | 239         | 27.9        | 60          | 7.0        | 11         | 1.3        | 2          | 0.2        |
| 24 | तमिलनाडु                                     | 623          | 58          | 9.3         | 278         | 44.6        | 204         | 32.7        | 72          | 11.6       | 9          | 1.4        | 2          | 0.3        |
| 25 | तेलंगाना                                     | 96           | 26          | 27.1        | 57          | 59.4        | 13          | 13.5        | 0           | 0.0        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 26 | त्रिपुरा                                     | 1092         | 179         | 16.4        | 481         | 44.0        | 265         | 24.3        | 133         | 12.2       | 30         | 2.7        | 4          | 0.4        |
| 27 | उत्तर प्रदेश                                 | 171          | 17          | 9.9         | 48          | 28.1        | 35          | 20.5        | 31          | 18.1       | 25         | 14.6       | 15         | 8.8        |
| 28 | उत्तराखंड                                    | 736          | 224         | 30.4        | 413         | 56.1        | 85          | 11.5        | 14          | 1.9        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 29 | पश्चिम<br>बंगाल                              | 111          | 103         | 92.8        | 8           | 7.2         | 0           | 0.0         | 0           | 0.0        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 30 | अंडमान<br>और<br>निकोबार                      | 14           | 0           | 0.0         | 5           | 35.7        | 2           | 14.3        | 2           | 14.3       | 4          | 28.6       | 1          | 7.1        |
| 31 | चंडीगढ़                                      | 30           | 7           | 23.3        | 17          | 56.7        | 6           | 20.0        | 0           | 0.0        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| 32 | दमन और<br>दीव और<br>दादरा और<br>नगर<br>हवेली | 119          | 9           | 7.6         | 30          | 25.2        | 39          | 32.8        | 26          | 21.8       | 11         | 9.2        | 4          | 3.4        |
| 33 | दिल्ली                                       | 385          | 96          | 24.9        | 173         | 44.9        | 59          | 15.3        | 27          | 7.0        | 21         | 5.5        | 9          | 2.3        |
| 36 | जम्मू और<br>कश्मीर                           | 9            | 2           | 22.2        | 5           | 55.6        | 2           | 22.2        | 0           | 0.0        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
|    | <b>कुल</b>                                   | <b>18161</b> | <b>3274</b> | <b>18.0</b> | <b>7655</b> | <b>42.2</b> | <b>4469</b> | <b>24.6</b> | <b>1534</b> | <b>8.4</b> | <b>755</b> | <b>4.2</b> | <b>474</b> | <b>2.6</b> |

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 728  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे परियोजना की प्रगति

728. श्री पी.पी. सुनीर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नमामि गंगे परियोजना की संकल्पना का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्य, विभिन्न चालू और पूर्ण परियोजनाओं पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गंगा नदी के किनारे बसे शहरों से अनुमानतः कितना मल-जल उत्पन्न होता है और परियोजना के शुरू होने के पांच वर्षों के पश्चात् गंगा नदी में पहुंचने वाले मल-जल की मात्रा में कितना अंतर आया है;
- (ग) हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों लिए गंगा नदी के जल के टीडीएस और पीएच स्तरों के मौजूदा आंकड़े क्या हैं और यदि इस नदी से जल का उपयोग किया जाता है तो क्या यह जल पीने योग्य है; और
- (घ) शहरों में गंगा के पानी में पाए जाने वाले रसायनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के एक संघ ने एक समग्र गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) विकसित की, जिसे पहली बार वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत किया गया था। इस योजना ने बेसिन चुनौतियों और कार्याकल्प कार्यकलापों पर ज्ञान को समेकित किया। इसने एक कार्याकल्पित गंगा की परिकल्पना की, जिसे "निर्मल धारा" (निर्मल प्रवाह), "अविरल धारा" (सतत प्रवाह) और पारिस्थितिक एवं भूवैज्ञानिक अखंडता के अनुरक्षण द्वारा परिभाषित किया गया। वैज्ञानिक अध्ययनों और विगत कार्यकलापीय विश्लेषणों के आधार पर, नमामि गंगे कार्यक्रम को गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया था। मई 2015 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वीकृत मिशन, गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और कार्याकल्प के लिए कार्यकलापों के एक विविध और समग्र सेट के साथ एक बेसिन-आधारित दृष्टिकोण जैसे अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवरफ्रंट प्रबंधन (घाट और श्मशान), ई-प्रवाह

सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक भागीदारी आदि को अंगीकृत करता है। अक्टूबर 2024 तक, 39,604 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत से कुल 484 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 302 परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं। परियोजनाओं और उनके व्यय का विवरण **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

**(ख):** गंगा नदी के मुख्य तट पर स्थित 5 राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) में चिन्हित किए गए गंगा तटीय शहरों से अनुमानित सीवेज उत्पादन लगभग 3,600 एमएलडी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यकलापों के साथ, वर्तमान में गंगा नदी के मुख्य तट पर स्थित शहरों में कुल उपचार लगभग 2,750 एमएलडी तक बढ़ गया है। इसके अलावा, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड के माध्यम से लगभग 910 एमएलडी सीवेज उपचारित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, गंगा नदी के मुख्य तट पर स्थित शहरों में लगभग 900 एमएलडी एसटीपी क्षमता विकसित करने संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

**(ग) और (घ):** नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य सीपीसीबी/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अधिसूचित आउटडोर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करना है। सीपीसीबी अनुपचारित नदी जल का सेवन न करने की सलाह देता है, क्योंकि पेय जल को बीआईएस मानक आईएस 10500/2012 के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत 112 स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी की जाती है, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना सहित 10 प्रमुख स्थानों से टीडीएस और पीएच स्तर के आंकड़े **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न हैं।

प्रयागराज और वाराणसी में 2023 में भारी धातु विश्लेषण (आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, लेड, क्रोमियम, निकेल और मरकरी) डिटेक्टिबल लिमिट (बीडीएल) से नीचे के स्तर को इंगित करते हैं। विस्तृत डेटा **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

"नमामि गंगे परियोजना की प्रगति" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की कार्यकलाप-वार स्थिति इस प्रकार है:

| क्र. सं.   | परियोजना का प्रकार          | राज्य         | स्वीकृत परियोजनाएं  |                     | परियोजना की स्थिति | व्यय          |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|            |                             |               | परियोजनाएं (संख्या) | लागत (करोड़ रु.में) | पूर्ण              |               |
| 1          | सीवरेज परियोजनाएं           | उत्तराखंड     | 42                  | 1,743               | 36                 | 843           |
|            |                             | उत्तर प्रदेश  | 73                  | 14,823              | 45                 | 5,878         |
|            |                             | बिहार         | 38                  | 7,089               | 17                 | 4,342         |
|            |                             | झारखंड        | 5                   | 1,310               | 2                  | 235           |
|            |                             | पश्चिम बंगाल  | 29                  | 4,437               | 14                 | 1,859         |
|            |                             | दिल्ली        | 9                   | 1,951               | 8                  | 1,899         |
|            |                             | हरियाणा       | 2                   | 218                 | 2                  | 218           |
|            |                             | हिमाचल प्रदेश | 1                   | 12                  | 1                  | 4             |
|            |                             | राजस्थान      | 1                   | 258                 | 0                  | 182           |
|            |                             | मध्य प्रदेश   | 3                   | 670                 | 0                  | 0             |
| 2          | नदी तट, घाट और श्मशान       | 109           | 1,811               | 82                  | 1,267              |               |
| 3          | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन         | 14            | 1,468               | 11                  | 1,182              |               |
| 4          | जैव उपचार                   | 19            | 395                 | 10                  | 40                 |               |
| 5          | औद्योगिक प्रदूषण उपशमन      | 23            | 1,762               | 8                   | 526                |               |
| 6          | जैव विविधता और वनीकरण       | 67            | 938                 | 45                  | 503                |               |
| 7          | आजीविका परियोजनाएं          | 11            | 46                  | 2                   | 13                 |               |
| 8          | सार्वजनिक आउटरीच परियोजनाएं | 16            | 421                 | 11                  | 217                |               |
| 9          | ज्ञान परियोजनाएं            | 22            | 251                 | 8                   | 63                 |               |
| <b>कुल</b> |                             |               | <b>484</b>          | <b>39,603</b>       | <b>302</b>         | <b>19,271</b> |

**अनुलग्नक-II**

"नमामि गंगे परियोजना की प्रगति" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2023 में टीडीएस और पीएच के लिए गंगा नदी के जल गुणवत्ता डेटा

| क्र.सं. | निगरानी स्थान का नाम  | जिला      | टीडीएस (मिलीग्राम/एल) |        | पीएच    |        |
|---------|---|-----------|-----------------------|--------|---------|--------|
|         |   |           | न्यूनतम               | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम |
|         | ई (पी) नियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित वाह्य स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता |           |                       |        | 6.5-8.5 |        |
| 1.      | हर की पौरी घाट पर गंगा नदी  | हरिद्वार  | 106.6                 | 225    | 7.3     | 8.3    |
| 2.      | रुड़की में ऊपरी गंगा कैल डाउनस्ट्रीम (डी/एस)                                  |           | 138                   | 278    | 7.4     | 8.3    |
| 3.      | बिठूर (कानपुर), उत्तर प्रदेश (यूपी) में गंगा नदी                              | कानपुर    | 148                   | 248    | 7.8     | 8.5    |
| 4.      | स्नान घाट (जाजमऊ पुल) पर गंगा नदी   |           | 154                   | 409    | 7.7     | 8.5    |
| 5.      | उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (रसूलाबाद) में गंगा नदी                             | प्रयागराज | 201                   | 247    | 7.8     | 8.4    |
| 6.      | प्रयागराज डी/एस (संगम), उत्तर प्रदेश में गंगा नदी                             |           | 228                   | 258    | 7.8     | 8.4    |
| 7.      | वाराणसी में गंगा नदी विश्वसुंदरी पुल के पास ऊपरी धारा में बी/सी ड्रेन के पास  | वाराणसी   | 194                   | 328    | 7.8     | 8.4    |
| 8.      | वाराणसी डी/एस, ए/सी, वरुणा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी                     |           | 204                   | 336    | 7.6     | 8.1    |
| 9.      | दीघा में गंगा नदी, जेपी सेतु के पास, पटना यू/एस                               | पटना      | 170                   | 286    | 7.2     | 8.4    |
| 10.     | बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, अथमलगोला, पटना में गंगा नदी                           |           | 136                   | 298    | 7.4     | 8.2    |

**अनुलग्नक-III**

**"नमामि गंगे परियोजना की प्रगति" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

**वर्ष 2023 में प्रयागराज और वाराणसी में भारी धातुओं संबंधी गंगा नदी की जल गुणवत्ता का डेटा**

| निगरानी स्थान का नाम   | जिला      | आर्सेनिक<br>(मिलीग्राम/एल) | कैडमियम<br>(मिलीग्राम/एल) | कॉपर<br>(मिलीग्राम/एल) | लेड<br>(मिलीग्राम/एल) | क्रोमियम कुल<br>(मिलीग्राम/एल) | निकिल<br>(मिलीग्राम/एल) | मरकरी<br>(मिलीग्राम/एल) |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| उत्तर प्रदेश के प्रयागराज<br>(रसूलाबाद) में गंगा नदी             | प्रयागराज | बीडीएल                     | बीडीएल                    | बीडीएल                 | बीडीएल                | बीडीएल                         | बीडीएल                  | बीडीएल                  |
| प्रयागराज डी/एस (संगम),<br>उत्तर प्रदेश में गंगा नदी             |           | बीडीएल                     | बीडीएल                    | बीडीएल                 | बीडीएल                | बीडीएल                         | बीडीएल                  | बीडीएल                  |
| वाराणसी में गंगा नदी<br>विश्व सुंदरीपुल के पास<br>निकट ड्रेन     | वाराणसी   | बीडीएल                     | बीडीएल                    | बीडीएल                 | बीडीएल                | बीडीएल                         | बीडीएल                  | बीडीएल                  |
| वाराणसी में गंगा नदी,<br>डी/एस, ए/सी, वरुणा<br>नदी, उत्तर प्रदेश |           | बीडीएल                     | बीडीएल                    | बीडीएल                 | बीडीएल                | बीडीएल                         | बीडीएल                  | बीडीएल                  |

बीडीएल- डिटेक्शन लिमिट से कम.

\*\*\*\*



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 727  
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
जल संरक्षण

727. सुश्री दोला सेन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भू-जल संसाधन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध करा सकती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने सालों भर आने वाली बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण जल की हानि को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने सालों भर आने वाली बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न जल संसाधन को एकत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) एवं राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2022 से संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधन का आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार, देश में समग्र रूप से कुल वार्षिक भूमि जल पुनर्भरण 449 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407 बीसीएम है। सभी प्रयोजनों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241 बीसीएम है। तदनुसार, पूरे देश में भूजल निष्कर्षण का चरण लगभग 59.26% है।

भारत के डॉयनेमिक भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन, 2023 के अनुसार भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रवार भूजल संसाधन का विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्ष 2021 में जारी केंद्रीय जल आयोग की 'जल और संबंधित सांख्यिकी' रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 3880 बीसीएम औसत वार्षिक वर्षा होती है। देश में 1999 बीसीएम औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता का आकलन किया गया है। स्थलाकृतिक, भूजल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण 1126 बीसीएम उपयोज्य जल की उपलब्धता है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 436 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल संसाधन शामिल है।

**(इ) और (च):** जल राज्य का विषय है। जल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन दिया जाता है। बारहमासी बाढ़ को कम करने और अतिरिक्त नदी जल का उपयोग करने के लिए, जल की अधिकता वाले नदी बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल के अंतरण हेतु नदियों को आपस में जोड़ना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के रूप में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल के उपयोग के लिए जल भंडारण क्षमता में वृद्धि को एक अच्छा उपाय माना जाता है। अतिरिक्त वर्षा जल के उपयोग और संग्रहण हेतु किए जाने वाले उपायों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, झीलों और तालाबों जैसे पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार, बांधों और नहरों से गाद निकालना आदि शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- i. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत, कुल 30 संपर्क परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 16 संपर्क परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत हैं और 14 संपर्क परियोजनाएं हिमालयी घटक के अंतर्गत हैं।
- ii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) / भूजल पुनर्भरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में 'नारी शक्ति से जल शक्ति' विषय के साथ वर्ष 2024-25 के लिए जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की गई है। जेएसए का कार्यान्वयन विभिन्न योजनाओं और निधियों के स्थानीय अभिसरण के माध्यम से किया जाता है और इस अभियान के तहत किए गए कुछ प्रमुख उपायों में छत के वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कार्य शामिल है। इन गतिविधियों में भूजल की कमी को दूर करने के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से तालाबों, टैंकों आदि जैसे मौजूदा जल निकायों का निर्माण और उनसे गाद निकालना भी शामिल है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना की व्यापक रूपरेखा और अपेक्षित निवेश उपलब्ध कराए गए हैं। इस मास्टर योजना में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल के उपयोग हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए इस मास्टर प्लान को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

- iv. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।
- v. "जल निकायों (डब्ल्यूबी) की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर)" जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का एक घटक है जिसके तहत पारंपरिक जल निकायों की सफाई जैसे कार्य किए जाते हैं।
- vi. भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के तहत, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है जो राज्य सरकारों को उपयुक्त भूजलवैज्ञानिक स्थितियों में इसे अपनाने के लिए सक्षम बनाती हैं।
- vii. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 2.0 स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके प्रमुख घटकों में शहरी क्षेत्रों में जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार शामिल है। यह मिशन बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करते हुए जल स्रोत संरक्षण, उपयोग किए गए उपचारित जल के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग को बढ़ावा देता है।
- viii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मॉडल भवन उपनियम, 2016 तैयार किया गया है जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। एमबीबीएल के अनुसार 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के प्लॉटों पर निर्मित भवनों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन को अपनाने का प्रावधान शामिल है। अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल उप-नियमों की विशेषताओं को अपनाया है।

"जल संरक्षण" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 02.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत का राज्यवार भूजल संसाधन, 2023 (बीसीएम)

| क्रम संख्या | राज्य               | कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण | वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल | वर्तमान कुल भूजल निष्कर्षण | भूजल निष्कर्षण का चरण (%) |
|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1           | आंध्र प्रदेश        | 27.83                     | 26.45                        | 7.48                       | 28.3                      |
| 2           | अरुणाचल प्रदेश      | 4.65                      | 4.16                         | 0.02                       | 0.42                      |
| 3           | असम                 | 27.26                     | 20.93                        | 2.63                       | 12.54                     |
| 4           | बिहार               | 33.96                     | 30.72                        | 13.75                      | 44.76                     |
| 5           | छत्तीसगढ़           | 13.34                     | 12.18                        | 5.75                       | 47.17                     |
| 6           | दिल्ली              | 0.38                      | 0.34                         | 0.34                       | 99.13                     |
| 7           | गोवा                | 0.396                     | 0.317                        | 0.068                      | 21.37                     |
| 8           | गुजरात              | 27.35                     | 25.41                        | 13.13                      | 51.68                     |
| 9           | हरियाणा             | 9.55                      | 8.69                         | 11.8                       | 135.74                    |
| 10          | हिमाचल प्रदेश       | 1.11                      | 1.01                         | 0.35                       | 34.95                     |
| 11          | झारखंड              | 6.25                      | 5.73                         | 1.8                        | 31.38                     |
| 12          | कर्नाटक             | 18.93                     | 17.08                        | 11.32                      | 66.26                     |
| 13          | केरल                | 5.53                      | 5.01                         | 2.73                       | 54.55                     |
| 14          | मध्य प्रदेश         | 35.47                     | 32.85                        | 19.3                       | 58.75                     |
| 15          | महाराष्ट्र          | 32.76                     | 30.95                        | 16.66                      | 53.83                     |
| 16          | मणिपुर              | 0.52                      | 0.47                         | 0.04                       | 7.99                      |
| 17          | मेघालय              | 1.83                      | 1.51                         | 0.07                       | 4.58                      |
| 18          | मिजोरम              | 0.22                      | 0.2                          | 0.01                       | 3.70                      |
| 19          | नागालैंड            | 0.6                       | 0.54                         | 0.02                       | 3.76                      |
| 20          | ओडिशा               | 17.35                     | 15.94                        | 7.39                       | 46.33                     |
| 21          | पंजाब               | 18.84                     | 16.98                        | 27.8                       | 163.76                    |
| 22          | राजस्थान            | 12.45                     | 11.25                        | 16.74                      | 148.77                    |
| 23          | सिक्किम             | 0.243                     | 0.219                        | 0.012                      | 5.54                      |
| 24          | तमिलनाडु            | 21.59                     | 19.51                        | 14.42                      | 73.91                     |
| 25          | तेलंगाना            | 23.14                     | 20.92                        | 8.09                       | 38.65                     |
| 26          | त्रिपुरा            | 1.36                      | 1.09                         | 0.11                       | 9.92                      |
| 27          | उत्तर प्रदेश        | 71.83                     | 65.57                        | 46.4                       | 70.76                     |
| 28          | उत्तराखंड           | 2.02                      | 1.85                         | 0.95                       | 51.69                     |
| 29          | पश्चिम बंगाल        | 26.29                     | 23.9                         | 10.71                      | 44.81                     |
| 30          | अंडमान और निकोबार   | 0.618                     | 0.557                        | 0.008                      | 1.37                      |
| 31          | चंडीगढ़             | 0.054                     | 0.048                        | 0.037                      | 75.41                     |
| 32          | दादरा एवं नगर हवेली | 0.09                      | 0.08                         | 0.11                       | 131.53                    |
|             | दमन और दीव          | 0.035                     | 0.033                        | 0.057                      | 170.70                    |
| 33          | जम्मू और कश्मीर     | 4.94                      | 4.46                         | 1.08                       | 24.20                     |
| 34          | लद्दाख              | 0.09                      | 0.08                         | 0.03                       | 37.05                     |
| 35          | लक्षद्वीप           | 0.014                     | 0.005                        | 0.003                      | 61.723                    |
| 36          | पुदुचेरी            | 0.20                      | 0.18                         | 0.13                       | 70.27                     |
|             | <b>कुल योग</b>      | <b>449.08</b>             | <b>407.21</b>                | <b>241.34</b>              | <b>59.26</b>              |



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*213  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

**पोलावरम परियोजना और ओडिशा पर इसका प्रभाव**

**\*213. डॉ. सस्मित पात्रा:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की जा रही पोलावरम परियोजना का ब्यौरा क्या है और ओडिशा पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा;
- (ख) सरकार ओडिशा और इसके लोगों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है; और
- (ग) पोलावरम परियोजना के कारण ओडिशा के कितने लोगों और भू-क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा?

**उत्तर**

**जल शक्ति मंत्री**

**श्री सी. आर. पाटील**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**'पोलावरम परियोजना और ओडिशा पर इसका प्रभाव' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*213 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क):** पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर परिकल्पित एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4,36,825 हेक्टेयर की सकल सिंचाई क्षमता के नए आयाकट के विकास के परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने के लिए बांध और नहर प्रणाली के निर्माण, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के मौजूदा आयाकट के स्थिरीकरण, विशाखापत्तनम, अंकपल्ली और मार्ग में पड़ने वाले गांवों में 28.50 लाख की आबादी को पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाने, विजाग संयंत्र को औद्योगिक जल प्रदान करने और कृष्णा नदी बेसिन में 80 टीएमसी पानी का विपथन और 960 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उत्पादित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना निर्माणाधीन है और नवंबर, 2024 तक समग्र प्रगति 53.46% बताई गई है। अगर सुरक्षात्मक तटबंध नहीं बनाए जाते हैं तो परियोजना के निर्माण के कारण, ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं।

**(ख):** पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 02.04.1980 के अंतर-राज्यीय समझौते के अनुसार, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) अवार्ड, 1980 के प्रावधानों के अनुसार निर्माणाधीन है। इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार, ओडिशा अपने क्षेत्रों में आरएल + 150 फीट से अधिक प्रभावित होने की संभावना वाली भूमि और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों के लिए या परियोजना लागत पर +150 फीट से नीचे के पैटर्न पर प्रभावित होने वाले (क्षेत्रों और संपत्तियों के लिए तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन) के लिए मुआवजे में से एक विकल्प का चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 30.20 किमी (सिलेरु नदी के किनारे 12 किमी और सबरी नदी के किनारे 18.20 किमी.) की कुल लंबाई के लिए उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था सहित सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण का प्रावधान भी इस परियोजना में रखा गया है।

**(ग):** यदि ईएल+150 फीट से ऊपर की भूमि और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों के निर्माण के विकल्प का ओडिशा द्वारा प्रयोग किया जाता है तो पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण जलमग्नता नहीं होगी। तथापि, यदि विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार, ओडिशा राज्य के मलकानगिरी जिले के 8 राजस्व गांवों में 648.05 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। ओडिशा राज्य में परियोजना प्रभावित परिवारों की अनुमानित कुल संख्या 1,002 है, जिसमें 6,316 व्यक्ति शामिल हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*222  
जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़ना

\*222. श्रीमती किरण चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पानी की कमी, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के भाग के रूप में देश में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं और इनमें शामिल नदियों, इस संबंध में अब तक हुई प्रगति और परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा का, ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विशेष रूप से कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करने के संदर्भ में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं से अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

'नदियों को आपस में जोड़ना' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*222 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार ने सूखे की स्थिति के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने और वार्षिक रूप से बार-बार आने वाली बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करने के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों में अधिशेष जल का भंडारण करते हुए उसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत, 30 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं जिनमें से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर), 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंकों की परियोजनाओं की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। नदियों को आपस में जोड़ने वाली इन पांच परियोजनाओं को नामतः केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें 3 लिंक परियोजनाएं - गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक - कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी लिंक} और संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (एमपीकेसी) लिंक परियोजना प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है।

(ख): केन-बेतवा लिंक परियोजना, एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की प्रथम परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये (2020-21 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना में शामिल प्रमुख नदियों में केन, बेतवा, ओर, बीना आदि नदियाँ शामिल हैं। इस परियोजना का कार्य मार्च, 2030 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना के संबंध में अब तक हुई प्रगति **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

(ग): एनपीपी के अंतर्गत, नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं से योजनाबद्ध लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक-11** में दर्शाया गया है।

\*\*\*\*\*

"नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*222 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) में की गई प्रगति का विवरण

- **कैबिनेट द्वारा अनुमोदन:** यह एनपीपी का पहला लिंक है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 में 44605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन दिया है, जिसमें विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी गयी है। इसका प्रारंभिक फोकस भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर और परियोजना के ईएमपी पर है।
- **लाभ:** इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में (अधिकांशत बुंदेलखंड क्षेत्र में) 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई और दोनों राज्यों में लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसका प्रारंभिक फोकस भूमि अधिग्रहण, प्रभावित लोगों का आर एंड आर और पर्यावरण और वन स्वीकृति की शर्तों को पूरा करने पर है।
- **दौधन बांध की निविदा:** दौधन बांध और सहायक संरचनाओं के लिए एक निविदा दी गई है और इसके लिए दिनांक 28.11.2024 को केबीएलपीए द्वारा एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था।
- **भूमि अधिग्रहण की स्थिति:** वन स्वीकृति अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा वन के अलावा 6,017 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित और अधिसूचित की गई है। दौधन बांध के अंतर्गत जलमग्न क्षेत्रों के लिए 1,454.33 हेक्टेयर निजी भूमि और 1,604.429 हेक्टेयर सरकारी भूमि को जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश के पक्ष में म्यूटेशन किया गया था। केन-बेतवा लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण मध्य प्रदेश के 99 गांव प्रभावित हुए और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई हैं।
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्थिति:** पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष आर एंड आर पैकेज को अनुमोदन दिया गया था। राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति की बैठकों में इस मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

"नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*222 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लाभों का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

| क्र.सं. | नाम   | लाभान्वित राज्य                     | वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)        | घरेलू और औद्योगिक (मिलियन क्यूबिक मीटर) | हाइड्रोपावर (मेगावाट) |
|---------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1       | क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक                    | आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा         | 4.43                                 | 802                                     | 445                   |
|         | ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा               | 6.25<br>(0.91 +<br>3.52 +<br>1.82**) | 700<br>+125**                           | 210 +<br>240**        |
| 2       | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@                        | आंध्र प्रदेश                        | 2.1                                  | 162                                     | --                    |
| 3       | क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक              | तेलंगाना                            | 2.87                                 | 237                                     | 1045                  |
|         | ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *     | तेलंगाना                            | 2.38                                 | 232                                     | 26                    |
| 4       | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक        | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश            | 4.74<br>(0.36+<br>4.38)              | 346                                     | 90                    |
| 5       | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक               | आंध्र प्रदेश                        | 5.81                                 | 124                                     | 90                    |
|         | ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *    | आंध्र प्रदेश                        | 1.71                                 | 236                                     | 40                    |
| 6       | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक                                  | आंध्र प्रदेश                        | 1.79                                 | 58                                      | 11                    |
| 7       | कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक                                   | कर्नाटक                             | 0.69                                 | 467                                     | --                    |
|         |   | आंध्र प्रदेश                        | 1.57                                 | 29.83                                   |                       |
| 8       | क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक                  | आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी | 4.91<br>(0.49+<br>4.36<br>+0.06)     | 1105                                    |                       |

|    |   |   |  |  |                                  |
|----|---|---|--|--|----------------------------------|
|    |   | आंध्र प्रदेश,                             | 0.51   | 43   | --                               |
|    | ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक *                             | तमिल नाडु                                 | 1.14   | 618  |                                  |
|    |   | पुदुचेरी                                  | --   | 62   |                                  |
| 9  |   | कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक      | तमिल नाडु  | 4.48   | 218                              |
| 10 | क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक   | मध्य प्रदेश और राजस्थान                   | ऑल्ट I = 2.30<br>ऑल्ट II = 2.20  | -<br>13.2  | --                               |
|    | ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत) | मध्य प्रदेश और राजस्थान                   | 3.38 (ड्राफ्ट पीएफआर के अनुसार)<br>मध्य प्रदेश - 2.58<br>राजस्थान- 0.8 | राजस्थान-<br>डोमेस्टिक- 1723<br>औद्योगिक- 286<br>एमपी- डोमेस्टिक- 36 | --                               |
| 11 | दमनगंगा - पिंजल लिंक  | महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति) | --   | 895  | 5                                |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा लिंक  | गुजरात                                    | 2.28   | 76   | 21                               |
|    |   | महाराष्ट्र                                | 0.04   | --   | --                               |
| 13 | केन-बेतवा लिंक  | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश               | 10.62<br>(2.51<br>+8.11)   | 194  | 103<br>(हाइड्रो) और 27<br>(सोलर) |
| 14 | पंजा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक   | तमिलनाडु                                  | 0.91   | --   | 3.87                             |
|    |   | केरल                                      |  |  | 504.5                            |
| 15 | बेदती - वरदा लिंक@@   | कर्नाटक                                   | 1.05   | 38   | --                               |
| 16 | नेत्रवती - हेमवती लिंक***   | कर्नाटक                                   | 0.34   | --   | --                               |

\*\* ओडिशा को ओडिशा सरकार की छह परियोजनाओं से लाभ

क्रम संख्या 10 (क) पर पीकेसी लिंक के लिए: ऑल्ट I - गांधीसागर बांध के साथ लिंकिंग, ऑल्ट II - राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिंकिंग

\* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल के विपथन के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना तैयार कर ली है

जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

@@ बेदती-वरदा लिंक, इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार की गयी थी, कोई एफआर तैयार नहीं की गयी थी।

\*\*\* आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

**हिमालयी घटक**

| क्र.सं. | नाम   | लाभान्वित राज्य/<br>देश       | वार्षिक सिंचाई (लाख<br>हेक्टेयर) | घरेलू<br>और<br>औद्योगिक<br>(मिलियन<br>क्यूबिक मीटर) | हाइड्रोपावर<br>(मेगावाट)                             |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1.      | कोसी-मेची लिंक<br>(अंतर्राज्यीय लिंक)                     | बिहार और नेपाल                | 4.74<br>(2.99+1.75)              | 24  | 3180   |
| 2.      | कोसी-घाघरा लिंक   | बिहार, यूपी और<br>नेपाल       | 8.35 (6.05+1.20<br>+1.10)        | 0   | --   |
| 3.      | गंडक - गंगा लिंक  | यूपी और नेपाल                 | 34.58<br>(28.80+5.78)            | 700   | 4375 [बांध पावर<br>हाउस] और 180<br>(नहर पावर हाउस)   |
| 4.      | घाघरा-यमुना लिंक  | यूपी और नेपाल                 | 27.84<br>(25.30 + 2.54)          | 1391  | 10884  |
| 5.      | सारदा-यमुना लिंक  | यूपी और उत्तराखंड             | 2.95<br>(2.65 + 0.30)            | 3054  | 6620   |
| 6.      | यमुना-राजस्थान लिंक                                       | हरियाणा और<br>राजस्थान        | 2.51<br>(0.11+ 2.40)             | 30  | --   |
| 7.      | राजस्थान-साबरमती लिंक                                     | राजस्थान और<br>गुजरात         | 11.53<br>(11.21+0.32)            | 102   | --   |
| 8.      | चुनार-सोन बैराज लिंक                                      | बिहार और उत्तर<br>प्रदेश      | 0.67<br>(0.13 + 0.54)            | --  | --   |
| 9.      | सोन बांध - गंगा लिंक<br>की दक्षिणी सहायक<br>नदियाँ        | बिहार और झारखंड               | 3.07<br>(2.39 + 0.68)            | 360   | 95<br>(90 बांध पावर<br>हाउस) और (5<br>नहर पावर हाउस) |
| 10.     | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा<br>(एम-एस-टी-जी) लिंक              | असम, पश्चिम<br>बंगाल और बिहार | 3.41<br>(2.05 + 1.00 +<br>0.36)  | --  | --   |
| 11.     | जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का<br>लिंक (एम-एस-टी-जी का<br>विकल्प) | असम, पश्चिम<br>बंगाल और बिहार | 3.559<br>(0.975+ 1.564+<br>1.02) | 265   | 360  |
| 12.     | फरक्का-सुंदरबन लिंक                                       | पश्चिम बंगाल                  | 1.50                             | 184   | --   |

|     |  |                               |                              |     |    |
|-----|--|-------------------------------|------------------------------|-----|----|
| 13. | गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड | 12.30<br>(11.18+ 0.39+ 0.73) | 432 | -- |
| 14. | सुवर्णरेखा-महानदी लिंक                 | पश्चिम बंगाल और ओडिशा         | 2.16<br>(0.18+ 1.98)         | 198 | 20 |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*136  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....  
आर्सेनिक संदूषण

\*136. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्सेनिक संदूषण में वृद्धि हुई है;
- (ख) देश भर में भूजल में आर्सेनिक संदूषण की मात्रा कितनी है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में पेयजल में आर्सेनिक संदूषण की रोकथाम, इसमें कमी और इसके उपचार के लिए सरकार की क्या योजनाएं एवं रणनीतियां हैं; और
- (घ) क्या आर्सेनिक हटाने की कोई उन्नत प्रौद्योगिकियां देश में विकसित की गई हैं या प्रारंभ की गई हैं, और यदि हां, तो भूजल में आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित समुदाय इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“आर्सेनिक संदूषण” विषय पर दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक संदूषण में वृद्धि के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। फिर भी, नमूनों की जांच में वृद्धि के कारण, आर्सेनिक संदूषण सूचित किए जाने के अधिक मामलों के कारण इसमें वृद्धि हो सकती है।

(ख) और (ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 राज्यों के 230 जिलों के अलग-अलग पाकेटों अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक होने की सूचना मिली है। आंशिक रूप से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण आर्सेनिक द्वारा किए गए भूजल संदूषण सहित भूजल संदूषण से निपटना और नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई पहल की गई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहल नीचे उल्लिखित की गई हैं:

- i. केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत भूजल में आर्सेनिक जैसे विषाक्त पदार्थों द्वारा हुए संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा टैपिंग कंटिमिनेशन फ्री एक्वीफर्स के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। इस प्रकार, अब तक, टैपिंग आर्सेनिक-सेफ एक्वीफर्स वाले 525 अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से बिहार में 40 कुएं, पश्चिम बंगाल में 191 और उत्तर प्रदेश में 294 कुएं शामिल हैं।
- ii. भारत सरकार राज्यों की हिस्सेदारी के साथ, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता का जल और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।
  - जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदण्ड के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को अपनाया गया है।
  - जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को 10% प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे गांवों के लिए जहां आर्सेनिक सहित जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दे मौजूद हैं, वहां अधिमानतः सतही जल स्रोतों अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों पर आधारित जल अंतरण के लिए अधिकांशतः पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए।
  - जल जीवन मिशन यह निर्धारित करता है कि नल के जल कनेक्शन के माध्यम से घरों में पेयजल आपूर्ति की योजना बनाते समय गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित किए जाने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक घर को 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
  - जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और सर्वेक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से सुलभ बनाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2021 में "पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण ढांचा" तैयार किया गया है और उसे राज्यों के साथ साझा किया गया है।
- iii. आर्सेनिक और अन्य संदूषकों को कम करने के संबंध में कई अनुसंधान अध्ययन, विशेष रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सहयोग से किए जा रहे अध्ययन, इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं और उनके परिणाम/रिपोर्ट कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जन जागरूकता और कार्रवाई के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

**(घ):** इस मंत्रालय द्वारा आर्सेनिक के कारण देश में भूजल संदूषण की रोकथाम के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी उपाय आरंभ किए गए हैं। इस पहल को अधिक से अधिक सामुदायिक केंद्रित बनाने के प्रयास भी किए गए हैं ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- i. जल जीवन मिशन के अंतर्गत, देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।
- ii. जल की गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों का नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और सर्वेक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जल जीवन मिशन- जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली संबंधी पोर्टल विकसित किया गया है।
- iii. राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र की स्थापना कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भी की गई है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारत में पेयजल गुणवत्ता

संबंधी समस्याओं की पहचान, शमन और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना है, जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित अन्य संदूषकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल आपूर्ति करनी है।

- iv. टैपिंग डिप्पर एक्विफर्स द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा विकसित इन-हाउस तकनीक को राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है जिससे उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों में आर्सेनिक उपशमन प्रयासों को तेज करने में स्वयं के ऐसे आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करने में मदद मिली है।
- v. केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करके आवधिक रूप से भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जनजागरूकता सृजित की जा रही है।
- vi. केन्द्रीय भूजल बोर्ड पूरे देश में नियमित आधार पर आर्सेनिक सहित कई संदूषकों के लिए भूजल गुणवत्ता निगरानी करता है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकड़े भी तैयार करता है। इस प्रकार सृजित भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न पणधारियों के उपयोग हेतु रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन आंकड़ों का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

\*\*\*\*\*

“आर्सेनिक संदूषण” के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*136 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2023 तक भारत के भूजल में आर्सेनिक के साथ आंशिक रूप से प्रभावित जिलों (संचयी) की राज्यवार संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या जहां आर्सेनिक 0.01 मि.ग्रा/लीटर से ऊपर पाया गया |
|---------|-------------------------|---|
| 1       | आंध्र प्रदेश            | 7   |
| 2       | तेलंगाना                | 1   |
| 3       | असम                     | 21  |
| 4       | बिहार                   | 27  |
| 5       | छत्तीसगढ़               | 4   |
| 6       | दिल्ली                  | 5   |
| 7       | गुजरात                  | 12  |
| 8       | हरियाणा                 | 18  |
| 9       | हिमाचल प्रदेश           | 1   |
| 10      | जम्मू और कश्मीर         | 3   |
| 11      | झारखंड                  | 4   |
| 12      | कर्नाटक                 | 3   |
| 13      | केरल                    | 1   |
| 14      | मध्य प्रदेश             | 9   |
| 15      | मणिपुर                  | 2   |
| 16      | ओडिशा                   | 5   |
| 17      | पंजाब                   | 17  |
| 18      | राजस्थान                | 10  |
| 19      | तमिलनाडु                | 14  |
| 20      | त्रिपुरा                | 3   |
| 21      | उत्तर प्रदेश            | 45  |
| 22      | उत्तराखंड               | 5   |
| 23      | पश्चिम बंगाल            | 11  |
| 24      | दमन और दीव              | 1   |
| 25      | पुडुचेरी                | 1   |
|         | <b>कुल</b>              | <b>25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 230 जिलों की अलग-अलग पॉकेट</b>               |

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*146  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

रायगढ़ जिले की नदियों में गाद की समस्या

\*146. श्री धैर्यशील मोहन पाटिल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा रायगढ़ जिले की सावित्री, कुंडलिका, पातालगंगा और अंबा जैसी नदियों में बढ़ती गाद की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या इन नदियों से गाद हटाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है और यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जाएगा; और
- (ग) गाद के कारण बाढ़ के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

'रायगढ़ जिले की नदियों में गाद की समस्या' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*146 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

**(क) और (ख):** नदी में कटाव, गति और गाद का जमाव नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ साथ चलने वाले गाद भार और उनमें जमा होने वाले गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। नदियों की गाद निकालना, तकनीकी-आर्थिक कार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इससे मामूली लाभ हासिल होता है और यह केवल एक छोटी अवधि के लिए प्रभावी है। इसमें विशिष्ट खंडों जैसे, ज्वारीय नदियों, संकीर्ण संकुचन वाले संगम स्थलों आदि में चयनात्मक ड्रेजिंग का कार्य शामिल है। कभी-कभी स्थानीय साइट स्थितियों के आधार पर किया जाता है। फिर भी, इसके लिए समुचित वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन होना चाहिए। जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों में गाद निकालने, चैनल क्षमता में सुधार करने और नौवहन के उद्देश्य सहित गाद हटाने के उपायों को संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है।

जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से सावित्री नदी और उसकी सहायक नदियों से गाद निकालने का कार्य किया गया था और लगभग 30.25 लाख घन मीटर गाद निकाली गई थी। इसके अतिरिक्त, रायगढ़ जिले की सावित्री, कुंडलिका, पातालगंगा और अम्बा नदियों से गाद हटाने के प्रस्ताव पर भी कार्य शुरू किया गया है।

गाद के व्यापक और समग्र तरीके से प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद "गाद प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा" (एनएफएसएम) तैयार किया है। इसका जोर गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। इस फ्रेमवर्क में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर समुचित ध्यान देते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से गाद प्रबंधन का कार्य करने पर बल दिया गया है।

**(ग):** बाढ़ प्राथमिक रूप से एक प्राकृतिक आपदा है जिसका देश लगभग प्रत्येक वर्ष नदी के तलों में गाद जमा होने सहित विभिन्न कारकों के कारण परिमाणों की भिन्न-भिन्न मात्राओं में सामना करता है।

एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान के संबंध में किफायती लागत पर समुचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के एक विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना है। संरचनात्मक उपाय बाढ़ के प्रवाह को कम करते हुए और उसके

जरिए बाढ़ के स्तर में कमी लाते हुए बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करते हैं। पर्याप्त फ्लड कुशन के साथ जलाशयों का निर्माण किया जाना बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान के रूप में एक संरचनात्मक उपाय है। गैर-संरचनात्मक उपाय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित किये जाने के माध्यम से लोगों को समय पर स्थान खाली करने और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में बार-बार बाढ़ आती है वहां लोगों को मूल्यवान संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना है। बार-बार बाढ़ का सामना करने वाले क्षेत्रों में लोगों को किमती सामान/परिसंपत्तियां रखने से हतोत्साहित करना अर्थात् बाढ़ मैदान जोनिंग विनियमन को लागू करना/ जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ जोखिमों को कम करना तथा वॉटरशेड के भीतर जैव-विविधता बनाए रखना, तलछट क्षेत्र उपचार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और उनका कार्यान्वयन किया जाता है। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है और तकनीकी सहायता के साथ-साथ संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल-निकासी विकास, समुद्र कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 11वीं और 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) का कार्यान्वयन किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और उसके बाद यह 4,100 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान भी जारी है। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों को एफएमपी घटक के अंतर्गत 7136.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। यह नेटवर्क राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे के प्रतिक्रिया समय के साथ छोटी अवधि के पूर्वानुमानों के अलावा, सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों की अग्रिम बाढ़ चेतावनी के लिए वर्षा-रनऑफ गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया गया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जा सके। इस समय, भारत में सीडब्ल्यूसी द्वारा 340 पूर्वानुमान स्टेशनों (200 नदी स्तर पूर्वानुमान स्टेशन और 140 बांध / बैराज प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशन) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। इनमें से, महाराष्ट्र में 22 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन (8 स्तर पूर्वानुमान और 14 प्रवाह पूर्वानुमान) हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*144  
जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बराक नदी पर बहुउद्देशीय बांध के निर्माण का प्रस्ताव

\*144. श्री मिशन रंजन दास:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या असम में बराक नदी की ऊपरी धारा पर एक बहुउद्देशीय बांध बनाने का प्रस्ताव था; और
- (ख) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**'बराक नदी पर बहुउद्देशीय बांध के निर्माण का प्रस्ताव' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*144 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** इस समय असम में बराक नदी की ऊपरी धारा पर एक बहुउद्देशीय बांध निर्मित किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

हालांकि, वर्ष 1995 में बराक नदी के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित और मणिपुर-मिजोरम सीमा में बराक के साथ तुवई नदी के संगम के 500 मीटर अनुप्रवाह पर स्थित तिपाईमुख बांध बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दिनांक 25.08.1995 को 2899 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति' की 62 वीं बैठक में तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दे दी गई थी। इस परियोजना के निष्पादन की जिम्मेदारी मणिपुर सरकार की है और एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त मौजूदा जानकारी के अनुसार, इस परियोजना का निष्पादन कार्य शुरू नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*70  
जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

असम में बाढ़ की स्थिति

\*70. श्री अजीत कुमार भुयानः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि असम के कई स्थान हर वर्ष बाढ़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हर वर्ष आने वाली भारी बाढ़ से असम के लोगों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरती गयी हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है; और
- (घ) क्या मानसून में चीन और भूटान द्वारा बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पहले से ही बाढ़ग्रस्त ब्रह्मपुत्र नदी और भी जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण असम पिछले कुछ मानसूनों से भारी बाढ़ से जूझ रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“असम में बाढ़ की स्थिति” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*70 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): असम के कई स्थानों पर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग परिमात्रा में बाढ़ आती है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। सीडब्ल्यूसी 24 घंटे तक के लीड टाइम के साथ अल्पावधि बाढ़ पूर्वानुमान और 7 दिनों के बाढ़ चेतावनी पूर्वानुमान जारी करता है जो जान-माल के नुकसान को कम करने और उचित जलाशय संचालन के लिए बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में रेन फॉल - रन ऑफ मॉडलिंग पर आधारित है। असम में कुल 30 स्तर बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं। इस नेटवर्क की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से की गई है। बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की नदी-वार और जिला-वार सूची **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य की प्राथमिकता के आधार पर और उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। केन्द्र सरकार बाढ़ प्रबंधन के लिए गंभीर क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे सीमित परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत असम राज्य के लिए 2383.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ कुल 141 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 11वीं योजना से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत असम राज्य को जारी कुल केंद्रीय सहायता 1557.04 करोड़ रुपये है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत असम राज्य में पूरी की गई 111 परियोजनाओं द्वारा लगभग 7.365 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 1.745 करोड़ की आबादी को सुरक्षा प्रदान की है।

इसके अलावा, असम सरकार ने उल्लिखित किया है कि राज्य ने विभिन्न वित्त पोषण स्रोतों के तहत प्रभावी बाढ़, कटाव और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए 3402.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान 637 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में लगभग 189 किलोमीटर नए तटबंध, 440 किलोमीटर मौजूदा तटबंध को ऊंचा किया जाना और उन्हें मजबूत करने के लिए, 61 स्लुइस गेट और 217 किमी क्षेत्र के कटाव को संरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।

असम सरकार द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम (एआईआरबीएमपी) के अंतर्गत दो व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजनाएं, एक बुरीदेहिंग नदी पर और दूसरी मानस-बेकी नदी पर शुरू की गई हैं।

**(घ):** वर्ष 2006 में स्थापित संस्थागत विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के दायरे में सीमा-पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चीन के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इसके अलावा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित स्थलों पर जल स्तर और डिस्चार्ज का निरीक्षण और निगरानी का कार्य किया जाता है।

भूटान से भारत की ओर बहने वाली कॉमन नदियों पर भूटान की ताला जल विद्युत परियोजना, चुखा जल विद्युत परियोजना और कुरिछु बांध आदि बांधों से जल छोड़े जाने सहित 36 जल-मौसम वैज्ञानिकी स्थलों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के संग्रहण और प्रसारण से संबंधित कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए वर्ष 1979 में एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) का गठन किया गया था। बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के कार्य में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भारत में उपर्युक्त 36 केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।

\*\*\*\*\*

"असम में बाढ़ की स्थिति" के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*70 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

असम में बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का ब्यौरा

| असम में जिले-वार बाढ़ पूर्वानुमान स्थल की जानकारी |             |  |
|---|-------------|--|
| #   | नदियाँ      | स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र (जिला)  |
| 1.  | संकोश       | गोलकगंज (धुबरी)  |
| 2.  | गौरांग      | कोकराझार   |
| 3.  | मानस        | एनएच क्रॉसिंग (बारपेटा), मथनगुड़ी (बक्सा) (कुल - 2)  |
| 4.  | बेकी        | एनएच क्रॉसिंग (बारपेटा)  |
| 5.  | पागलदिया    | एनटी रोड क्रॉसिंग (नलबाड़ी)  |
| 6.  | पुथिमारी    | एनएच क्रॉसिंग (कामरूप ग्रामीण)   |
| 7.  | जिया-भराली  | एनटी रोड क्रॉसिंग (सोनितपुर)   |
| 8.  | रंगानदी     | एनएच क्रॉसिंग (लखीमपुर)  |
| 9.  | सुबनसिरी    | चोल्धोवाघाट (लखीमपुर), बदातीघाट (लखीमपुर) (कुल - 2)  |
| 10.   | ब्रह्मपुत्र | डिब्रूगढ़, निमाटीघाट (जोरहाट), तेजपुर (सोनितपुर), गुवाहाटी (कामरूप शहरी), गोलपारा, धुबरी (कुल - 6) |
| 11.   | कोपिली      | कामपुर (नगांव), धरमतुल (मोरीगांव) (कुल - 2)  |
| 12.   | धनसिरी (एस) | गोलाघाट, नुमालीगढ़ (गोलाघाट) (कुल - 2)   |
| 13.   | दिखोउ       | शिवसागर  |
| 14.   | देसांग      | नंगलामोराघाट (शिवसागर)   |
| 15.   | बरीदेहिंग   | नहरकटिया (डिब्रूगढ़), खोवांग (डिब्रूगढ़) (कुल - 2)   |
| 16.   | लोहित       | ढोला बाजार (तिनसुकिया)   |
| 17.   | बराक        | एपी घाट (कछार), बदरपुरघाट (करीमगंज) (कुल - 2)  |
| 18.   | कथकल        | मटिजुरी (हैलाखंडी)   |
| 19.   | कुशियारा    | करीमगंज  |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*75  
जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

कोसी-मेची लिंक की स्थिति

\*75. डा. भीम सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार बिहार राज्य की नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है अथवा कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन योजनाओं, विशेषकर कोसी-मेची लिंक की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए नदी-वार अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) इन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के संबंध में प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“कोसी-मेची लिंक की स्थिति” विषय पर दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*75 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) संबंधी 30 परियोजनाओं की पहचान की गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी 6 परियोजनाएं हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य को लाभ पहुंचाना भी परिकल्पित किया गया है। नदियों को परस्पर जोड़ने की इन परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक-1** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, एनडब्ल्यूडीए को बिहार सरकार से अंतरराज्यीय लिंक परियोजनाओं के संबंध में 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन दस अंतरराज्यीय लिंक प्रस्तावों में से तीन को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया अर्थात् कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना, बूढ़ी गंडक-नोन-भाया-गंगा अंतरराज्यीय लिंक परियोजना और कोसी-गंगा अंतरराज्यीय लिंक परियोजना।

कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) का विस्तार करके बिहार में पड़ने वाले महानंदा नदी बेसिन के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल के एक हिस्से के विपथन की परिकल्पना की गई है ताकि बिहार में बहने वाली कोसी और मेची नदियों, को राज्य के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके। इससे लिंक परियोजना खरीफ मौसम में महानंदा बेसिन में लिंक के नए कमांड मार्गजो परमान और मेची नदियों के बीच राज्य में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को कवर करता है, के 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान होगी। एनडब्ल्यूडीए द्वारा दिसंबर, 2022 में कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अद्यतन करने का कार्य पूरा कर लिया गया था और बाद में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 2024 में आयोजित अपनी 155वीं बैठक में वर्ष 2022-23 मूल्य स्तर पर 6282.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी गई। इसके अलावा, परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति द्वारा अप्रैल, 2024 में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में निवेश मंजूरी भी दी गई है। उसके बाद, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की जांच समिति ने परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की है।

(ख): नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा संबंधित पक्षकार राज्यों की सर्वसम्मति और संबंधित नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिंक विशिष्ट समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाने पर निर्भर करेगी।

(ग): भारत सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है और इसके कार्यान्वयन के लिए इससे जुड़े सभी पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए कह रही है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितंबर, 2014 में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति (एससीआईएलआर) का गठन किया गया था। अब तक, इस एससीआईएलआर की 21 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, अप्रैल, 2015 में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कार्यबल (टीएफआईएलआर) का भी गठन किया गया था और अब तक इसकी 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और भागीदारी होती है, जिनमें पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने और नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। तथापि, नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वसम्मति बनाना पक्षकार राज्यों पर ही निर्भर है।

(घ): नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के संबंध में हुए लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। एनपीपी के तहत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं (30 लिंक) की अनुमानित लागत वर्ष 2015-16 के मूल्य स्तर पर 8.44 लाख करोड़ रुपये है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

"कोसी-मेची लिंक की स्थिति" के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*75 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक बिहार राज्य को लाभान्वित करने वाली राज्य परिषेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की स्थिति

| क्र.सं. | लिंक परियोजना का नाम                                | राज्यों/देशों को लाभान्वित             | वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर) | घरेलू और औद्योगिक (मिलियन क्यूबिक मीटर) | हाइड्रो पावर (मेगावाट) | स्थिति  |
|---------|---|--|-------------------------------|---|------------------------|---|
| 1.      | कोसी-मेची लिंक                                      | बिहार और नेपाल                         | 4.74<br>(2.99+1.75)           | 24                                      | 3180                   | पीएफआर पूर्ण                                    |
| 2.      | कोसी-घाघरा संपर्क                                   | बिहार, उत्तर प्रदेश (यूपी) और नेपाल    | 8.35 (6.05+1.20 +1.10)        | 0                                       | --                     | एफआर पूर्ण                                      |
| 3.      | चुनार-सोन बैराज लिंक                                | बिहार और यूपी                          | 0.67<br>(0.13 + 0.54)         | --                                      | --                     | मसौदा एफआर पूर्ण                                |
| 4.      | सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ        | बिहार और झारखंड                        | 3.07<br>(2.39 + 0.68)         | 360                                     | 95                     | मसौदा एफआर पूर्ण                                |
| 5.      | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक           | असम, पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी) और बिहार | 3.41<br>(2.05 + 1.00 + 0.36)  | --                                      | --                     | एफआर पूरा किया                                  |
| 6.      | जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार             | 3.559<br>(0.975+ 1.564+ 1.02) | 265                                     | 360                    | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को निरसा कर दिया गया है) |

**अनुलग्नक-II**

"कोसी-मेची लिंक की स्थिति" के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*75 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लाभों का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

| क्र.सं. | नाम   | लाभान्वित राज्य             | वार्षिक अंक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)    | घरेलू और औद्योगिक (मिमी 3) | पन पावर (मेगावाट)   | स्थिति                |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1       | क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक                    | आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा | 4.43                                 | 802                        | 445                 | एफआर पूर्ण            |
|         | ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा       | 6.25<br>(0.91 +<br>3.52 +<br>1.82**) | 700<br>+125**              | 210 +<br>240**      | एफआर पूर्ण            |
| 2       | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक**                       | आंध्र प्रदेश                | 2.1                                  | 162                        | --                  | एफआर पूर्ण            |
| 3       | क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक **           | तेलंगाना                    | 2.87                                 | 237                        | 975+<br>70=<br>1045 | एफआर पूर्ण            |
|         | ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *     | तेलंगाना                    | 2.38                                 | 232                        | 26                  | डीपीआर पूर्ण          |
| 4       | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक        | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश    | 4.74<br>(0.36+<br>4.38)              | 346                        | 90                  | डीपीआर पूर्ण          |
| 5       | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक               | आंध्र प्रदेश                | 5.81                                 | 124                        | 90                  | एफआर पूर्ण            |
|         | ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *    | आंध्र प्रदेश                | 1.71                                 | 236                        | 40                  | डीपीआर पूर्ण          |
| 6       | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक                                  | आंध्र प्रदेश                | 1.79                                 | 58                         | 11                  | मसौदा<br>डीपीआर पूर्ण |
| 7       | कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक                                   | कर्नाटक                     | 0.69                                 | 467                        | --                  | मसौदा<br>डीपीआर पूर्ण |
|         |   | आंध्र प्रदेश                | 1.57                                 | 29.83                      |                     |                       |

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 8  | क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक                   | आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी       | 4.91<br>(0.49+<br>4.36<br>+0.06)  | 1105  |   | एफआर पूर्ण                                      |
|    |  | आंध्र प्रदेश,                             | 0.51  | 43  | --  | डीपीआर पूर्ण                                    |
|    | ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *        | तमिल नाडु                                 | 1.14  | 618   |   |   |
|    |  | पुदुचेरी                                  | --  | 62  |   |   |
| 9  | कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक                                 | तमिल नाडु                                 | 4.48  | 218   | --  | डीपीआर पूर्ण                                    |
| 10 | क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक                                      | मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान            | Alt.I = 2 . 3 0<br>Alt.II = 2.20  | -<br>13.2   | --  | एफआर पूर्ण                                      |
|    | ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत) | एमपी और राजस्थान                          | 3.38 (के रूप में प्रति ड्राफ्ट पीएफआर) मध्य प्रदेश - 2.58 राजस्थान- 0.8 | राजस्थान- डोमेस्टिक- 1723 एमसीएम औद्योगिक- 286 एमसीएम सांसद- डोमेस्टिक- 36 एमसीएम | --  | मसौदा पीएफआर पूर्ण                              |
| 11 | दमनगंगा - पिंजल लिंक   | महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति) | --  | 895   | 5   | डीपीआर पूर्ण                                    |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा लिंक   | गुजरात                                    | 2.28  | 76  | 21  | डीपीआर पूर्ण                                    |
|    |  | महाराष्ट्र                                | 0.04  | --  | --  |   |
| 13 | केन-बेतवा लिंक   | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश               | 10.62 (2.51 +8.11)04  | 194   | 103 मेगावाट (हाइड्रो) और 27 मेगावाट (सौर) | डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है |
| 14 | पंजा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक  | तमिलनाडु                                  | 0.91  | --  | 3.87                                      | एफआर पूर्ण                                      |
|    |  | केरल                                      |   |   | 504.5                                     |   |
| 15 | बेदती - वरदा लिंक*   | कर्नाटक                                   | 1.05  | 38  | --  | डीपीआर पूर्ण                                    |

|    |                           |         |      |    |    |                 |
|----|---------------------------|---------|------|----|----|-----------------|
| 16 | नेत्रवती - हेमवती लिंक*** | कर्नाटक | 0.34 | -- | -- | पीएफआर<br>पूर्ण |
|----|---------------------------|---------|------|----|----|-----------------|

\*\* ओडिशा को ओडीशा सरकार के छह परियोजनाओं से लाभ

क्रम संख्या 10 (ए) पर पीकेसी लिंक के लिए: ऑल्ट I- गांधीसागर बांध के साथ लिंकिंग, आल्ट II- राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिंकिंग

\* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अपडेट किया गया था।

\* बेदती-वरदा संपर्क-डीपीआर इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

\*\* गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

\*\* आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रवती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

**हिमालयी घटक**

| क्र.सं. | नाम   | देश/लाभान्वित राज्य           | स्थिति                                       | घरेलू & औद्योगिक (मिमी 3) | पन पावर (मेगावाट)                  | स्थिति   |
|---------|---|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1.      | कोसी-मेची लिंक                                      | बिहार और नेपाल                | पीएफआर पूर्ण                                 | 24                        | 3180                               | पीएफआर पूर्ण                                   |
| 2.      | कोसी-घाघरा लिंक                                     | बिहार, यूपी और नेपाल          | एफआर पूर्ण                                   | 0                         | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 3.      | गंडक - गंगा लिंक                                    | यूपी और नेपाल                 | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)                      | 700                       | 4375 (बांध पीएच) और 180 (नहर पीएच) | एफआर पूर्ण और परिचालित                         |
| 4.      | घाघरा-यमुना लिंक                                    | यूपी और नेपाल                 | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)                      | 1391                      | 10884                              | एफआर पूर्ण                                     |
| 5.      | सारदा-यमुना लिंक                                    | यूपी और उत्तराखंड             | एफआर पूर्ण                                   | 3054                      | 6620                               | एफआर पूर्ण                                     |
| 6.      | यमुना-राजस्थान लिंक                                 | हरियाणा और राजस्थान           | एफआर पूर्ण                                   | 30                        | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 7.      | राजस्थान-साबरमती लिंक                               | राजस्थान और गुजरात            | एफआर पूर्ण                                   | 102                       | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 8.      | चुनार-सोन बैराज लिंक                                | बिहार और उत्तर प्रदेश         | पीएफआर पूर्ण                                 | --                        | --                                 | मसौदा एफआर पूर्ण                               |
| 9.      | सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ        | बिहार और झारखंड               | पीएफआर पूर्ण                                 | 360                       | 95                                 | मसौदा एफआर पूर्ण                               |
| 10.     | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक           | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार    | एफआर पूर्ण                                   | --                        | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 11.     | जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार    | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है) | 265                       | 360                                | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है) |
| 12.     | फरक्का-सुंदरबन लिंक                                 | पश्चिम बंगाल                  | एफआर पूर्ण                                   | 184                       | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 13.     | गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक                | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड | एफआर पूर्ण                                   | 432                       | --                                 | एफआर पूर्ण                                     |
| 14.     | सुवर्णरेखा-महानदी लिंक                              | पश्चिम बंगाल और ओडिशा         | एफआर पूर्ण                                   | 198                       | 20                                 | एफआर पूर्ण                                     |

\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*74  
जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में घटता भू-जल

\*74. श्री हरभजन सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पंजाब के विभिन्न भागों में तेजी से घटते भू-जल के संबंध में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पंजाब में भू-जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जल निकायों के विकास के लिए पंजाब को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“पंजाब में भूजल के गिरते स्तर” विषय पर दिनांक 02.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*74 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क), (ख) और (ग): विभिन्न उपयोगों के लिए स्वच्छ जल की बढ़ती मांग, वर्षा की अनिश्चितता, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण आदि के कारण किए जाने वाले निरंतर दोहन के परिणामस्वरूप पंजाब सहित देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर इसके निमित्त राज्य सरकारों के प्रयासों को सूसाध्य बनाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) चलाया जा रहा है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के 10 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जलभृत की अवस्थिति और इसका विशिष्टीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) की शुरुआत की गई है। पंजाब के 50,369 वर्ग किमी क्षेत्र सहित देश के समस्त मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है जिसमें देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए अनुमानित लागत सहित एक व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। पंजाब राज्य के मास्टर प्लान में लगभग 1200 एमसीएम वर्षा जल के संचयन हेतु लगभग 11 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना (पीडीएमसी) का

कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई तथा खेत स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 तक पंजाब में पीडीएमसी के तहत 15,173 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया था।

- v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य पंजाब सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनुरुद्धार करना था। परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनुरुद्धार किया गया है, जिनमें से 1,450 पंजाब में हैं।
- vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के अंतर्गत देश में भूजल पर अधिक निर्भरता को कम करने के लिए सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहत सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- vii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी योजनाओं के माध्यम से पंजाब सहित अन्य राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है।
- viii. कृषि विभाग, पंजाब किसानों को धान के स्थान पर जल की कम खपत वाली फसलों को अपना कर उक्त क्षेत्रों में विविधतापूर्ण कृषि हेतु प्रोत्साहित कर रहा है।
- ix. पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्लूआरडीए) की स्थापना की गई है ताकि राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके।
- x. देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण उपायों का विवरण नीचे दिए गए लिंक- <https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/> पर उपलब्ध है।

(घ): पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जल निकायों के विकास / पुनुरुद्धार के लिए पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार से पंजाब राज्य को 43.31 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी।

\*\*\*\*\*